दिनांक 29.01.2007 को नीलाम पत्र वादों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला–स्तरीय नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही

1. उपस्थित

1. अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी
2. अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर।
3. अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर
4. अनुमण्डल पदाधिकारी, मसौढ़ी।
5. अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज
6. श्री सैयद इमतियाजउद्दीन, अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना।
7. श्री मो0 सउर, अपर समाहर्ता, नक्सल, पटना
8. श्री अरूण कुमार वर्मा, अपर जिला दण्डा0 आपूर्ति, पटना।
9. श्री एस0 एन0 झा, जिला पंचायतराज पदाधिकारी, पटना
10. श्री कुमार उदय शंकर सिन्हा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
11. श्री दीपक सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना
12. श्री अनिल कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
13. श्री राजेश कुमार, अपर जिला भू–अर्जन पदा0 पटना
14. श्री रजनीश कुमार सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
15. श्री मनोज कुमार चौधरी, अपर जिला भू–अर्जन पदा0 पटना
16. श्रीमती एकता वर्मा, सहायक परियोजना पदा0 पटना।
17. श्रीमती अंजुला प्रसाद, सहायक परि0पदा0 पटना
18. श्री अनिल कुमार–2, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
19. श्री रबिन्द्र कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
20. श्री राजीव कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, पटना।
21. श्री संजय कुमार, जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना

अनुपस्थित

1. अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर
2. श्रीमती सीमा कुमारी, अपर जिला भू–अर्जन पदा0 पटना।
3. श्री अरूण कुमार सिंह, अपर जिला भू–अर्जन पदा0 पटना
4. डॉ0 महेन्द्र पाल, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
5. श्री नील कमल, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना
6. श्री के0 पी0 पाण्डेय, निदेशक. रा0नि0कार्यक्रम, पटना।
7. श्री एस0एम0 परवेज आलम, कार्य0दण्डा0 पटना
8. श्रीमती सीमा सिन्हा, सहायक परियोजना पदा0 पटना।

अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर एवं एस0एम0 परवेज आलम, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना अवकाश पर हैं, जिसके कारण बैठक में भाग नहीं ले सके। अन्य अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया एवं बैठक में नहीं उपस्थित होने के लिए खेद प्रकट किया गया।

2. पूर्व बैठक की कार्यवाही का तामिला

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी से यह पृच्छा की गई कि पूर्व की बैठक की कार्यवाही सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को तामिला कराया गया है अथवा नहीं। सभी लोगों ने कार्रवाई प्रतिवेदन प्राप्त होने की सूचना दी। जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके द्वारा तामिला का अनुश्रवण किया गया है तथा सभी पदाधिकारियों को यह शत–प्रतिशत कार्यालय में भेजा जा चुका है। सभी पदाधिकारियों से यह पृच्छा की गयी तो उन्होंने कार्यवाही प्राप्त होने की बात कही।

3. पूर्व बैठक की कार्यवाही का अनुपालन

सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों/अनुमंडल पदाधिकारियों से यह पृच्छा की गई कि क्या उनके द्वारा पूर्व में प्रेषित कार्यवाही का अध्ययन किया गया है अथवा नहीं? पूर्व में यह निदेश दिया गया था कि बैठक में आने पूर्व कार्यवाही प्रतिवेदन की कंडिकावार समीक्षा कर अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से 5 पूर्व जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को भेजें ताकि इसे संकलित कर बैठक में समीक्षा हेतु रखा जा सके। अगली बार सभी पदाधिकारियों को शत–प्रतिशत कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया तथा यह बैठक के दिन हस्तगत नहीं कराने का अनुरोध किया, इसे बैठक के 5 दिन पूर्व ही भेजे जाने का निदेश दिया गया। इसके साथ ही जिला

नीलाम–पत्र पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि वे अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने वालों को पावती निर्गत करें तथा संबंधित पदाधिकारी पावती के साथ बैठक में उपस्थित हों। इसके साथ ही जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को आदेश दिया कि जिन लोगों के यहां से अनुपालन प्राप्त/अप्राप्त है, उनकी सूची एवं गुणवत्ता को देखते हुए इसे कार्यवाही प्रतिवेदन में शामिल करें। अनुपालन प्रतिवेदन निम्नांकित पदाधिकारियों से अप्राप्त है :–

1. अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर
2. अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज
3. श्री एस0एन0 झा, जिला पंचायतराज पदाधिकारी, पटना
4. श्री राजेश कुमार, अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना
5. डॉ0 महेन्द्र पाल, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना
6. श्री नील कमल, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना।
7. श्री के0 पी0 पाण्डेय, निदेशक, रा0नि0कार्यक्रम, पटना

उपरोक्त पदाधिकारी जिनके द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है, इस पर अप्रसन्नता व्यक्त एवं खेद व्यक्त किया गया एवं स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। सभी संबंधित पदाधिकारियों को अगली निर्धारित बैठक से पांच दिन पूर्व यानि दिनांक **22.02.2007** तक इसे अनिवार्य रूप से भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

4. नीलाम पत्र वादों का कम्प्यूटराइजेशन

जिलाधिकारी द्वारा यह सूचना दी गयी कि इस जिले के सभी नीलाम–पत्र वादों के ब्यौरे को बेवसाईट पर जारी कर दिया गया है। इसका बेवसाईट **http\\.patna.bih.nic.in** है। यह अत्यन्त ही प्रसन्नता की बात है कि पिछले कई महीनों से इस दिशा में किए जा रहे प्रयास अन्ततः सफल हुआ है तथा नीलाम–पत्र न्यायालयों में चल रहे वादों के संबंध में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर सकेगा। इसके **Usable Form** में सुधार की आवश्यकता है, चूंकि केस संख्या देने पर ब्यौरा प्राप्त होता है, परन्तु अन्य ऑप्शन देने पर इसका ब्यौरा प्राप्त नहीं होता है। इस संबंध में जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एवं राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी को साइट को सुधारने हेतु पत्र निर्गत किया गया है। जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को पुनः स्मारित कर इसे सुधार कराने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

इस डाटा को हमेशा अपडेट किए जाने की जरूरत है, इसके लिए सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारियों एवं अनुमण्डल पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वे वैसे **सभी वादों जिसके संबंध में निष्पादन अथवा वसूली की सूचना दी जा रही है, को 26 बिन्दु प्रपत्र में अंकित करते हुए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से भेजें** ताकि बेवसाईट में वादों की अद्यतन स्थिति को अंकित करते हुए अपडेट किया जा सके अर्थात् जब भी वादों के निष्पादन/राशि की वसूली की सूचना जिला को दी जाती है तो इसके साथ उन वादों का पूर्ण ब्यौरा अवश्य संलग्न किया जाय। अनुमण्डल पदाधिकारी, मसौढ़ी, पालीगंज, बाढ़ तथा श्री सैयद इमतियाजउद्दीन, अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना, श्री मो0 सउद, अपर समाहर्ता, नक्सल, पटना को छोड़ अन्य किसी ने भी इसका अनुपालन नहीं किया है, जो अत्यन्त ही चिन्ता का विषय है। अतः इसे अब प्रत्येक पक्ष में मुख्य सचिव को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से भेजने का निदेश दिया गया एवं पूर्व के निष्पादित वादों की समेकित सूची भी भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर/सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा/सभी पेशकार)

26 बिन्दु प्रपत्र

नीलाम–पत्र न्यायालय का नाम

कमांक	अधियाची विभाग का नाम	अधियाची विभाग का मुख्यालय	वाद संख्या	वर्ष	देनदार का नाम	पिता का नाम	ग्राम/ महल्ला	वार्ड/ पंचायत का नाम	थाना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रखंड	सन्निहित राशि	दायर करने की तिथि	प्रपत्र–7 में नोटिश निर्गत करने की तिथि	डी/ डब्लु निर्गत करने की तिथि	बी0/डब्लु निर्गत करने की तिथि	वसूली की गई राशि।		अवशेष वसूलनीय राशि	
						राशि	तिथि		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

लंबित रहने के कारण						
प्रपत्र–7के नोटिश का तामिला अप्राप्त	देनदार की मृत्यु	गलत पता	तलवाना की राशि जमा नहीं	अन्य न्यायालय द्वारा पारित आदेश	अन्य कारण	अभ्युक्ति
20	21	22	23	24	25	26

5. नन–बैंकिंग वादों का ब्यौरा 26 बिन्दु प्रपत्र में तैयार कर भेजने के संबंध में

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर को यह निदेश दिया गया कि वे नन–बैंकिंग से संबंधित वादों यथा– सैरात, तकाबी, लगान, श्रम अधिनियम इत्यादि के अन्तर्गत दायर वादों को 26 बिन्दु प्रपत्र में तैयार कर इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं भेजी गयी है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ ने आज तत्संबंधी प्रतिवेदन एवं इसकी सी०डी० हस्तगत करायी। अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर ने इसकी सूची आंशिक रूप से तैयार कर भेजा है परन्तु अन्य अनुमण्डलों से यह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। विगत दो बैठकों से यह निदेश जा रहा है कि इसे एक सप्ताह में तैयार कर इसकी सी०डी० / फलौपी अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें परन्तु इसके अनुपालन नहीं किये जाने को काफी गंभीरता से लेते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर, बाढ़)

6. नीलाम पत्र न्यायालयों का नियमित संचालन करना :

जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को यह निदेश दिया कि वे अगली बार से अपने मासिक प्रतिवेदन में सारे व्यारे के साथ इसका भी उल्लेख करेंगे कि विगत माह में उनके द्वारा कितने दिन न्यायालय का कार्य किया गया तथा कितने केसों पर सुनवाई की गई। यह व्यौरा पूर्व में 21 बिन्दु प्रपत्र में साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराया जा रहा था अब मुख्य सचिव, बिहार के निदेशानुसार इसे निम्नांकित 22 बिन्दु प्रपत्र में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी **प्रत्येक पक्ष** यानि **माह की पहली तारीख एवं 15वीं तारीख** को प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में भेंगे।

SL.no.	Name of officer	No. of case pending at the begning of the fortnight		No. of cases heard during the fortnight		No. of cases disposed during the fortnight		No. of cases which recovery made during the fortnight		No. of cases pending at end of the fortnight	
		No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Oldest pending case		Status of Pending Cases							
No. of the case	Amount	Form 7 not served	Talwana not deposted	Other court's instructions	D.W. Issued	B.W. Issued	Death of Certificate debtor	Report of R.O. Wanting	No. of court days
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना जिला /
सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला)

7. नीलाम पत्र पदाधिकारीवार / अनुमंडलवार लक्ष्य / उपलब्धि की समीक्षा

जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के लंबित वादों की स्थिति तथा उनके द्वारा माह नवम्बर में वसूल की गई राशि की विस्तृत समीक्षा की तथा जिन लोगों द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रपत्र–7 का तामिला, डी०डब्लू० / बी०डब्लू० निर्गत नहीं किए गए हैं उन्हें तुरंत नीलाम पत्र वादों के नियमित सुनवाई कर इसमें अपेक्षित सुधार लाने का निदेश दिया। **उन्होंने नीलाम पत्र पदाधिकारियों को खासकर बड़े बकायेदार के विरूद्ध समुचित एवं कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया** तथा अपेक्षा की कि

अगले माह अपने–अपने न्यायालय में लंबित वादों के निष्पादन की दिशा में कारगर कार्रवाई करेंगे। जिलाधिकारी ने नीलाम–पत्र पदाधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन कर उनके रैंकिंग करने का भी निदेश दिया। इसी प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी भी अपने स्तर के अधिकारियों का उनके कार्यों के आधार पर रैंकिंग करेंगें। रैंकिंग में नीलाम–पत्र पदाधिकारियों द्वारा **अभिलेख में की गयी कार्रवाई, तामिला का अनुश्रवण, न्यायालय का नियमित संचालन, अधियाची विभागों/बैंकों के साथ बैठक, निर्गत बी०डब्लू० की संख्या, वसूली की राशि** इत्यादि बिन्दुओं पर समीक्षा कर अंक निर्धारित करेंगे।

जिला स्तरीय नीलाग पत्र पदाधिकारीवार गाह दिसंबर, 2006 का प्रतिवेदन

क्र०	निलाम पत्र पदाधिकारी का नाम / पदनाम	1406 के लम्बित	1406 के लम्बित वादो में सन्निहित राशि	2006–2007 से प्रतिवेदित गाह तक	2006–2007 में सन्निहित राशि	कुल वाद	सन्निहित राशि	इस गाह के पूर्व निष्पादित किए गए वादों की संख्या	सन्निहित राशि	इस गाह में निष्पादित किए गए वादों की संख्या	इस गाह में वसूल की गई राशि	कुल निष्पादित वाद 9	कुल वसूल की गई राशि 10 12	कुल लंबित वाद 7 13	कुल लंबित राशि 8 14	लंबित वादो की स्थिति			क्रय खरगा				
																प्रपत्र–7 के तामिला	रेखस्थ के रूप	फरार पदा	सलबा ना की	द्रव्य रूपा	वारंट जारी	रौंप कुर्की	बी० क्लर्क
																संख्या	संख्या						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	श्री कैयद इकतिखारुद्दीन	31	10230173 00	-	-	31	10230173 00	6	3008523.00			6	3008523.00	25	7218650 00	5	1	-	-	-	6	10	2
2	श्री सउद	107	10574875 00	-	-	107	10574878 00	12	105849.00			12	105849.00	95	10469026 00	80	3	-	-	-	3	8	-
3	श्री अरुण कुमार वर्मा	46	948755.28	-	-	46	948755 28	27	637102.74			27	637102.74	19	311652.54	1	1	-	-	-		14	1
4	श्री एस0एन0 झा	145	131208241.00	-	-	145	131208241 00	24	5358612.00			24	5358612.00	121	125849629.00	-	74	20	-	-	8		
5	श्रीमती सीमा कुमारी	652	18367279 00	-	-	652	18367279 00	18	129255 00	10	23500 00	28	364255.00	624	18003024 00	360	3	-	-	-	30	55	12
6	श्री अरुण सिंह	202	71961725.68	-	-	202	71961725 68	2	42920394 00			2	42920394.00	200	29041331 68	168	-	-	-	1	-	14	12
7	श्री उदय शकर सिन्हा	372	21292256 81	-	-	372	21292256 81	7	206653.98	6	280777 00	13	487430.98	259	20804825 83	70		-	-	-	81	201	2
8	श्री दीपक सिंह	553	12562306.00	-	-	553	12562306.00	24	302952.00	-		24	302952.00	529	12259354 00	298	-	-	-	-	11	78	1
9	श्री अनिल कुमार	578	24649331 05	-	-	578	24649331.05	54	248662.00	-	30000 00	54	278662 00	524	24370669 05	210	-	-	-	-	5	58	48
10	श्री राजेश कुमार	679	13169335 00	-	-	679	13169335	9	125367 00	-	-	9	125367.00	670	13043968 00	123	-	-	-	-	9	81	42
11	श्री महेन्द्र पाल	200	1135899.74	-	-	200	1135899.74	1	4000.00	-	-	1	4000.00	199	1131899.74	78	-	-	-	-	107		
12	श्री नील कमल	226	31121616 00	-	-	226	3112616 00	14	47907.00	-	-	14	47907.00	212	3064709 87	-	-	-	-	-	-	-	-
13	श्री रजनीश कुमार	157	1610292.75	-	-	157	1610292.75	43	272173 42	10	98877 80	53	571051.22	104	1239241 53	36	-	-	-	10		50	
14	श्री मनोज कुमार चौधरी	158	2647239.00	-	-	158	2647239.00	-	-	-	-	-	-	158	2647239.00	119	-	-	-	-	-	24	15
15	श्रीमती एकता वर्मा	202	5561790 00	-	-	202	5561790 00	11	1093.99			11	1093.99	191	5560696 07	-	-	-	-	-	-	-	-
16	श्री के0पी0 पाण्डेय	18	159886341.59	-	-	18	159886341.59	-	25000.00	-	-	-	25000.00	18	159861341.60	-	-	-	-	-	-	-	-
17	श्री एस0एन0 परवेज आलम	157	1210493 00	-	-	157	1210493 00	19	147600.58	-	-	19	147600.58	138	1062892 42	-	-	-	-	-	-	-	-
18	श्रीमती अजुला प्रसाद	118	67814772.00	-	-	118	67814772.00	2	30910.00			2	30910.00	116	677838.62	-	-	-	-	-	-	-	-
19	श्रीमती सीमा सिन्हा	109	508506235.05	-	-	109	508506235.05	-	-	-	-	-	-	109	508506235.10	2	-	-	-	23	31	49	3
20	श्री अनील कुमार II	97	61262000 10	-	-	97	61262000 1	-	-	-	-	-	-	97	61262000.10	-	-	-	-	-	-	-	-
21	श्री रविन्द्र कुमार	160	443325854.90	-	-	160	443325854 90	4	378410 00	1	23179617 00	5	23559027.00	155	419766827 90	89	-	-	-	2	10	12	5
	कुल योग	4967	1599046811.95			4967	1571037814.95	277	53950465.71	27	23612771.8	304	77975737.51	4563	1426153052.05	1639	82	20		36	301	654	143

विभिन्न अनुमंडलों का दिसम्बर 2006 तक नीलाम पत्र वादों से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन।

क्र0	अनुमंडल का नाम	कुल वादो की संख्या	सन्निहत राशि	विगत माह तक निष्पादित वादो की संख्या	विगत माह तक वसूली की गई राशि	इस माह में निष्पादित वादों की संख्या	इस माह में वसूल गई राशि	कुल निष्पादित वादो की संख्या	कुल वसूल की राशि	कुल लंबित वाद	कुल लंबित राशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	पटना सदर	10286	326439266.23	247	20307601.39	11	433728.00	258	20741329.39	10028	305697936.84	माह दिसंबर का प्रतिवेदन प्राप्त है। पदाधिकारी द्वारा दिये गये आधार पर प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया है। जो प्रतिवेदन प्राप्त है वह भी त्रुटिपूर्ण है।
2	पटना सिटी	4679	267634467.00	1070	17744883.00	16	419727.00	1086	18164610.00	3593	229789857.00	माह दिसम्बर के प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है परन्तु माह दिसम्बर का प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण है। माह नवम्बर की वसूली से माह दिसम्बर की वसूली कम है।
3	दानापुर	9760	212585179.00	636	16940302.00	56	1911714.00	692	18852016.00	9068	193733163.00	माह दिसम्बर के प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत किया गया है
4	मसौढी	3126	62040454.00	268	6876975.00	19	403168.00	287	7280143.00	2839	54840311.00	माह दिसम्बर के प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत किया गया है
5	पालीगंज	3118	64240578.00	353	8848664.00	19	886004.00	372	9734668.00	2746	54505910.00	माह दिसम्बर के प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है
6	बाढ़	10784	226740665.60	557	21053440.22	30	1638146.77	587	22691586.99	10197	204049078.60	माह दिसम्बर के प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है
	कुल	**41753**	**1159680609.83**	**3131**	**91771865.61**	**151**	**5692487.77**	**3282**	**97464353.38**	**38471**	**1042616256.44**	

अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर एवं मसौढ़ी द्वारा प्रतिवेदन नहीं भेजे जाने पर अप्रसन्नता व्यक्ति की गयी है एवं इसे तुरंत भेजने का निदेश दिया गया।

8. नोटिश तामिला की प्रकिया :

इस सम्बन्ध में विगत माह में दिए गए निदेश की समीक्षा की गई एवं यह स्पष्ट किया गया कि नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में सबसे अहम भूमिका पदचर अनुसेवियों की होती है। इनलोगों के द्वारा इसे गम्भीरता से नहीं लिया जाता है तथा ज्यादातर मामलों में बैठे–बैठे नोटिश के पीछे यह अंकित कर दिया जाता है कि बकायेदार के यहाँ गया और उनके द्वारा नोटिश लेने से इनकार किया गया अथवा उनका कोई पता नहीं चला या गवाही देने से लोगों ने इनकार कर दिया। यह अत्यन्त ही दुःखद परिस्थिति है। इसका कुप्रभाव नीलाम पत्र वादों के निष्पादन पर पड़ता है। तामिला हेतु एक Mechanism तैयार करने की आवश्यकता है तथा इनमें लगे पदचरों/अनुसेवियों को Motivate करने की भी आवश्यकता है।

अतः यह निदेश दिया गया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी अनुसेवियों द्वारा तामिला कराये गए नोटिश एवं अंकित किए गए प्रतिवेदनों की समीक्षा करें कि उनके द्वारा किन–किन क्षेत्रों में जाकर किन–किन नोटिशों का वास्तविक रूप से तामिला कराया गया है। यह समीक्षा सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी तथा सभी अनुमंडल पदाधिकारी साप्ताहिक रूप से निम्नांकित प्रपत्र में करेंगे।

क्रमांक	पदचर का नाम	विगत सप्ताह तक लंबित नोटिस/पत्र की सं0	आलोच्च सप्ताह में दिया गया पत्र/नोटिश	कुल पत्र/नोटिश	आलोच्च सप्ताह में तामिला कराये गये पत्र/नोटिश	लंबित पत्र/नोटिश जिनका तामिला नहीं हो सका	लंबित रहने का कारण	अभियुक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला)

9. अधियाची विभाग द्वारा निष्पादन में अभिरूचि नहीं लिए जाने के सम्बन्ध में

नीलाम पत्र पदाधिकारियों द्वारा यह उल्लेख किया गया कि जिला स्तर पर विभिन्न अधियाची विभागों को नोटिश तामिला हेतु दिया जा रहा है, परन्तु उन लोगों के द्वारा इसका तामिला कराने में अपेक्षित सहयोग नहीं दिया जाता है तथा यह अंकित कर दिया जाता है कि बकायेदार का पता नहीं मिला एवं अब वे निर्धारित स्थल पर नहीं रहते हैं। यह अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिलाधिकारी द्वारा ऐसे मामलों में अधियाची विभाग के विरूद्ध विभागीय सचिव/बैंक के मुख्य प्रबंधक को लिखने हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को भेजने का निदेश दिया गया तथा इसके पश्चात् धारा 53 (2) के तहत स्पीकिंग ऑर्डर पास करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त करने का निदेश दिया गया। वाद समाप्त करने के पूर्व सम्बन्धित अधियाची विभाग एवं वरीय पदाधिकारियों को इसकी चेतावनी अनिवार्य रूप से दे दी जाए। साथ ही आदेश में यह भी अंकित कर दिया जाय कि अधियाची विभाग ऋणी का सही पता की जानकारी प्राप्त कर न्यायालय को अगर सूचना देता है तो इस वाद की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की जा सकेगी।

(अनुपालन– सभी अनुमण्डलाधिकारी/सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा)

10. बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कार्रवाई :

सभी जिला स्तरीय नीलाम पत्र पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि वे पटना शहर के बड़े बकायेदारों के विरूद्ध निर्गत वॉडी वारण्ट को कार्यान्वयन हेतु वारण्ट **जिला नियंत्रण कक्ष** को प्रेषित करें तथा जिला नियंत्रण कक्ष प्रत्येक दिन अधियाची विभाग के साथ कार्यक्रम निर्धारित कर दंडाधिकारी/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर गिरफ्तार करने हेतु कार्रवाई करेंगे। इसी तरह अनुमण्डल स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर वारण्ट के कार्यान्वयन का निदेश दिया गया तथा इस हेतु अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी एवं थाना के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। 2.00 लाख या इससे उपर के राशि के ऋणियों की सूची सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को हस्तगत करायी गयी तथा जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारियों को भी इन बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। पूरे जिला में जिला स्तरीय नीलाम–पत्र वादों में कुल 124 बकायेदार 2.00 लाख से उपर की राशि के हैं जबकि अनुमण्डल स्तरीय नीलाम–पत्र वादों में इनकी संख्या 265 है। पूरे पटना जिला में 389 बड़े बकायेदार है, जिनकी सूची तैयार कर सभी संबंधित को दी गयी है, पर ध्यान केन्द्रित कर राशि की वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया, चूंकि 70 प्रतिशत सरकारी राशि इन लोगों के जिम्मे ही बकाया है। यह भी निदेश दिया गया कि अगली बैठक से मात्र इन वादों के निष्पादन की वादवार समीक्षा की जाएगी तथा इसका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराया जाय एवं इन केसों का व्यक्तिगत अनुश्रवण किया जाय।

(अनुपालन– सभी अनुमण्डलाधिकारी/सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा)

11. पंजी– IX एवं X का मिलान :

जिलाधिकारी द्वारा पंजी –IX एवं X के मिलान के सम्बन्ध में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की तथा यह निदेश दिया कि अधियाची पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई जाय एवं 26 बिन्दु प्रपत्र पर बनाए गए विवरण शाखावार/विभागवार तैयार कर इसकी दो प्रति नीलाम पत्र पदाधिकारी अधियाची विभाग/बैंक को हस्तगत करेंगे तथा पुनः अगले सप्ताह एक बैठक बुलाकर उसका एक सत्यापित प्रति जिसमें मिलान कर अद्यतन वसूली अंकित किया गया हो, उसे विभाग ले लेंगे ताकि रिकन्सीलिएशन हो सके। अधियाची पदाधिकारी के साथ आहूत की गयी बैठक की कार्यवाही अनिवार्य रूप से तैयार की जाय एवं इसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी भेजी जाय।

यह अत्यन्त ही गम्भीर स्थिति है तथा जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को अपने–अपने अधियाची विभाग की बैठक बुलाकर प्रपत्र IX एवं X का मिलान कराकर विहित प्रपत्र में राशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र लेने का निदेश दिया। यह प्रपत्र सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है। **प्रपत्र पुनः संलग्न किया जा रहा है।**

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना जिला)

12. थानावार वारण्टों की सूची तैयार करने के संबंध में :–

जिलाधिकारी द्वारा सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी को अपने–अपने न्यायालय में लंबित वादों को थानावार वर्गीकृत करते हुए एक पंजी संधारित करने का निदेश दिया तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किए जाने का भी निदेश के साथ–साथ **इसकी प्रति जिला को भेजने का निदेश दिया था** परन्तु कुछ पालीगंज अनुमण्डल एवं कुछ पदाधिकारियों को छोड़ अन्य जगहों से प्राप्त नहीं हो सका, जिससे कि जिला स्तर पर इसकी समेकित सूची नहीं बन पायी है। इसे तुरंत तैयार कर भेजने का निदेश दिया गयां

सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी से यह अपेक्षा की गयी कि अब जब सारे अभिलेखों पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है तथा केसों को जिन्दा कर दिया गया है, डी0डब्लू/बी0डब्लू0 निर्गत करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है, सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी बड़े बकायेदारों के मामलों का व्यक्तिगत अनुश्रवण कर खुद कुछ मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि बड़े बकायेदार से राशि की वसूली हो सके तथा लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। इसके साथ ही जिन मामलों में वसूली कह गयी है अथवा वाद समाप्त किया गया है, उसकी सूचना भी पाक्षिक प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर भेजें ताकि वेवसाईट में उसे अपडेट किया जा सके। दिसम्बर माह की वसूली को असंतोषजनक बताते हुए चिन्ता जाहिर की गयी तथा अपेक्षा की गयी कि अगले माह से इसमें पुनः अपेक्षित वृद्धि आएगी तथा सभी पदाधिकारी पूरे मनोयोग के साथ इसके निष्पादन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि वे अगली बैठक से अधियाची विभागों को भी इस बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेंगे तथा दोनों के बीच अधोहस्ताक्षरी के स्तर से समन्वय स्थापित किया जा सके एवं ऐसे मामले जिनमें अधियाची विभागों के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण मामले लंबित है, उसका निष्पादन शीघ्र कराया जा सके।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

30.1.07

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना।

29/1/07

ज्ञापांक 1143 /सी0, पटना, दिनांक 31/01/07

प्रतिलिपि – वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना/सभी अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना जिला/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला/प्रभारी दण्डाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना एवं सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.1.07

जिलाधिकारी, पटना।

29/1/07

ज्ञापांक 1143 /सी0, पटना, दिनांक 31/01/07

प्रतिलिपि – आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – आयुक्त एवं सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

29/1/07

जिलाधिकारी, पटना।

दिनांक 26.02.2007 को नीलाम पत्र वादों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला–स्तरीय नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही

1. उपस्थित

1. मो0 सउद, अपर समाहर्ता, नक्सल, पटना।
2. श्री अरूण कुमार वर्मा, अपर जिला दण्डा0 आपूर्ति, पटना।
3. श्री सत्यनारायण झा, जिला पंचायतराज पदा0 पटना
4. श्री संजय कुमार, जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना।
5. अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ
6. अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी
7. अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर
8. अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज
9. अनुमण्डल पदाधिकारी, मसौढ़ी
10. श्रीमती कुमारी सीमा, अपर जिला भू–अर्जन पदा0 पटना
11. श्री कुमार उदय शंकर सिन्हा, कार्यपालक दण्डा0 पटना
12. श्री दीपक सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
13. श्री रबीन्द्र कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना
14. श्रीमती एकता वर्मा, सहायक परियोजना पदा0 पटना।
15. श्री नील कमल, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना।
16. श्री राजेश कुमार, अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना।
17. श्री रजनीश कुमार सिंह, कार्यपालक दण्डा0 पटना।
18. श्रीमती अंजुला प्रसाद, सहायक परियोजना पदाधिकारी, पटना।
19. श्रीमती सीमा सिन्हा, सहायक परियोजना पदा0 पटना
20. श्री अनिल कुमार–2, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।

अनुपस्थित

1. अपर समाहर्ता, पटना।
2. श्री के0 पी0 पाण्डेय, जिला विकास पदाधिकारी, पटना।
3. अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर
4. श्री अरूण कुमार सिंह, अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना।
5. डॉ0 महेन्द्र पाल, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना
6. श्री अनिल कुमार–1, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
7. श्री मनोज कुमार चौधरी, अपर जिला भू–अर्जन पदा0
8. श्री एस0एम0परवेज आलम, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।

अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर, डॉ0 महेन्द्र पाल, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना, श्री मनोज कुमार चौधरी, श्री एस0एम0परवेज आलम, विधान सभा में विधि–व्यवस्था कार्य में लगे रहने के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके तथा श्री अनिल कुमार–1 अवकाश पर हैं। अतः इन्हें छोड़कर शेष लोगों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

2. पूर्व बैठक की कार्यवाही का तामिला

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी से यह पृच्छा की गई कि पूर्व की बैठक की कार्यवाही सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को तामिला कराया गया है अथवा नहीं। सभी लोगों ने कार्रवाई प्रतिवेदन प्राप्त होने की सूचना दी। जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके द्वारा तामिला का अनुश्रवण किया गया है तथा सभी पदाधिकारियों को यह शत–प्रतिशत कार्यालय में भेजा जा चुका है। सभी पदाधिकारियों से यह पृच्छा की गयी तो उन्होंने कार्यवाही प्राप्त होने की बात कही।

3. पूर्व बैठक की कार्यवाही का अनुपालन

सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों/अनुमंडल पदाधिकारियों से यह पृच्छा की गई कि क्या उनके द्वारा पूर्व में प्रेषित कार्यवाही का अध्ययन किया गया है अथवा नहीं? पूर्व में यह निदेश दिया गया था कि बैठक में आने पूर्व कार्यवाही प्रतिवेदन की कंडिकावार समीक्षा कर अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से **5 दिन पूर्व** जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को भेजें ताकि इसे संकलित कर बैठक में समीक्षा हेतु रखा जा सके। अगली बार सभी पदाधिकारियों को शत–प्रतिशत कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया तथा यह **बैठक के दिन हस्तगत नहीं कराने** का निदेश पूर्व में भी दिया गया था इसके बावजूद बैठक के दिन इसे हस्तगत कराने पर नाराजगी जाहिर की गयी एवं भविष्य में इसके अनुपालन अप्राप्त सूची में रखने का निदेश दिया गया। इसके साथ ही जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि वे अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने वालों को पावती निर्गत करें तथा संबंधित पदाधिकारी पावती के साथ बैठक में उपस्थित हों। इसके साथ ही जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी

को आदेश दिया कि जिन लोगों के यहां से अनुपालन प्राप्त/अप्राप्त है, उनकी सूची एवं गुणवत्ता को देखते हुए इसे कार्यवाही प्रतिवेदन में शामिल करें। अनुपालन प्रतिवेदन निम्नांकित पदाधिकारियों से अप्राप्त है :–

1. अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर
2. अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज
3. श्री एस0एन0 झा, जिला पंचायतराज पदाधिकारी, पटना
4. श्री राजेश कुमार, अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना
5. डॉ0 महेन्द्र पाल, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना
6. श्री नील कमल, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना।
7. श्री के0 पी0 पाण्डेय, निदेशक, रा0नि0कार्यक्रम, पटना

उपरोक्त पदाधिकारी जिनके द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है, इस पर अप्रसन्नता एवं खेद व्यक्त किया गया एवं स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। सभी संबंधित पदाधिकारियों को अगली निर्धारित बैठक से पांच दिन पूर्व यानि दिनांक **24.03.2007** तक इसे अनिवार्य रूप से भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

4. नीलाम पत्र वादों का कम्प्यूटराइजेशन

जिलाधिकारी द्वारा यह सूचना दी गयी कि इस जिले के सभी नीलाम–पत्र वादों के ब्यौरे को बेवसाईट पर जारी कर दिया गया है। इसका बेवसाईट **http\\.patna.bih.nic.in** है। यह अत्यन्त ही प्रसन्नता की बात है कि पिछले कई महीनों से इस दिशा में किए जा रहे प्रयास अन्ततः सफल हुआ है तथा नीलाम–पत्र न्यायालयों में चल रहे वादों के संबंध में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर सकेगा। इसके **Usable Form** में सुधार की आवश्यकता है, चूंकि केस संख्या देने पर ब्यौरा प्राप्त होता है, परन्तु अन्य ऑप्शन देने पर इसका ब्यौरा प्राप्त नहीं होता है। इस संबंध में जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एवं राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी को साइट को सुधारने हेतु पत्र निर्गत किया गया है। जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को पुनः स्मारित कर इसे सुधार कराने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

इस डाटा को हमेशा अपडेट किए जाने की जरूरत है, इसके लिए सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारियों एवं अनुमण्डल पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वे वैसे **सभी वादों जिसके संबंध में निष्पादन अथवा वसूली की सूचना दी जा रही है, को 26 बिन्दु प्रपत्र में अंकित करते हुए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से भेजें** ताकि बेवसाईट में वादों की अद्यतन स्थिति को अंकित करते हुए अपडेट किया जा सके अर्थात् जब भी वादों के निष्पादन/राशि की वसूली की सूचना जिला को दी जाती है तो इसके साथ उन वादों का पूर्ण ब्यौरा अवश्य संलग्न किया जाय। अनुमण्डल पदाधिकारी, मसौढ़ी, पालीगंज, बाढ़ तथा श्री सैयद इमतियाजउद्दीन, अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना, श्री मो0 सउद, अपर समाहर्ता, नक्सल, पटना को छोड़ अन्य किसी ने भी इसका अनुपालन नहीं किया है, जो अत्यन्त ही चिन्ता का विषय है। अतः इसे अब प्रत्येक पक्ष में मुख्य सचिव को भेजे जाने वाले प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से भेजने का निदेश दिया गया एवं पूर्व के निष्पादित वादों की समेकित सूची भी भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर/सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा/सभी पेशकार)

26 बिन्दु प्रपत्र — **नीलाम–पत्र न्यायालय का नाम**

कमांक	अधियाची विभाग का नाम	अधियाची विभाग का मुख्यालय	वाद संख्या	वर्ष	देनदार का नाम	पिता का नाम	ग्राम/ महल्ला	वार्ड/ पचायत का नाम	थाना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रखड	सन्निहित राशि	दायर करने की तिथि	प्रपत्र–7 में नोटिश निर्गत करने की तिथि	डी/ डब्लु निर्गत करने की तिथि	बी0/डब्लु निर्गत करने की तिथि	वसूली की गई राशि।		अवशेष वसूलनीय राशि	
						राशि	तिथि		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

लंबित रहने के कारण

प्रपत्र–7के नोटिश का तामिला अप्राप्त	देनदार की मृत्यु	गलत पता	तलवाना की राशि जमा नहीं	अन्य न्यायालय द्वारा पारित आदेश	अन्य कारण	अभ्युक्ति
20	21	22	23	24	25	26

5. नन–बैंकिंग वादों का ब्यौरा 26 बिन्दु प्रपत्र में तैयार कर भेजने के संबंध में

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर को यह निदेश दिया गया कि वे नन–बैंकिंग से संबंधित वादों यथा– सैरात, तकावी, लगान, श्रम अधिनियम इत्यादि के अन्तर्गत दायर वादों को 26 बिन्दु प्रपत्र में तैयार कर इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं भेजी गयी है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ ने ही तत्संबंधी प्रतिवेदन एवं इसकी सी०डी० हस्तगत करायी। अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर ने इसकी सूची आंशिक रूप से तैयार कर भेजा है परन्तु अन्य अनुमण्डलों से यह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। विगत दो बैठकों से यह निदेश जा रहा है कि इसे एक सप्ताह में तैयार कर इसकी सी०डी० / फलौपी अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें परन्तु इसके अनुपालन नहीं किये जाने को काफी गंभीरता से लेते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर से **स्पष्टीकरण** पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर, बाढ़)

6. नीलाम पत्र न्यायालयों का नियमित संचालन करना :

जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को यह निदेश दिया कि वे अगली बार से अपने मासिक प्रतिवेदन में सारे ब्योरे के साथ इसका भी उल्लेख करेंगे कि विगत माह में उनके द्वारा कितने दिन न्यायालय का कार्य किया गया तथा कितने केसों पर सुनवाई की गई। यह ब्यौरा पूर्व में 21 बिन्दु प्रपत्र में साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराया जा रहा था अब मुख्य सचिव, बिहार के निदेशानुसार इसे निम्नांकित 22 बिन्दु प्रपत्र में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी **प्रत्येक पक्ष** यानि **माह की पहली तारीख एवं 15वीं तारीख** को प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में भेंगे।

SL.no.	Name of officer	No. of case pending at the begning of the fortnight		No. of cases heard during the fortnight		No. of cases disposed during the fortnight		No. of cases which recovery made during the fortnight		No. of cases pending at end of the fortnight	
		No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Oldest pending case		Status of Pending Cases							
No. of the case	Amount	Form 7 not served	Talwana not deposted	Other court's instructions	D.W. Issued	B.W. Issued	Death of Certificate debtor	Report of R.O. Wanting	No. of court days
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना जिला / सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला)

7. नीलाम पत्र पदाधिकारीवार / अनुमंडलवार लक्ष्य / उपलब्धि की समीक्षा

जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के लंबित वादों की स्थिति तथा उनके द्वारा माह नवम्बर में वसूल की गई राशि की विस्तृत समीक्षा की तथा जिन लोगों द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रपत्र–7 का तामिला, डी०डब्लू० / बी०डब्लू० निर्गत नहीं किए गए हैं उन्हें तुरंत नीलाम पत्र वादों के नियमित सुनवाई कर इसमें अपेक्षित सुधार लाने का निदेश दिया। **उन्होंने नीलाम पत्र पदाधिकारियों को खासकर बड़े बकायेदार के विरूद्ध समुचित एवं कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया** तथा अपेक्षा की कि अगले माह अपने–अपने न्यायालय में लंबित वादों के निष्पादन की दिशा में कारगर कार्रवाई करेंगे। जिलाधिकारी ने नीलाम–पत्र पदाधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन कर उनके रैंकिंग करने का भी निदेश दिया। इसी प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी भी अपने स्तर के अधिकारियों का उनके कार्यों के आधार पर रैंकिंग करेंगें। रैंकिंग में नीलाम–पत्र पदाधिकारियों द्वारा **अभिलेख में की गयी कार्रवाई, तामिला का अनुश्रवण, न्यायालय का नियमित संचालन, अधियाची विभागों / बैंकों के साथ बैठक, निर्गत बी०डब्लू० की संख्या, वसूली की राशि** इत्यादि बिन्दुओं पर समीक्षा कर अंक निर्धारित करेंगे।

जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारीवार माह जनवरी 2007 का प्रतिवेदन

क्र.	नीलाम का पदाधिकारी का नाम / पदनाम	1.4.06 को लम्बित	1.4.06 को लम्बित वादों में सम्मिलित राशि	2006-2007 में अतिरिक्त वाद ग्रहण		कुल वाद	सम्मिलित राशि	इस माह के पूर्व निष्पादित		इस माह निष्पादित		कुल निष्पादित		कुल लंबित वाद (7-13)	कुल लंबित राशि (8-14)	प्रतिशत	लंबित वादों की स्थिति							
				रायत वाद	सम्मिलित राशि			वादों की संख्या	सम्मिलित राशि	वादों की संख्या	सम्मिलित राशि	वादों की संख्या	सम्मिलित राशि				एक से तीन माह	छः माह	नौ माह	एक वर्ष	दो वर्ष	तीन वर्ष	चार वर्ष	पाँच वर्ष
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	श्री मैथर इमामिलाकुमि	31	10220173.00	-	-	31	10220173.00	6	3008523.00	-	-	6	3008523.00	25	7221650.00	29.41	5	1	-	-	-	6	10	2
2	[illegible] सागर	107	10574875.00	-	-	107	10574878.00	12	105849.00	5	206485.25	17	312334.25	90	10262543.75	2.95	80	3	-	-	-	3	8	-
3	श्री अमला कुमार दास	46	1724693.00	-	-	46	1724693.00	29	602296.74	2	10244.00	31	612540.74	15	1112152.26	35.52	1	-	-	-	-	1	12	1
4	श्री रामदास झा	145	131208241.00	-	-	145	131208241.00	24	5358612.00	9	1198158.00	33	6556770.00	112	124651471.00	5.00	7	-	-	-	14	11	70	9
5	श्रीमती लीला कुमारी	652	18367279.00	-	-	652	18367279.00	28	364255.00	6	132064.00	34	496319.00	618	17870960.00	2.70	425	-	-	-	-	32	118	43
6	श्री अमल कुमार सिंह	202	71961725.68	-	-	202	71961725.68	2	42920864.00	0	1029959.00	2	43950383.00	200	28011342.68	61.07	138	-	-	-	1	35	14	12
7	श्री अरुण कुमार मिश्रा	372	21292256.81	-	-	372	21292256.81	13	487430.58	3	7690.00	16	495120.98	356	20797135.83	2.33	72	-	-	-	-	81	201	2
8	श्री दीपक सिंह	553	12562306.00	20	1571549	573	14133855.00	24	302952.00	19	547736.00	43	850688.00	530	13283167.00	6.02	438	-	-	-	-	11	80	1
9	श्री अनिल कुमार	578	24649331.00	-	-	578	24649331.05	54	278662.00	-	-	54	278662.00	524	24370669.05	1.13	410	-	-	-	-	5	61	48
10	श्री राजेश कुमार	679	13169335.00	-	-	679	13169335.00	9	125367.00	-	-	9	125367.00	670	13043968.00	0.95	123	-	-	-	-	32	81	42
11	श्री गहेन्द्र साह	200	1135899.74	-	-	200	1135899.74	1	4000.00	-	-	1	4000.00	199	1131899.74	0.35	78	-	-	-	-	107	-	-
12	श्री पीत्र स्वरूप	226	31121616.00	-	-	226	31121616.00	14	47907.00	-	-	14	47907.00	212	31073709.00	0.15	-	-	-	-	-	-	-	
13	श्री रामनीश कुमार सिंह	157	16310434.75	-	-	157	16310434.75	53	571051.22	6	8250.00	59	579301.22	98	15731133.53	3.55	15	-	-	-	10	27	46	
14	श्री भगवान कुमार चौधरी	158	2647239.00	-	-	158	2647239.00	-	-	5	68679.00	5	68679.00	153	2578560.00	2.59	114	-	-	-	-	-	24	15
15	श्रीमती रजनी झा	202	5561790.00	-	-	202	5561790.00	11	1093.99	-	-	11	1093.00	191	5560697.00	0.02	119	-	-	-	-	-	-	-
16	श्री सतीश चन्दर	19	16028276.39	-	-	19	16028276.39	3	170000.00	1	55625.00	4	225625.00	15	15802651.39	1.41	-	-	-	-	-	-	-	
17	श्री रामाश्रय यादव अ	157	13746181.00	-	-	157	13746181.00	19	147600.58	-	-	19	147600.58	138	13598580.42	1.07	-	-	-	-	-	-	-	-
18	श्रीमती अनुजा झा	118	23179945.92	-	-	118	23179945.92	2	30910.00	-	1335000.00	2	1365910.00	116	21814035.92	5.89	81	4	-	1	2	3	14	-
19	श्रीमती सीमा सिन्हा	109	508506235.05	-	-	109	508506235.05	-	-	1	3500.00	-	3500.00	105	508502735.05	0.00	3	-	-	-	23	31	39	3
20	श्री अनिल कुमार II	67	61262000.10	-	-	67	61262000.10	-	-	2	5244003.00	2	5244003.00	65	56017997.10	8.56	-	-	-	-	95	-	-	-
21	श्री रविन्द्र कुमार	160	443325854.90	-	-	160	443325854.90	5	23559027.00	45	73805.10	50	23632832.10	110	419693022.80	5.33	81	-	-	-	2	10	12	5
	कुल योग	4938	1439565698.34	20	1571549.00	4968	1440137247.39	309	78086931.51	104	9921226.36	412	88007158.87	4542	1352130081.52	6.11	2190		0.00	1	147	395	790	183

विभिन्न अनुमंडलों का माह जनवरी 2007 तक नीलाम पत्र वादों से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन।

क्र0	अनुमंडल का नाम	कुल वादो की संख्या	संन्हित राशि	विगत माह तक निष्पादित वादो की संख्या	विगत माह तक वसूली की गई राशि	इस माह मे निष्पादित वादों की सं0	इस माह मे वसूल की गई राशि	कुल निष्पादित वादो की संख्या	कुल वसूल की गयी राशि	कुल लंबित वाद	कुल लंबित राशि	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	पटना सदर	10286	326439266.23	247	19710176.11	3	762338.00	250	20472514.11	10036	305966752.12	माह जनवरी के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है परन्तु प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण भेजा गया है।
2	पटना सिटी	4019	269049261.00	346	16049613.00	23	2103159.00	369	18152772.00	3650	250896488.00	माह जनवरी के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है
3	दानापुर	9772	212971722.00	692	18852016.00	20	719650.00	712	19571666.00	9060	193400056.00	माह जनवरी के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है
4	मसौढी	3161	64817440.00	287	7280143.00	4	31670.00	291	7311813.00	2870	57505627.00	माह जनवरी के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है
5	पालीगंज	3118	64240578.00	372	10903914.00	5	107566.00	377	11011480.00	2741	53210812.00	माह जनवरी के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है
6	बाढ	10784	226740665.60	625	22699705.7	121	2220645.00	746	24920350.71	10038	201820314.89	माह जनवरी के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है
	कुल	41140	1164258932.83	2569	95495567.82	176	5945028.00	2745	101440595.8	38395	1062800050.01	

अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन भेजने पर अप्रसन्नता व्यक्ति की एवं बार–बार त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन क्यों भेजा जा रहा है, इसके संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, पालीगंज एवं मसौढी के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि विगत माह इन लोगों ने नीलाम–पत्र वादों के निष्पादन में कोई अभिरूचि नहीं लिया है। इसपर नाराजगी एवं अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि अगर अगले माह इनके निष्पादन/वसूली मे अपेक्षित सुधार नहीं आता है तो सरकार को इस आशय की टिप्पणी प्रेषित की जाय कि इनलोगों के द्वारा नीलाम–पत्र वादों के निष्पादन में अभिरूचि नही ली जाती है।

8. नोटिश तामिला की प्रकिया :

इस सम्बन्ध में विगत माह में दिए गए निदेश की समीक्षा की गई एवं यह स्पष्ट किया गया कि नीलाम पत्र वादों के निष्पादन मे सबसे अहम भूमिका पदचर अनुसेवियों की होती है। इनलोगों के द्वारा इसे गम्भीरता से नहीं लिया जाता है तथा ज्यादातर मामलो में बैठे–बैठे नोटिश के पीछे यह अंकित कर दिया जाता है कि बकायेदार के यहाँ गया और उनके द्वारा नोटिश लेने से इनकार किया गया अथवा उनका कोई पता नहीं चला या गवाही देने से लोगों ने इनकार कर दिया। यह अत्यन्त ही दुःखद परिस्थिति है। इसका कुप्रभाव नीलाम पत्र वादों के निष्पादन पर पडता है। तामिला हेतु एक Mechanism तैयार करने की आवश्यकता है तथा इनमे लगे पदचरों/अनुसेवियों को Motivate करने की भी आवश्यकता है।

अतः यह निदेश दिया गया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी अनुसेवियों द्वारा तामिला कराये गए नोटिश एवं अंकित किए गए प्रतिवेदनों की समीक्षा करें कि उनके द्वारा किन–किन क्षेत्रों में जाकर किन–किन नोटिशों का वास्तविक रूप से तामिला कराया गया है। यह समीक्षा सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी तथा सभी अनुमंडल पदाधिकारी साप्ताहिक रूप से निम्नांकित प्रपत्र में करेंगे।

कमांक	पदचर का नाम	विगत सप्ताह तक लंबित नोटिस/पत्र की सं0	आलोच्च सप्ताह में दिया गया पत्र/नोटिश	कुल पत्र/नोटिश	आलोच्च सप्ताह में तामिला कराये गये पत्र/नोटिश	लंबित पत्र/नोटिश जिनका तामिला नहीं हो सका	लंबित रहने का कारण	अनियुक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09

विगत दो माह से उपरोक्त प्रपत्र में नोटिस तामिला की समीक्षा कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया जा रहा है परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो अत्यन्त ही खेदजनक है। जिलाधिकारी ने अगले माह से प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र को पावरप्वाईट प्रजेन्टेशन में यह भी अंकित करने का निदेश दिया गया कि किन पदाधिकारियों द्वारा इसकी समीक्षा कर उपरोक्त प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजा जा रहा है, उसे भी अंकित करें।

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला)

9. अधियाची विभाग द्वारा निष्पादन में अभिरूचि नहीं लिए जाने के सम्बन्ध में

नीलाम पत्र पदाधिकारियों द्वारा यह उल्लेख किया गया कि जिला स्तर पर विभिन्न अधियाची विभागों को नोटिश तामिला हेतु दिया जा रहा है, परन्तु उन लोगों के द्वारा इसका तामिला कराने में अपेक्षित सहयोग नहीं दिया जाता है तथा यह अंकित कर दिया जाता है कि बकायेदार का पता नहीं मिला एवं अब वे निर्धारित स्थल पर नहीं रहते हैं। यह अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिलाधिकारी द्वारा ऐसे मामलों में अधियाची विभाग के विरूद्ध विभागीय सचिव/बैंक के मुख्य प्रबंधक को लिखने हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को भेजने का निदेश दिया गया तथा इसके पश्चात् धारा 53 (2) के तहत स्पीकिंग ऑर्डर पास करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त करने का निदेश दिया गया। वाद समाप्त करने के पूर्व सम्बन्धित अधियाची विभाग एवं वरीय पदाधिकारियों को इसकी चेतावनी अनिवार्य रूप से दे दी जाए। साथ ही आदेश में यह भी अंकित कर दिया जाय कि अधियाची विभाग ऋणी का सही पता की जानकारी प्राप्त कर न्यायालय को अगर सूचना देता है तो इस वाद की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की जा सकेगी।

(अनुपालन– सभी अनुमण्डलाधिकारी/सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा)

10. बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कार्रवाई :

सभी जिला स्तरीय नीलाम पत्र पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि वे पटना शहर के बड़े बकायेदारों के विरूद्ध निर्गत वॉडी वारण्ट को कार्यान्वयन हेतु वारण्ट **जिला नियंत्रण कक्ष** को प्रेषित करें तथा जिला नियंत्रण कक्ष प्रत्येक दिन अधियाची विभाग के साथ कार्यकम निर्धारित कर दडाधिकारी/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर गिरफ्तार करने हेतु कार्रवाई करेंगे। इसी तरह अनुमण्डल स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर वारण्ट के कार्यान्वयन का निदेश दिया गया तथा इस हेतु अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी एवं थाना के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। 2.00 लाख या इससे उपर के राशि के ऋणियों की सूची सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को हस्तगत करायी गयी तथा जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारियों को भी इन बडे बकायेदारों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। पूरे जिला में जिला स्तरीय नीलाम–पत्र वादों में कुल 124 बकायेदार 2.00 लाख से उपर की राशि के हैं जबकि अनुमण्डल स्तरीय नीलाम–पत्र वादों में इनकी संख्या 265 है। पूरे पटना जिला में 389 बड़े बकायेदार है, जिनकी सूची तैयार कर सभी संबंधित को दी गयी है, पर ध्यान केन्द्रित कर राशि की वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया, चूंकि 70 प्रतिशत सरकारी राशि इन लोगों के जिम्मे ही बकाया है। यह भी निदेश दिया गया कि अगली बैठक से मात्र इन वादों के निष्पादन की वादवार समीक्षा की जाएगी तथा इसका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराया जाय एवं इन केसों का व्यक्तिगत अनुश्रवण किया जाय।

(अनुपालन– सभी अनुमण्डलाधिकारी/सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा)

11. पंजी– IX एवं X का मिलान :

जिलाधिकारी द्वारा पंजी –IX एवं X के मिलान के सम्बन्ध में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की तथा यह निदेश दिया कि अधियाची पदाधिकारियो के साथ बैठक बुलाई जाय एवं 26 बिन्दु प्रपत्र पर बनाए गए विवरण शाखावार/विभागवार तैयार कर इसकी दो प्रति नीलाम पत्र पदाधिकारी अधियाची विभाग/बैंक को हस्तगत करेंगे तथा पुनः अगले सप्ताह एक बैठक बुलाकर उसका एक सत्यापित प्रति जिसमें मिलान कर अद्यतन वसूली अंकित किया गया हो, उसे विभाग ले लेंगे ताकि रिकन्सीलिएशन हो सके। अधियाची पदाधिकारी के साथ आहूत की गयी **बैठक की कार्यवाही अनिवार्य रूप से तैयार की जाय** एवं इसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी भेजी जाय।

यह अत्यन्त ही गम्भीर स्थिति है तथा जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को अपने–अपने अधियाची विभाग की बैठक बुलाकर प्रपत्र IX एवं X का मिलान कराकर विहित प्रपत्र में राशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र लेने का निदेश दिया। यह प्रपत्र सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना जिला)

12. थानावार वारण्टों की सूची तैयार करने के संबंध में :–

जिलाधिकारी द्वारा सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी को अपने–अपने न्यायालय में लंबित वादों को थानावार वर्गीकृत करते हुए एक पंजी संधारित करने का निदेश दिया तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किए जाने का भी निदेश के साथ–साथ **इसकी प्रति जिला को भेजने का निदेश दिया था** परन्तु मसौढी, बाढ, पालीगंज अनुमण्डल एवं कुछ पदाधिकारियों को छोड़ अन्य जगहों से प्राप्त नहीं हो सका है। प्राप्त सूची के अनुसार जिला स्तर पर कुल 678 वारण्ट 44 थानों में निम्नांकित रूप से निर्गत किए गए हैं।

क्रमांक	थाना	वारन्टो की संख्या	क्रमांक	थाना	वारन्टो की संख्या	क्रमांक	थाना	वारन्टो की संख्या
1	कदमकुआँ	22	16	गर्दनीबाग	3	31	दीदारगंज	4
2	कंकड़बाग	11	17	आलमगंज	9	32	फतुही	7
3	अगमकुआँ	3	18	मालसलामी	13	33	सचिवालय	1
4	चोबदरी	1	19	सिगौरी	1	34	खगौल	4
5	खुरकपुर	4	20	पीरबहोर	13	35	श्रीकृष्णपुरी	1
6	बाढ	83	21	नौबतपुर	7	36	मोकामा	93
7	गाँधी मैदान	14	22	जक्कनपुर	3	37	पालीगंज	5
8	कोतवाली	17	23	मनेर	10	38	कृष्णापुरी	1
9	शास्त्रीनगर	4	24	चौक	16	39	बरिआरपुर	92
10	फुलवारी	1	25	मसौढी	22	40	पंडारक	36
11	दिघा	46	26	धनरुआ	28	41	अथमलगोला	18
12	दिघा	4	27	पाटलिपुत्रा	6	42	बेलदारी	6
13	हसनीदह	6	28	सुल्तानगंज	6	43	फुलवारीशरीफ	3
14	बिहटा	14	29	खाजेकलाँ	6	44	दुल्हिनबाजार	15
15	दानापुर	18	30	गौरीचक	1	कुल–	678	

उपरोक्त थाना प्रभारियों को वारण्टों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु निदेश देने के लिए वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना को पत्र निर्गत करने का निदेश जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को दिया गया।

सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी से यह अपेक्षा की गयी कि अब जब सारे अभिलेखों पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है तथा कैसों को जिन्दा कर दिया गया है, डी0डब्लू/बी0डब्लू0 निर्गत करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है, सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी बड़े बकायेदारों के

मामलों का व्यक्तिगत अनुश्रवण कर खुद कुछ मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि बड़े बकायेदार से राशि की वसूली हो सके तथा लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। इसके साथ ही जिन मामलो में वसूली कह गयी है अथवा वाद समाप्त किया गया है, उसकी सूचना भी पाक्षिक प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर भेजें ताकि वेबसाईट में उसे अपडेट किया जा सके। जनवरी माह की वसूली को असंतोषजनक बताते हुए चिन्ता जाहिर की गयी तथा अपेक्षा की गयी कि अगले माह से इसमें पुनः अपेक्षित वृद्धि आएगी तथा सभी पदाधिकारी पूरे मनोयोग के साथ इसके निष्पादन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जिला नीलाम-पत्र पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि वे अगली बैठक से अधियाची विभागों को भी इस बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेंगे तथा दोनों के बीच अधोहस्ताक्षरी के स्तर से समन्वय स्थापित किया जा सके एवं ऐसे मामले जिनमें अधियाची विभागों के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण मामले लंबित है, उसका निष्पादन शीघ्र कराया जा सके।

अन्त में धन्यवाद [illegible] समाप्त की गई।

6.3.2007

(डॉ० बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक 183 /सी०, पटना, दिनांक 06.03.07

प्रतिलिपि – वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना/सभी अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना जिला/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला/प्रभारी दण्डाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना एवं सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6.3.2007

जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक 182 /सी०, पटना, दिनांक 06.03.07

प्रतिलिपि – आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – आयुक्त एवं सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

6.3.2007

जिलाधिकारी, पटना।

C:\Documents and Settings\OSD\Desktop\CERTIFICATE PROCEEDING\Proceeding.doc

दिनांक 30.03.2007 को नीलाम पत्र वादों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला–स्तरीय नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही

1. उपस्थित

1. श्री राजीव कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, पटना
2. श्री मो० राउद, अपर समाहर्ता, नवराल, पटना।
3. श्री के०पी०पाण्डेय, निदेशक,एन०ई०पी०, पटना
4. श्री अरूण कुमार वर्मा, अपर जिला दण्डाधिकारी, आपूर्ति, पटना।
5. श्री सत्य नारायण झा, जिला पं०राज पदा० पटना
6. श्री संजय कुमार, जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना।
7. सुश्री वन्दना प्रेयषी, अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़
8. श्री सुनील कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर।
9. श्री राज किशोर प्रसाद, अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज
10. श्री रावी रंजन, अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर।
11. श्री प्रभात कुमार सिन्हा, अनुमण्डल पदाधिकारी, मसौढ़ी
12. श्री दीपक सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
13. श्री रविन्द्र कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना
14. श्री राजेश कुमार, अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना।
15. डॉ० महेन्द्र पाल, नजारत उप समाहर्ता, पटना।
16. श्री अनिल कुमार–1, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
17. श्रीमती एकता वर्मा, सहायक परि०पदा० पटना।
18. श्री रजनीश कुमार सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
19. श्री मनोज कुमार चौधरी, अ०जिला भू०अर्जन पदा० पटना।
20. श्री एस०एम०परवेज आलम, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
21. श्रीमती अंजुला प्रसाद, सहायक परि०पदा० पटना।
22. श्रीमती सीमा सिन्हा, सहायक परियोजना पदाधिकारी, पटना।
23. श्री अनिल कुमार–2, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
24. श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना।
26. वाणिज्यकर उपायुक्त, पाटलीपुत्रा अंचल, पटना।
27. वाणिज्यकर उपायुक्त, पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना सिटी।
28. वाणिज्यकर उपायुक्त, बाढ़, पटना।
29. वाणिज्यकर उपायुक्त, विशेष अंचल, पटना।
30. सहायक खनन पदाधिकारी, पटना।
31. सहायक आयुक्त उत्पाद, पटना।

अनुपस्थित

1. अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी
2. श्रीमती कुमारी सीमा, अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना।
3. श्री अरूण कुमार सिंह, अपर जि०भू०पदा० पटना।
4. श्री कुमार उदय शंकर सिन्हा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
6. श्री नील कमल, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना।
7. वाणिज्यकर उपायुक्त, पटना पश्चिमी अंचल, पटना।
8. वाणिज्यकर उपायुक्त, पटना उत्तरी अंचल, पटना
9. वाणिज्यकर उपायुक्त, पटना सिटी पश्चिमी अंचल, पटना सिटी।

श्री कुमार उदय शंकर सिन्हा ने बैठक में भाग नहीं लेने की अनुमति ली है। अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी, महामहिम राज्यपाल के कार्यक्रम में व्यस्त हैं। श्रीमती कुमारी सीमा, अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना किशोरी महोत्सव में प्रतिनियुक्त हैं। अतएव इन सभी को छोड़ शेष अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

2. पूर्व बैठक की कार्यवाही का तामिला

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी से यह पृच्छा की गई कि पूर्व की बैठक की कार्यवाही सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को तामिला कराया गया है अथवा नहीं। सभी लोगों ने कार्रवाई प्रतिवेदन प्राप्त होने की सूचना दी। जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके द्वारा तामिला का अनुश्रवण किया गया है तथा सभी पदाधिकारियों को यह शत–प्रतिशत कार्यालय में भेजा जा चुका है। सभी पदाधिकारियों से यह पृच्छा की गयी तो उन्होंने कार्यवाही प्राप्त होने की बात कही।

3. पूर्व बैठक की कार्यवाही का अनुपालन

सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों/अनुमंडल पदाधिकारियों से यह पृच्छा की गई कि क्या उनके द्वारा पूर्व में प्रेषित कार्यवाही का अध्ययन किया गया है अथवा नही? पूर्व में यह निदेश दिया गया था कि बैठक में आने पूर्व कार्यवाही प्रतिवेदन की कंडिकावार समीक्षा कर अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से 5 दिन पूर्व जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को भेजें ताकि इसे संकलित कर बैठक में समीक्षा हेतु रखा जा सके। अगली बार सभी पदाधिकारियों को शत–प्रतिशत कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन भेजने

का निदेश दिया गया तथा यह **बैठक के दिन हस्तगत नहीं कराने** का निदेश पूर्व में भी दिया गया था इसके बावजूद बैठक के दिन इसे हस्तगत कराने पर नाराजगी जाहिर की गयी एवं भविष्य में इसके अनुपालन अप्राप्त सूची में रखने का निदेश दिया गया। इसके साथ ही जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि वे अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने वालों को पावती निर्गत करें तथा संबंधित पदाधिकारी पावती के साथ बैठक में उपस्थित हों। इसके साथ ही जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को आदेश दिया कि जिन लोगों के यहां से अनुपालन प्राप्त/अप्राप्त है, उनकी सूची एवं गुणवत्ता को देखते हुए इसे कार्यवाही प्रतिवेदन में शामिल करें। अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षावार स्थिति निम्न है :–

क0	नीलाम–पत्र पदाधिकारी का नाम	फरवरी 2007 की बैठक के कार्यवाही का अनुपालन	फरवरी 2007 में किए गए न्यायालय दिवसों की संख्या	पंजी IX एवं X का मिलान	थानावार वारण्टों की सूची का प्रेषण	अधियाची पदाधिकारी के साथ विगत माह की गयी बैठक	निर्गत सूचनाओं के तामिला का अनुश्रवण	2.00 लाख से उपर के बकायेदारों की सूची एवं उानके विरूद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.	श्री मो0 सउद	प्राप्त	08	नहीं	हॉ	अप्राप्त	हॉ	प्राप्त
2.	श्री अरूण कुमार वर्मा	प्राप्त	अप्राप्त	किया गया	प्राप्त	नहीं	किया गया	प्राप्त
3.	श्री सत्यनारायण झा	प्राप्त	अप्राप्त	नहीं	प्राप्त	अप्राप्त	किया गया	प्राप्त
4.	श्रीमती सीमा कुमारी	प्राप्त	04	नहीं	प्राप्त	किया गया	किया गया	2.00 लाख से उपर के कोई बकायेदार नहीं है।
5.	श्री अरूण कुमार सिंह	प्राप्त	03	हां	प्राप्त	नहीं	किया गया	प्राप्त
6.	श्री कुमार उदयशंकर सिन्हा	प्राप्त	04	नहीं	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
7.	श्री दीपक सिंह	प्राप्त	04	किया गया	प्राप्त	हां	किया गया	प्राप्त
8.	श्री अनिल कुमार–1	प्राप्त	अप्राप्त	किया गया	अप्राप्त	किया गया	अप्राप्त	प्राप्त
9.	श्री राजेश कुमार	प्राप्त	04	नहीं	प्राप्त	किया गया	किया गया	2.00 लाख से उपर के कोई बकायेदार नहीं है।
10.	डॉ0 महेन्द्र पाल	प्राप्त	01	संबंधित नहीं	अप्राप्त	अप्राप्त	किया गया	अप्राप्त
11.	श्री नील कमल	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
12.	श्री रजनीश कुमार सिंह	प्राप्त	सप्ताह में 02 दिन	नहीं	प्राप्त	नहीं	अप्राप्त	2.00 लाख से उपर के कोई बकायेदार नही है।
13.	श्री मनोज कुमार चौधरी	प्राप्त	04	नहीं	प्राप्त	किया गया	किया गया	तथैव
14.	श्रीमती एकता वर्मा	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त
15.	श्री के0 पी0 पाण्डेय	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
16.	श्री एस0एम0 परवेज आलम	प्राप्त	अप्राप्त	नहीं	अप्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
17.	श्रीनती अंजुला प्रसाद	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त
18.	श्रीमती सीना सिन्हा	अप्राप्त	अप्राप्त	नहीं	प्राप्त	नही	किया गया	प्राप्त
19.	श्री अनिल कुमार–2	प्राप्त	08	हां	अप्राप्त	हॉ	किया गया	प्राप्त
20.	श्री रबीन्द्र कुमार	प्राप्त	04	हां	प्राप्त	हां	किया गया	प्राप्त

21.	अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़	प्राप्त	अप्राप्त	हां	प्राप्त	प्राप्त	किया गया	अप्राप्त
22.	अनुमण्डल पदा0 दानापुर	प्राप्त	अप्राप्त	नही	प्राप्त	नहीं	किया गया	प्राप्त
23.	अनुमण्डल पदा0 मसौढ़ी	प्राप्त	अप्राप्त	नहीं	प्राप्त	किया गया	किया गया	अप्राप्त
24.	अनुमण्डल पदा0 पालीगंज	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त
25.	अनुमण्डल पदा0 पटना सिटी	अप्राप्त	अप्राप्त	नहीं	अप्राप्त	अप्राप्त	किया गया	अप्राप्त
26.	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त

पत्रांक 184 दिनांक 08.03.2007 से दिए गए निदेश के आलोक में लाये गये पंजी/कागजातों की समीक्षा

क0	नीलाम–पत्र पदाधिकारी का नाम	2.00 लाख से उपर के बकायेदारों से संबंधित अभिलेख	कोर्ट डायरी	विगत माह निष्पादित वादों का अभिलेख	नोटिस तामिला संबंधी प्रतिवेदन (विहित प्रपत्र में)	काउज लिस्ट की प्रति	जिलाधिकारी द्वारा समीक्षोपरान्त दिए गए निदेश
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	श्री मो0 सउद	लाये हैं	लाये हैं	लाये हैं	अप्राप्त	लाये हैं	संतोषप्रद नहीं है।
2.	श्री अरूण कुमार वर्मा	लाये हैं	लाये हैं	लाये हैं	अप्राप्त	लाये हैं	संतोषप्रद। प्रयास बनाये रखने की आवश्यकता है।
3.	श्री सत्यनारायण झा	लाये हैं	लाये हैं	लाये हैं	अप्राप्त	लाये हैं	लक्ष्य गलत है। इसे ठीक करने पर प्रतिशत उपलब्धि संतोषजनक
4.	श्रीमती सीमा कुमारी	अनुपस्थित। समीक्षा नहीं हो सकी।					असंतोषप्रद
5.	श्री अरूण कुमार सिंह	अनुपस्थित। समीक्षा नहीं हो सकी।					उपलब्धि उत्कृष्ट
6.	श्री कुमार उदयशंकर सिन्हा	अनुपस्थित। समीक्षा नहीं हो सकी।					प्रयास की आवश्यकता
7.	श्री दीपक सिंह	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	संतोषप्रद नहीं
8.	श्री अनिल कुमार–1	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	असंतोषप्रद
9.	श्री राजेश कुमार	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	निन्दनीय। स्पष्टीकरण
10.	डॉ0 महेन्द्र पाल	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	निन्दनीय। स्पष्टीकरण
11.	श्री नील कमल	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	असंतोषजनक/स्पष्टीकरण
12.	श्री रजनीश कुमार सिंह	–	संधारित नहीं है	नहीं लाये	नहीं लाये	संधारित नहीं	असंतोषप्रद
13.	श्री मनोज कुमार चौधरी	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	असंतोषप्रद
14.	श्रीमती एकता वर्मा	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	निन्दनीय। स्पष्टीकरण
15.	श्री के0 पी0 पाण्डेय	नहीं लाये	नहीं लाये	नही लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	असंतोषप्रद
16.	श्री एस0एम0 परवेज आलम	लाये हैं	लाये हैं	लाये हैं	नहीं लाये	लाये हैं	उत्कृष्ट
17.	श्रीमती अजुला प्रसाद	लायीं	संधारित नहीं	लायीं	नहीं लायीं हैं	लायी हैं	अच्छा
18.	श्रीमती सीमा सिन्हा	लायी हैं	लायी हैं	लायीं हैं	अप्राप्त	लायी हैं	निन्दनीय। स्पष्टीकरण
19.	श्री अनिल कुमार–2	लाये हैं	लाये हैं	लाये हैं	अप्राप्त	लाये हैं	संतोषप्रद
20.	श्री रवीन्द्र कुमार	लाये हैं	लाये हैं	लाये हैं	अप्राप्त	लाये हैं	संतोषप्रद

21.	सुश्री वन्दना प्रेयषी, अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़	नहीं लायीं	नहीं लायी	नहीं लायीं	नहीं लायीं	नहीं लायी	उपलब्धि संतोषप्रद। अनुदेश के अनुपालन की स्थिति ठीक नहीं।
22.	श्री सुनील कुमार अनुमण्डल पदा0 दानापुर	लाये है	लाये है	लाये हैं	अप्राप्त	लाये हैं	उपलब्धि औसत
23.	श्री प्रभात कुमार सिन्हा अनुमण्डल पदा0 मसौढ़ी	लाये हैं	लाये हैं	लाये हैं	अप्राप्त	लाये हैं	प्रयास अच्छा है। तेजी की आवश्यकता है।
24.	श्री राज किशोर प्रसाद अनुमण्डल पदा0 पालीगंज	लाये हैं	लाये हैं	लाये है	अप्रापत	लाये है	प्रयास अच्छा है। तेजी की आवश्यकता है।
25.	श्री अजय कुमार सिन्हा अनुमण्डल पदा0 पटना सिटी	अनुपस्थित। समीक्षा नहीं हो सकी।					उपलब्धि साधारण। गंभीर प्रयास की आवश्यकता है।
26.	श्री रवी रंजन अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	नहीं लाये	असंतोषजनक/स्पष्टीकरण

सभी पदाधिकारियों को यह स्पष्ट किया गया कि जिन लोगों के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। उनके वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में उसी प्रकार का अभिलेखन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाएगा एवं जिन लोगों के द्वारा कार्यों के प्रति रूचि नहीं ली जा रही है, उनके वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में इस बात को दर्ज करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन सरकार को भेजा जाएगा।

(अनुपालन– सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

4. नीलाम पत्र वादों का कम्प्यूटराइजेशन

जिलाधिकारी द्वारा यह सूचना दी गयी कि इस जिले के सभी नीलाम–पत्र वादों के ब्यौरे को बेवसाईट पर जारी कर दिया गया है। इसका बेवसाईट **http\\.patna.bih.nic.in** है। यह अत्यन्त ही प्रसन्नता की बात है कि पिछले कई महीनों से इस दिशा में किए जा रहे प्रयास अन्ततः सफल हुआ है तथा नीलाम–पत्र न्यायालयों मे चल रहे वादों के संबंध में कोई भी व्यक्ति कही से भी जानकारी प्राप्त कर सकेगा। इसके **Usable Form** में सुधार की आवश्यकता है, चूंकि केस संख्या देने पर ब्यौरा प्राप्त होता है, परन्तु अन्य ऑप्शन देने पर इसका ब्यौरा प्राप्त नहीं होता है। इस संबंध में जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एवं राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी को साइट को सुधारने हेतु पत्र निर्गत किया गया है। जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को पुनः स्मारित कर इसे सुधार कराने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

इस डाटा को हमेशा अपडेट किए जाने की जरूरत है, इसके लिए सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारियों एवं अनुमण्डल पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वे वैसे **सभी वादों जिसके संबंध में निष्पादन अथवा वसूली की सूचना दी जा रही है, को 26 बिन्दु प्रपत्र में अंकित करते हुए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से भेजें** ताकि बेवसाईट में वादों की अद्यतन स्थिति को अंकित करते हुए अपडेट किया जा सके अर्थात् जब भी वादों के निष्पादन/राशि की वसूली की सूचना जिला को दी जाती है तो इसके साथ उन वादों का पूर्ण ब्यौरा अवश्य संलग्न किया जाय।

(अनुपालन– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर/सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा/सभी पेशकार)

26 बिन्दु प्रपत्र

नीलाम–पत्र न्यायालय का नाम

क्रमांक	अधियाची विभाग का नाम	अधियाची विभाग का मुख्यालय	वाद संख्या	वर्ष	देनदार का नाम	पिता का नाम	ग्राम/ महल्ला	वार्ड/ पंचायत का नाम	थाना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रखंड	सन्निहित राशि	दायर करने की तिथि	प्रपत्र–7 में नोटिश निर्गत करने की तिथि	डी/ डब्लु निर्गत करने की तिथि	वी0/डब्लु निर्गत करने की तिथि	वसूली की गई राशि।		अवशेष वसूलनीय राशि
						राशि	तिथि	
11	12	13	14	15	16	17	18	19

लंबित रहने के कारण

प्रपत्र–7के नोटिश का तामिला अप्राप्त	देनदार की मृत्यु	गलत पता	तलवाना की राशि जमा नहीं	अन्य न्यायालय द्वारा पारित आदेश	अन्य कारण	अन्युक्ति
20	21	22	23	24	25	26

5. नन–बैंकिंग वादों का ब्यौरा 26 बिन्दु प्रपत्र में तैयार कर भेजने के संबंध में

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर को यह निदेश दिया गया कि वे नन–बैंकिंग से संबंधित वादों यथा– सैरात, तकावी, लगान, श्रम अधिनियम इत्यादि के अन्तर्गत दायर वादों को 26 बिन्दु प्रपत्र में तैयार कर इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं भेजी गयी है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ ने ही तत्संबंधी प्रतिवेदन एवं इसकी सी0डी0 हस्तगत करायी है। अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर ने इसकी सूची आंशिक रूप से तैयार कर भेजा है परन्तु अन्य अनुमण्डलों से यह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। विगत दो बैठकों से यह निदेश जा रहा है कि इसे एक सप्ताह में तैयार कर इसकी सी0डी0/फलौपी अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें परन्तु इसके अनुपालन नहीं किये जाने को काफी गंभीरता से लेते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर से **स्पष्टीकरण** पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर, बाढ़)

6. नीलाम पत्र न्यायालयों का नियमित संचालन करना :

जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को यह निदेश दिया कि वे अगली बार से अपने मासिक प्रतिवेदन में सारे ब्योरे के साथ इसका भी उल्लेख करेंगे कि विगत माह में उनके द्वारा कितने दिन न्यायालय का कार्य किया गया तथा कितने केसों पर सुनवाई की गई। यह ब्यौरा पूर्व में 21 बिन्दु प्रपत्र में साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराया जा रहा था अब मुख्य सचिव, बिहार के निदेशानुसार इसे निम्नांकित 22 बिन्दु प्रपत्र में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी **प्रत्येक पक्ष यानि माह की पहली तारीख एवं 15वीं तारीख** को प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में भेंगे।

Sl..no.	Name of officer	No. of case pending at the begning of the fortnight		No. of cases heard during the fortnight		No. of cases disposed during the fortnight		No. of cases which recovery made during the fortnight		No. of cases pending at end of the fortnight	
		No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Oldest pending case		Status of Pending Cases							
No. of the case	Amount	Form 7 not served	Talwana not deposted	Other court's instructions	D.W. Issued	B.W. Issued	Death of Certificate debtor	Report of R.O. Wanting	No. of court days
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/ सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला)

7. नीलाम पत्र पदाधिकारीवार/अनुमंडलवार लक्ष्य/उपलब्धि की समीक्षा

जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के लंवित वादों की स्थिति तथा उनके द्वारा माह फरवरी में वसूल की गई राशि की विस्तृत समीक्षा की तथा जिन लोगों द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रपत्र–7 का तामिला, डी0डब्लू0/बी0डब्लू0 निर्गत नहीं किए गए हैं उन्हें तुरंत नीलाम पत्र वादों के नियमित सुनवाई कर इसमें अपेक्षित सुधार लाने का निदेश दिया। **उन्होंने नीलाम पत्र पदाधिकारियों को खासकर बड़े बकायेदार के विरूद्ध समुचित एवं कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया** तथा अपेक्षा की कि अगले माह अपने–अपने न्यायालय में लंवित वादों के निष्पादन की दिशा में कारगर कार्रवाई करेंगे। जिलाधिकारी ने नीलाम–पत्र पदाधिकारियों के कार्यो का मूल्यांकन कर उनके रैंकिंग करने का भी निदेश दिया। इसी प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी भी अपने स्तर के अधिकारियों का उनके कार्यो के आधार पर रैंकिंग करेंगें। रैंकिंग में नीलाम–पत्र पदाधिकारियों द्वारा **अभिलेख में की गयी कार्रवाई, तामिला का अनुश्रवण, न्यायालय का नियमित संचालन, अधियाची विभागों/बैंकों के साथ बैठक, निर्गत बी0डब्लू0 की संख्या, वसूली की राशि** इत्यादि विन्दुओं पर समीक्षा कर अंक निर्धारित करेंगे।

(अनुपालन :– अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर/प्रभारी पदाधिकारी नीलाम–पत्र शाखा)

जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारीवार माह फरवरी 2007 का प्रतिवेदन

क्र0	नीलाम पत्र पदाधिकारी का नाम / पदनाम	1.4.06 को लम्बित	1.4.06 को लम्बित वादों में सन्निहित राशि	2006–2007 से प्रतिवेदित माह तक		कुल वाद	सन्निहित राशि	इस माह के पूर्व निष्पादित		इस माह निष्पादित		कुल निष्पादित		कुल लंबित वाद (7–13)	कुल लंबित राशि (8–14)	प्रतिशत उपलब्धि	लंबित वादो की स्थिति								
				दायर वाद	सन्निहित राशि			वादो की सं0	सन्निहित राशि	वादो की सं0	सन्निहित राशि	वादो की सं0	सन्निहित राशि				प्रपत्र–7 के तामिला अप्राप्त	देनदार की मृत्यु	गलत पता	तलबाना की राशि जमा	अन्य न्यायालय द्वारा पारित	अधियाची पदाधिकारी से प्रतिवेदन	डी0 डब्लू	बी0 डब्लू	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	श्री सैयद इमतियाजुद्दीन	31	10230173	-	-	31	10230173	6	3008523	-	-	6	3008523	25	7221650	29.41	5	1	-	-	-	-	6	10	
2	गो0 राउद	107	10574875.00	-	-	107	10574875.00	17	312334.25	0	0.00	17	312334.25	90	10262540.75	2.95	80	3	-	-	-	3	8	-	
3	श्री अरूण कुमार वर्मा	46	1724693.00	-	-	46	1724693.00	31	612540.74	2	29329.43	33	641870.17	13	1082822.83	37.22	1	-	-	-	-	1	10	1	
4	श्री एस0एन0 झा	145	131208241.00	-	-	145	131208241.00	34	6917015.00	1	258480.00	35	7175495.00	110	124032746.00	5.47	6	-	11	-	14	-	70	6	
5	श्रीमती सीमा कुमारी	652	18367279.00	-	-	652	18367279.00	34	496319.00	0	0.00	34	496319.00	618	17870960.00	2.70	425	-	-	-	-	32	118	43	
6	श्री अरूण कुमार सिंह	202	71961725.68	-	-	202	71961725.68	2	43950383.00	1	309822.00	3	44260205.00	199	27701520.68	61.51	137	-	-	-	1	35	14	12	
7	श्री उदय शंकर सिन्हा	372	21292256.81	-	-	372	21292256.81	16	495120.98	14	575382.00	30	1070502.98	342	20221753.83	5.03	58	-	-	-	-	81	201	2	
8	श्री दीपक सिंह	573	14133855.00	-	-	573	14133855.00	43	850688.00	0	0.00	43	850688.00	530	13283167.00	6.02	438	-	-	-	-	11	80	1	
9	श्री अनिल कुमार	578	24649331.00	-	-	578	24649331.05	54	278662.00	0	0.00	54	278662.00	524	24370669.05	1.13	410	-	-	-	-	5	61	48	
10	श्री राजेश कुमार	679	13169335.00	-	-	679	13169335.00	9	125367.00	0	0.00	9	125367.00	670	13043968.00	0.95	505	-	-	-	-	42	81	42	

क्र0	नीलाम पत्र न्यायाधिकारी का नाम / पदनाम	1.4.06 को लम्बित	1.4.06 को लम्बित वादों में सम्बन्धित राशि	2006-2007 के प्रतिवेदित माह तक		कुल वाद	सम्बन्धित राशि	इस माह के पूर्व निष्पादित		इस माह निष्पादित		कुल निष्पादित		कुल लंबित वाद (7-13)	कुल लंबित राशि (8-14)	प्रतिशत उपलब्धि	लंबित वादों की स्थिति							
				दायर वाद	सम्बन्धित राशि			वादों की संख्या	सम्बन्धित राशि	वादों की संख्या	सम्बन्धित राशि	वादों की संख्या	सम्बन्धित राशि				2003-7 से सम्बन्धित अवधान	देयक की कुल	पत्रक	प्रतिवेदन की तिथि तक	इस माह प्रतिवेदन	अधिकारी न्यायाधिकारी के प्रतिवेदन	देय वाद	बंद वाद	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	श्री अरुण कुमार	200	1135899.74	-	-	200	1135899.74	1	4000.00	0	0.00	1	4000.00	199	1131899.74	0.35	78	-	-	-	-	107	-	-	
2	श्री नीरज रंजन	226	31121616.00	-	-	226	31121616.00	14	47907.00	0	0.00	14	47907.00	212	31073709.00	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	श्री राजनीश कुमार सिंह	157	16310434.75	-	-	157	16310434.75	59	579301.22	0	0.00	59	579301.22	98	15731133.53	3.55	15	-	-	-	10	27	46		
4	श्री मनोज कुमार चौधरी	158	2647239.00	-	-	158	2647239.00	5	68679.00	0	0.00	5	68679.00	153	2578560.00	2.59	114	-	-	-	-	-	24	15	
5	श्रीमती रेवती वर्मा	202	5561790.00	-	-	202	5561790.00	11	1093.00	-		11	1093.00	191	5560697.00	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	श्री सोनेलाल प्रसाद	19	16028276.39	-	-	19	16028276.39	3	170000.00	1	55625.00	4	225625.00	15	15802651.39	1.41	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	श्री रवीन्द्र प्रसाद आर्य	157	13746181.00	-	-	157	13746181.00	19	147600.58	2	7888826.00	19	8036426.58	138	5709754.42	58.46	91	3	-	-	1	4	-	-	
8	श्रीमती अनुराधा प्रसाद	118	23179945.92	-	-	118	23179945.92	2	1365910.00	0	1684893.00	2	3050803.00	116	20129142.92	13.16	79	4	-	2	2	3	14	1	
9	श्रीमती कविता सिन्हा	109	508506235.05	5	6492134	114	514998369.05	0	3500.00	0	0.00	0	3500.00	114	514994869.05	0.00	3	-	-	-	23	31	49	3	
10	श्री अनिल कुमार II	67	61262000.10	-	-	67	61262000.10	2	5244003.00	1	39000.00	3	5283003.00	64	55978997.10	8.62	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	श्री संजीव कुमार	160	443325854.90	-	-	160	443325854.90	50	23632832.10	2	214498.36	52	23847330.46	108	419478524.44	5.38	81	-	-	-	2	10	12	5	
	कुल योग	4958	1440137737.34	5	6492134.00	4963	1446629871.34	417	80311770.87	24	11056856.79	431	91368626.66	4529	1347261737	6.87	2926	11	11	2	53	202	704	101	

विभिन्न अनुमंडलों का माह फरवरी 2007 तक नीलाम पत्र वादों से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन।

क्र0	अनुमंडल का नाम	कुल वादों की संख्या	सम्बन्धित राशि	विगत माह तक निष्पादित वादों की संख्या	विगत माह तक वसूली की गई राशि	इस माह में निष्पादित वाद	इस माह में वसूली गई राशि	कुल निष्पादित वादों की संख्या	कुल वसूल की गयी राशि	कुल लंबित वाद	कुल लंबित राशि	प्रतिशत	अभिव्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पटना सदर	10298	329642679.23	234	19151668.11	2	494032.76	236	19645700.87	10062	310491011.12	5.96	माह फरवरी 2007 के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है। परन्तु प्रतिवेदन अपूर्ण भेजा गया है।
2	पटना सिटी	4019	269049259	369	18152772.00	5	435451.00	374	18588223.00	3645	250461036.00	6.91	माह फरवरी के प्रतिवेदन अप्राप्त है।
3	दानापुर	9060	193400056.00	712	19571666.00	45	1067904.00	757	20639570.00	9015	192392152.00	10.67	माह फरवरी, 2007 के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संकलित किया गया है
4	बख्तियारपुर	3161	64817440.00	291	7311813.00	16	305207.00	307	7617020.00	2854	57200420.00	11.75	माह फरवरी के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संकलित किया गया है
5	पालीगंज	3118	64240578.00	377	11011480.00	12	244445.00	389	11255925.00	2729	252984653.00	17.52	माह फरवरी के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संकलित किया गया है
6	बाढ़	10784	226740565.60	746	24920351.48	194	3979117.45	940	28899468.93	9844	197841196.67	12.75	माह फरवरी के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर संकलित किया गया है
	कुल	40440	1147890677.83	2729	100119750.59	274	6526157.21	3003	106645907.8	38149	1261370468.79	9.29	

नीलाम–पत्र पदाधिकारीवार माह फरवरी, 2007 तक लक्ष्य के विरूद्ध प्रतिशत उपलब्धि

(वित्तीय)

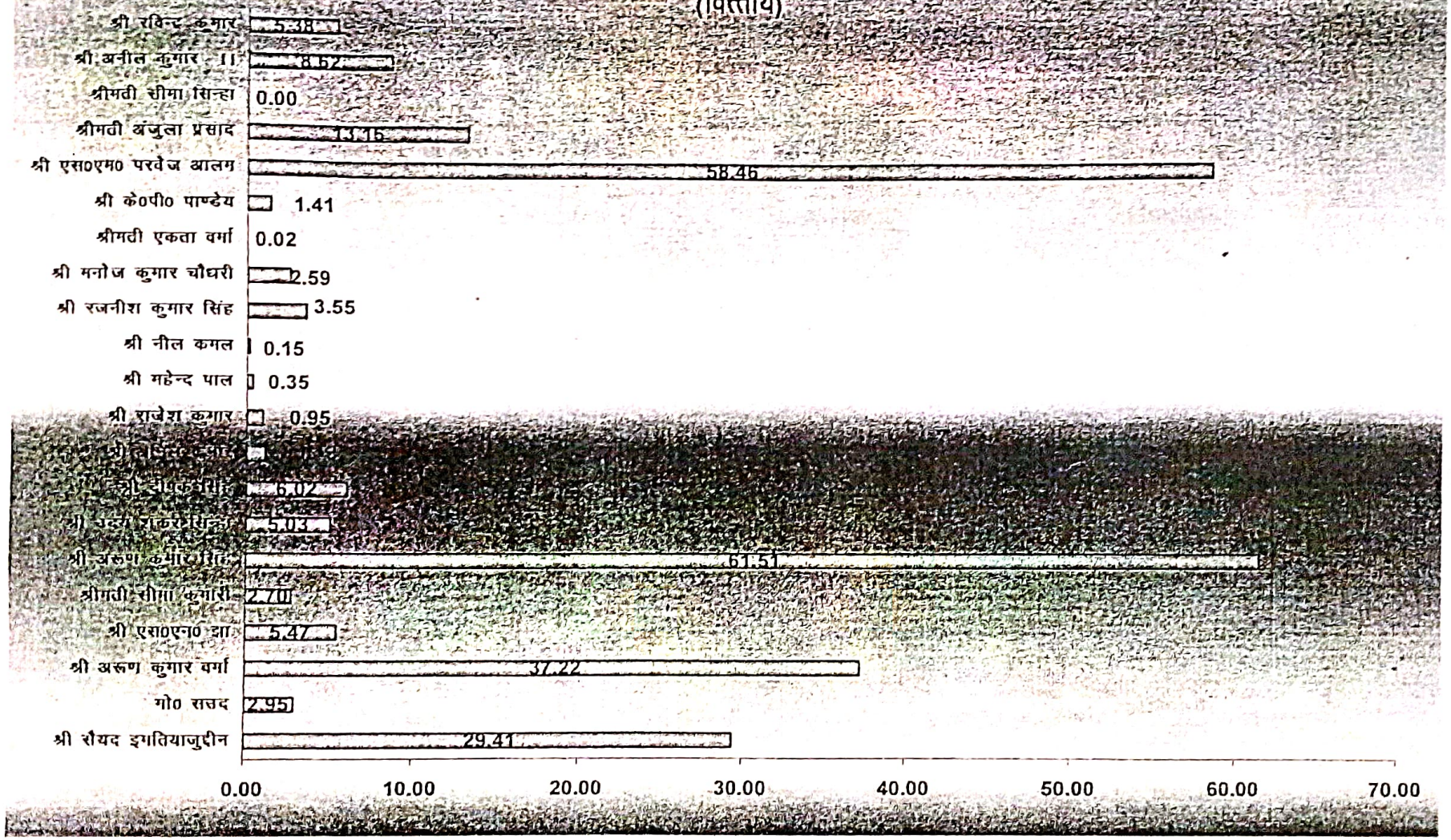

नीलाम–पत्र पदाधिकारीवार माह फरवरी 2007 में वसूल की गयी राशि

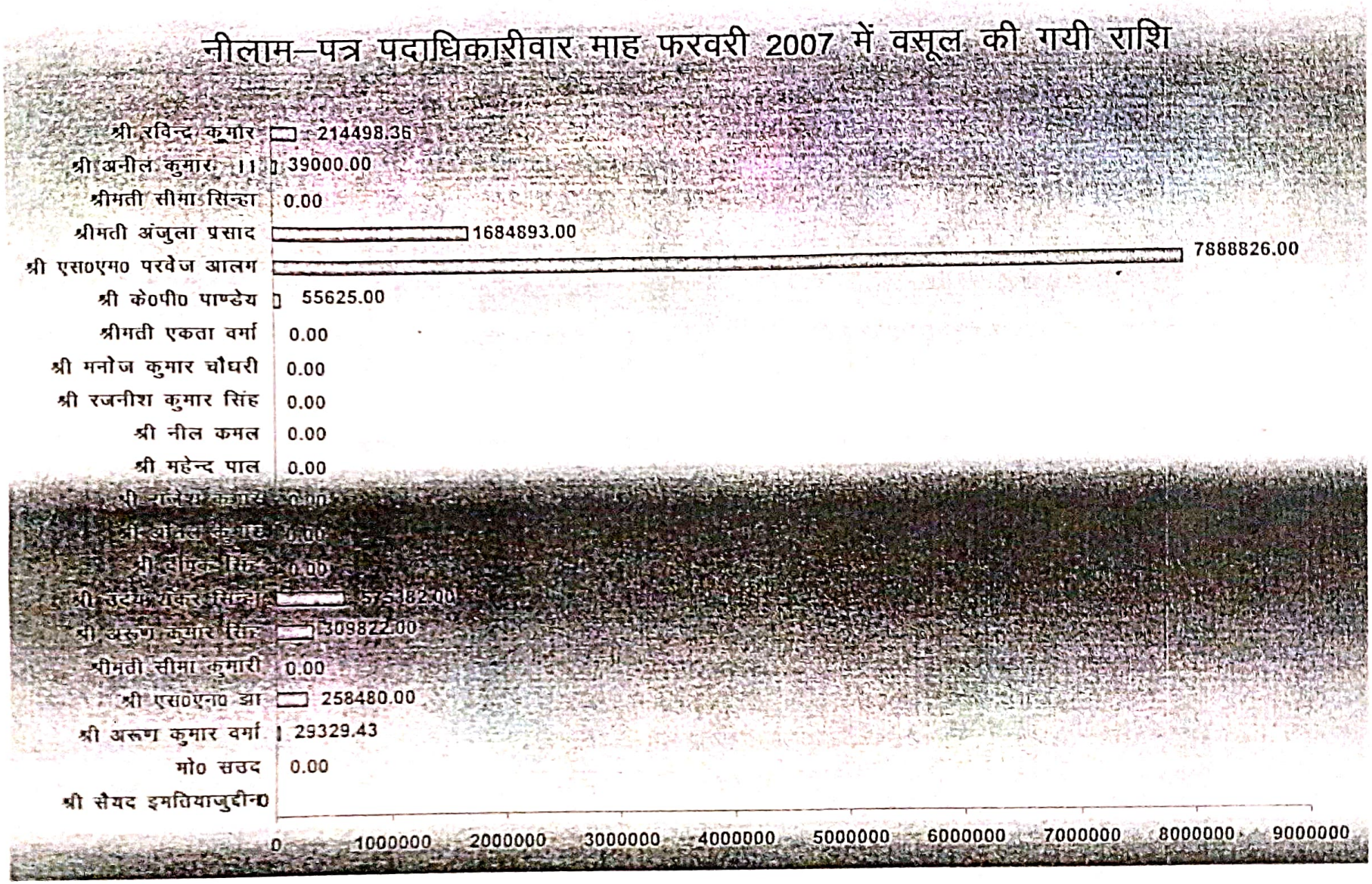

अनुमण्डलवार माह फरवरी 2007 तक लक्ष्य के विरूद्ध प्रतिशत उपलब्ध
(2006-2007)

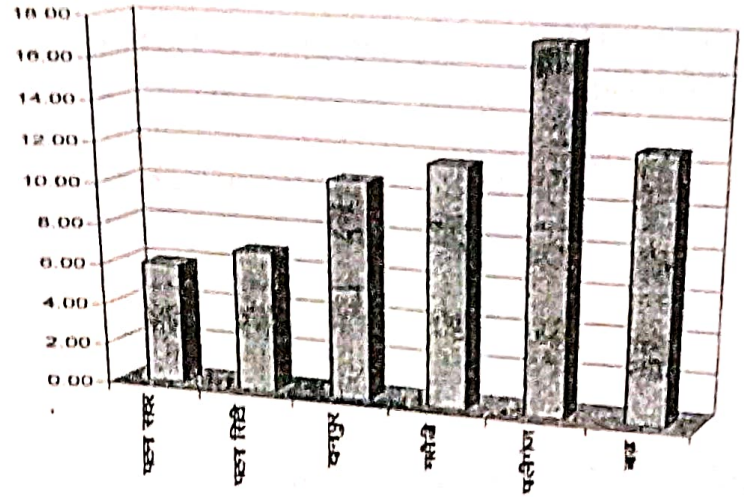

अनुमण्डलवार नीलाम–पत्र वादों में माह फरवरी 2007 तक वसूल की गयी राशि
(2006-2007)

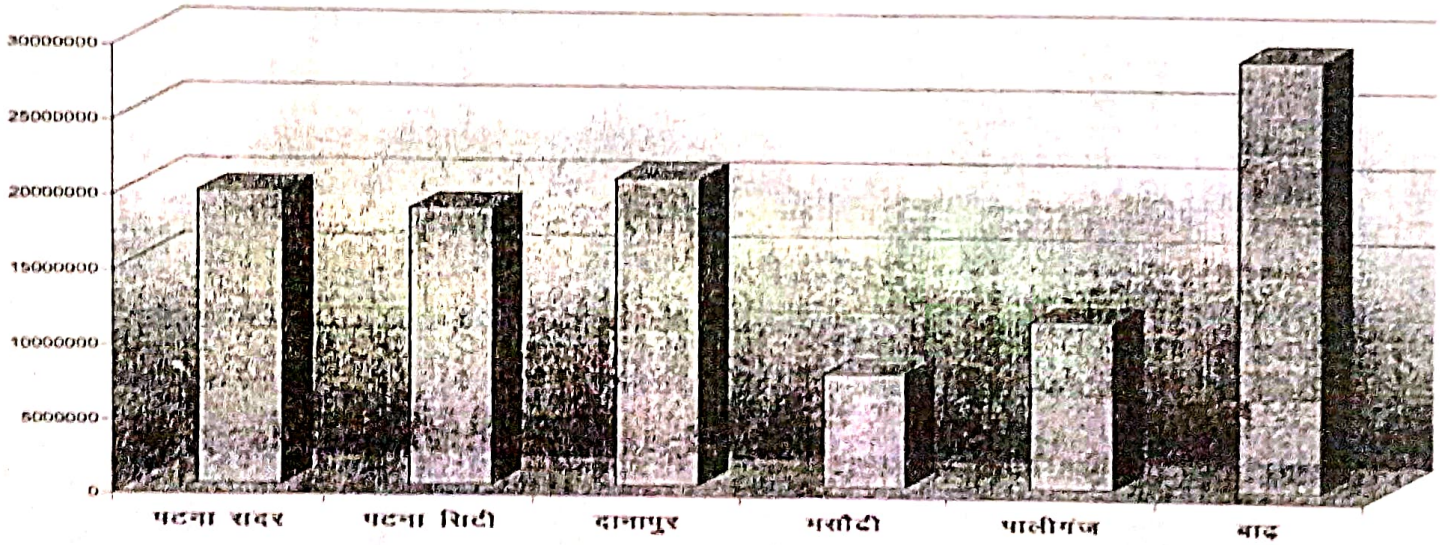

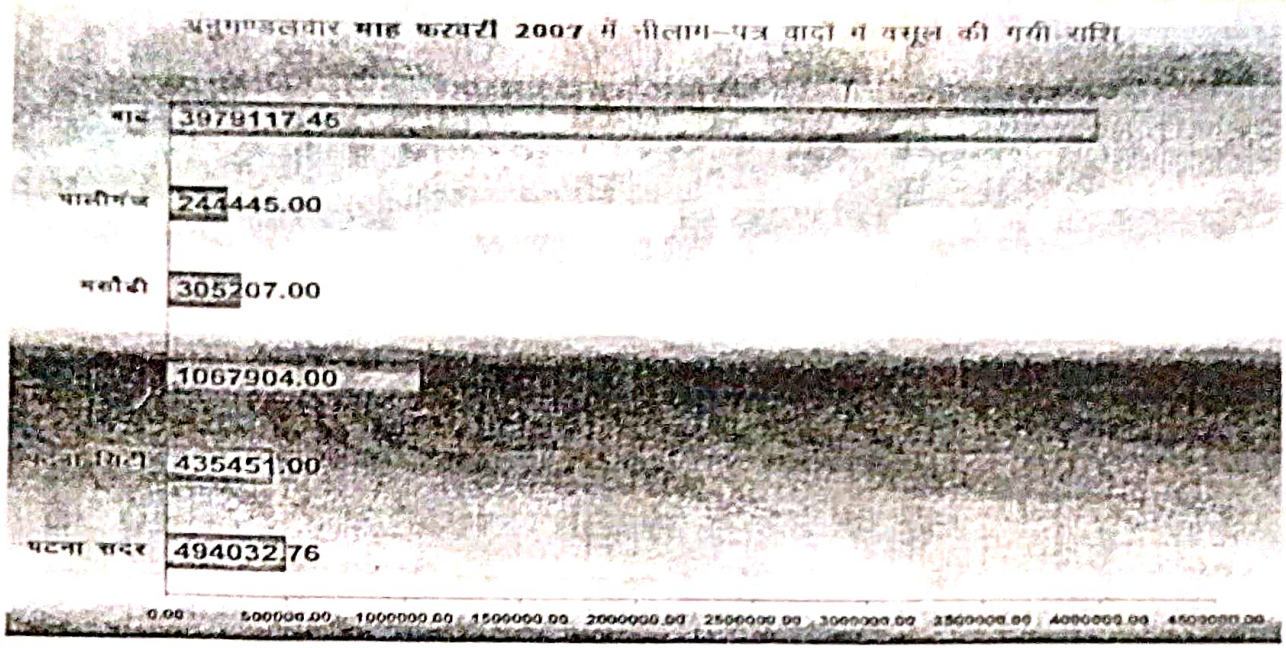

अनुमण्डलवार माह फरवरी 2007 तक निष्पादित नीलाम–पत्र वादों की संख्या

(2006-07)

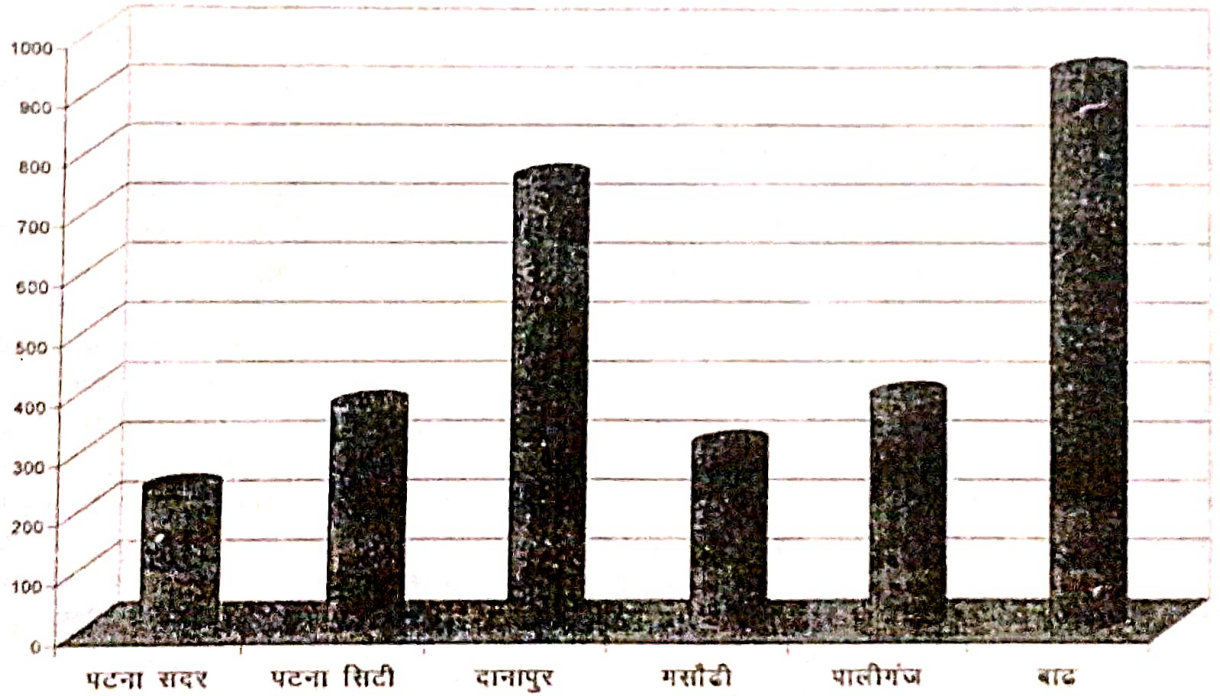

अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन भेजने पर अप्रसन्नता व्यक्ति की एवं बार–बार त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन क्यों भेजा जा रहा है, इसके संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया। **अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, पटना सिटी, पालीगंज एवं मसौढ़ी के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि विगत माह इन लोगों ने नीलाम–पत्र वादों के निष्पादन में कोई अभिरूचि नहीं लिया है।** इसपर **नाराजगी एवं अप्रसन्नता** व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि अगर अगले माह इनके निष्पादन/वसूली में अपेक्षित सुधार नहीं आता है तो सरकार को इस आशय की टिप्पणी प्रेषित की जाय कि इनलोगों के द्वारा नीलाम–पत्र वादों के निष्पादन में अभिरूचि नहीं ली जाती है।

8. नोटिश तामिला की प्रक्रिया :

इस सम्बन्ध में विगत माह में दिए गए निदेश की समीक्षा की गई एवं यह स्पष्ट किया गया कि नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में सबसे अहम भूमिका पदचर अनुसेवियों की होती है। इनलोगों के द्वारा इसे गम्भीरता से नहीं लिया जाता है तथा ज्यादातर मामलों में बैठे–बैठे नोटिश के पीछे यह अंकित कर दिया जाता है कि बकायेदार के यहाँ गया और उनके द्वारा नोटिश लेने से इनकार किया गया अथवा उनका कोई पता नहीं चला या गवाही देने से लोगों ने इनकार कर दिया। यह अत्यन्त ही दुःखद परिस्थिति है। इसका कुप्रभाव नीलाम पत्र वादों के निष्पादन पर पड़ता है। तामिला हेतु एक Mechanism तैयार करने की आवश्यकता है तथा इनमें लगे पदचरों/अनुसेवियों को Motivate करने की भी आवश्यकता है।

अतः यह निदेश दिया गया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी अनुसेवियों द्वारा तामिला कराये गए नोटिश एवं अंकित किए गए प्रतिवेदनों की समीक्षा करें कि उनके द्वारा किन–किन क्षेत्रों में जाकर किन–किन नोटिशों का वास्तविक रूप से तामिला कराया गया है। यह समीक्षा सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी तथा सभी अनुमंडल पदाधिकारी साप्ताहिक रूप से निम्नांकित प्रपत्र में करेंगे।

क्रमांक	पदचर का नाम	विगत सप्ताह तक लंबित नोटिस/पत्र की सं०	आलोच्च सप्ताह मे दिया गया पत्र/नोटिश	कुल पत्र/नोटिश	आलोच्च सप्ताह मे तामिला कराये गये पत्र/नोटिश	लंबित पत्र/नोटिश जिनका तामिला नहीं हो सका	लंबित रहने का कारण	अभियुक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09

विगत दो माह से उपरोक्त प्रपत्र में नोटिस तामिला की समीक्षा कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया जा रहा है परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो अत्यन्त ही खेदजनक है। जिलाधिकारी ने अगले माह से प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र को पावरप्वाईट प्रजेन्टेशन में यह भी अंकित करने का निदेश दिया गया कि किन पदाधिकारियों द्वारा इसकी समीक्षा कर उपरोक्त प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजा जा रहा है, उसे भी अंकित करें।

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला)

9. अधियाची विभाग द्वारा निष्पादन में अभिरूचि नहीं लिए जाने के सम्बन्ध में

नीलाम पत्र पदाधिकारियों द्वारा यह उल्लेख किया गया कि जिला स्तर पर विभिन्न अधियाची विभागों को नोटिश तामिला हेतु दिया जा रहा है, परन्तु उन लोगों के द्वारा इसका तामिला कराने में अपेक्षित सहयोग नहीं दिया जाता है तथा यह अंकित कर दिया जाता है कि बकायेदार का पता नहीं मिला एवं अब वे निर्धारित स्थल पर नहीं रहते हैं। यह अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिलाधिकारी द्वारा ऐसे मामलों में अधियाची विभाग के विरूद्ध विभागीय सचिव/बैंक के मुख्य प्रबंधक को लिखने हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को भेजने का निदेश दिया गया तथा इसके पश्चात् धारा 53 (2) के तहत स्पीकिंग ऑर्डर पास करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त करने का निदेश दिया गया। वाद समाप्त करने के पूर्व सम्बन्धित अधियाची विभाग एवं वरीय पदाधिकारियों को इसकी चेतावनी अनिवार्य रूप से दे दी जाए। साथ ही आदेश मे यह भी अंकित कर दिया जाय कि अधियाची विभाग ऋणी का सही पता की जानकारी प्राप्त कर न्यायालय को अगर सूचना देता है तो इस वाद की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की जा सकेगी।

सभी अधियाची पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वे अगली बैठक से पंजी–ix एवं इसमें वसूल की गयी राशि का वादवार ब्यौरा लेकर बैठक मे भाग लेंगे, चूंकि ज्यादातर अधियाची विभाग को यह जानकारी ही नहीं है कि उनके विभाग के कितने नीलाम–पत्र वाद, किन–किन न्यायालय में लंबित हैं। अधियाची विभागों द्वारा नीलाम–पत्र वाद दायर किए जाने की खानापुरी की जा रही है तथा इसके बाद वह निश्चिन्त होकर प्रतिवेदन भेज दे रहे हैं कि इन मामलों में नीलाम–पत्र वाद दायर कर दिया गया है, जबकि इसके निष्पादन के लिए उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

(अनुपालन– सभी अनुमण्डलाधिकारी/सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा/सभी अधियाची पदाधिकारी)

10. बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कार्रवाई :

सभी जिला स्तरीय नीलाम पत्र पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि वे पटना शहर के बड़े बकायेदारों के विरूद्ध निर्गत वॉंडी वारण्ट को कार्यान्वयन हेतु वारण्ट **जिला नियंत्रण कक्ष** को प्रेषित करें तथा जिला नियंत्रण कक्ष प्रत्येक दिन अधियाची विभाग के साथ कार्यक्रम निर्धारित कर दंडाधिकारी/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर गिरफ्तार करने हेतु कार्रवाई करेंगे। इसी तरह अनुमण्डल स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर वारण्ट के कार्यान्वयन का निदेश दिया गया तथा इस हेतु अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी एवं थाना के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। 2.00 लाख या इससे उपर के राशि के ऋणियों की सूची सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को हस्तगत करायी गयी तथा जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारियों को भी इन बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। पूरे जिला मे जिला स्तरीय नीलाम–पत्र वादो में कुल 124 बकायेदार 2.00 लाख से उपर की राशि के हैं जबकि अनुमण्डल स्तरीय नीलाम–पत्र वादों में इनकी संख्या 265 है। पूरे पटना जिला में 389 बड़े बकायेदार है, जिनकी सूची तैयार कर सभी संबंधित को दी गयी है, पर ध्यान केन्द्रित कर राशि की वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया, चूंकि 70 प्रतिशत सरकारी राशि इन लोगों के जिम्मे ही बकाया है। यह भी निदेश दिया गया कि अगली बैठक से मात्र इन वादों के निष्पादन की वादवार समीक्षा की जाएगी तथा इसका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराया जाय एवं इन केसों का व्यक्तिगत अनुश्रवण किया जाय।

(अनुपालन– सभी अनुमण्डलाधिकारी/सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा)

11. पंजी– IX एवं X का मिलान :

जिलाधिकारी द्वारा पंजी –IX एवं X के मिलान के सम्बन्ध में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की तथा यह निदेश दिया कि अधियाची पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई जाय एवं 26 बिन्दु प्रपत्र पर बनाए गए विवरण शाखावार/विभागवार तैयार कर इसकी दो प्रति नीलाम पत्र पदाधिकारी अधियाची विभाग/बैंक को हस्तगत करेंगे तथा पुनः अगले सप्ताह एक बैठक बुलाकर उसका एक सत्यापित प्रति जिसमें मिलान कर अद्यतन वसूली अंकित किया गया हो, उसे विभाग ले लेंगे ताकि रिकन्सीलिएशन हो सके। अधियाची पदाधिकारी के साथ आहूत की गयी **बैठक की कार्यवाही अनिवार्य रूप से तैयार की जाय** एवं इसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी भेजी जाय।

यह अत्यन्त ही गम्भीर स्थिति है तथा जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियो को अपने–अपने अधियाची विभाग की बैठक बुलाकर प्रपत्र IX एवं X का मिलान कराकर विहित प्रपत्र में राशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र लेने का निदेश दिया। यह प्रपत्र सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना जिला)

12. थानावार वारण्टों की सूची तैयार करने के संबंध में :–

जिलाधिकारी द्वारा सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी को अपने–अपने न्यायालय में लंबित वादों को थानावार वर्गीकृत करते हुए एक पंजी संधारित करने का निदेश दिया तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किए जाने का भी निदेश के साथ–साथ **इसकी प्रति जिला को भेजने का निदेश दिया था** परन्तु मसौढी, बाढ, पालीगंज अनुमण्डल एवं कुछ पदाधिकारियों को छोड अन्य जगहों से प्राप्त नहीं हो सका है। प्राप्त सूची के अनुसार जिला स्तर पर कुल 678 वारण्ट 44 थानों में निम्नांकित रूप से निर्गत किए गए हैं।

क्रमांक	थाना	वारन्टो की संख्या	क्रमांक	थाना	वारन्टो की संख्या	क्रमांक	थाना	वारन्टो की संख्या
1	कदमकुआँ	22	16	गर्दनीबाग	3	31	दीदारगंज	4
2	कंकड़बाग	11	17	आलमगंज	9	32	फतुहाँ	7
3	अगमकुआँ	3	18	मालसलामी	13	33	सचिवालय	1
4	बोरवरी	1	19	सिगोरी	1	34	खगौल	4
5	खुशरूपुर	4	20	पीरबहोर	13	35	श्रीकृष्णापुरी	1
6	बाढ	83	21	नौबतपुर	7	36	मोकामा	93
7	गाँधी मैदान	14	22	जक्कनपुर	3	37	पालीगंज	5
8	कोतवाली	17	23	मनेर	10	38	कृष्णापुरी	1

9	शास्त्रीनगर	4	24	फुलवारीशरीफ	16	39	बख्तियारपुर	92
10	पुनपुन	1	25	मसौढ़ी	22	40	पंडारक	36
11	दिघवा	46	26	पानापुर	28	41	अथमलगोला	18
12	दिघा	4	27	पाटलिपुत्र	6	42	बेलदी	6
13	हथीदाह	6	28	सुलतानगंज	6	43	फुलवारीशरीफ	3
14	बिहटा	14	29	खाजेकलाँ	6	44	दुल्हिनबाजार	15
15	दानापुर	18	30	गौरीचक	1	कुल:-	678	

उपरोक्त थाना प्रभारियों को वारण्टों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु निदेश देने के लिए वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना को पत्र निर्गत करने का निदेश जिला नीलाम-पत्र पदाधिकारी को दिया गया।

सभी नीलाम-पत्र पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी से यह अपेक्षा की गयी कि अब जब सारे अभिलेखों पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है तथा केसों को जिन्दा कर दिया गया है, डी०डब्लू/बी०डब्लू० निर्गत करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है, सभी नीलाम-पत्र पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी बड़े बकायेदारों के मामलों का व्यक्तिगत अनुश्रवण कर खुद कुछ मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि बड़े बकायेदार से राशि की वसूली हो सके तथा लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। इसके साथ ही जिन मामलों में वसूली कह गयी है अथवा वाद समाप्त किया गया है, उसकी सूचना भी पाक्षिक प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर भेजें ताकि वेवसाईट में उसे अपडेट किया जा सके। फरवरी माह की वसूली को असंतोषजनक बताते हुए चिन्ता जाहिर की गयी तथा अपेक्षा की गयी कि अगले माह से इसमें पुनः अपेक्षित वृद्धि आएगी तथा सभी पदाधिकारी पूरे मनोयोग के साथ इसके निष्पादन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जिला नीलाम-पत्र पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि वे अगली बैठक से अधियाची विभागों के साथ-साथ सभी बैंकों के कॉडिनेटर को भी इस बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेंगे ताकि सभी के बीच अधोहस्ताक्षरी के स्तर से समन्वय स्थापित किया जा सके एवं ऐसे मामले जिनमें अधियाची विभागों के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण मामले लंबित है, उसका निष्पादन शीघ्र कराया जा सके।

अन्त में धन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Sd/-
(डॉ० बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक 3606 /सी०, पटना, दिनांक 03-04-07

प्रतिलिपि :- वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना/सभी अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना जिला/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला/प्रभारी दण्डाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना एवं सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/सभी अधियाची पदाधिकारी, पटना जिला/सभी बैंक कॉडिनेटर, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पटना को वेवसाईट में सुधार करने एवं अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Mayank 2.4.2007
जिलाधिकारी, पटना।

दिनांक 25.04.2007 को नीलाम पत्र वादों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला–स्तरीय नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही

उपस्थित

1. श्री के0 पी0 पाण्डेय, अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना।
2. श्री अरूण कुमार वर्मा, अपर जिला दण्डाधिकारी, आपूर्ति, पटना।
3. श्री सत्यनारायण झा, जिला पंचायतराज पदा0 पटना।
4. श्री संजय कुमार, जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना।
5. श्रीमती सुन्दरी सीमा, अपर जिला भू–अर्जन पदा0 पटना।
6. श्री दीपक सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
7. श्री अनिल कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
8. श्री रविन्द्र कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
9. डॉ0 महेन्द्र पाल, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
10. श्री अनिल कुमार–2, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
11. श्री मनोज कुमार चौधरी, अपर जिला भू–अर्जन पदा0 पटना।
12. श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पटना।
13. श्री एस0एम0परवेज आलम, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
14. अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़
15. अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी
16. अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर
17. अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर
18. अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज
19. श्री अरूण कुमार सिंह, अपर जिला भू–अर्जन पदा0 पटना।

अनुपस्थित

1. गो0 सउद, अपर जिला दण्डा0 नक्सल, पटना।
2. श्री कुमार उदय शंकर सिन्हा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
3. श्री राजेश कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
4. श्रीमती एकता वर्मा, सहायक परियोजना पदा0 पटना।
5. श्रीमती अंजूला प्रसाद, सहायक परियोजना पदा0 पटना।
6. श्रीमती सीमा सिन्हा, सहायक परि0पदा0 पटना।
7. श्री रजनीश कुमार सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
8. अनुमण्डल पदाधिकारी, मसौढ़ी।

श्री गो0 सउद बिपार्ड, वाल्मी, फुलवारीशरीफ, पटना में प्रशिक्षण में हैं। श्रीमती एकता वर्मा, श्रीमती अंजुल प्रसाद, श्रीमती सीमा सिन्हा, श्री रजनीश कुमार सिंह बी0पी0एल0 सूची के संशोधन/पुनरीक्षण कार्य में व्यस्त हैं। श्री कुमार उदय शंकर सिन्हा आधे दिन के अवकाश हेतु अनुमति प्रदान किया है। अतएव इन सभी को छोड शेष अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

2. पूर्व बैठक की कार्यवाही का तामिला

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी से यह पृच्छा की गई कि पूर्व की बैठक की कार्यवाही सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को तामिला कराया गया है अथवा नहीं। सभी लोगों ने कार्यवाही प्रतिवेदन प्राप्त होने की सूचना दी। जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके द्वारा तामिला का अनुश्रवण किया गया है तथा सभी पदाधिकारियों को यह शत–प्रतिशत कार्यालय में भेजा जा चुका है। सभी पदाधिकारियों से यह पृच्छा की गयी तो उन्होंने कार्यवाही प्राप्त होने की बात कही।

3. पूर्व बैठक की कार्यवाही का अनुपालन

सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों/अनुमंडल पदाधिकारियों से यह पृच्छा की गई कि क्या उनके द्वारा पूर्व में प्रेषित कार्यवाही का अध्ययन किया गया है अथवा नहीं? पूर्व में यह निदेश दिया गया था कि बैठक में आने पूर्व कार्यवाही प्रतिवेदन की कंडिकावार समीक्षा कर अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से 5 दिन पूर्व जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को भेजें ताकि इसे संकलित कर बैठक में समीक्षा हेतु रखा जा सके। अगली बार सभी पदाधिकारियों को शत–प्रतिशत कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया तथा यह बैठक के दिन हस्तगत नहीं कराने का निदेश पूर्व में भी दिया गया था इसके बावजूद बैठक के दिन इसे हस्तगत कराने पर नाराजगी जाहिर की गयी एवं भविष्य में इसके अनुपालन अप्राप्त सूची में रखने का निदेश दिया गया। इसके साथ ही जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि वे अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने वालों को पावती निर्गत करें तथा संबंधित पदाधिकारी पावती के साथ बैठक में उपस्थित हों। आज की बैठक में श्री अनिल कुमार–1 ने

सावली के साथ बैठक में उपस्थित थे। इसके साथ ही जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को आदेश दिया कि जिन लोगों से वसूली से अनुपालन प्राप्त, अद्यतन स्थिति, सूची एवं मुकदमा को देखते हुए इसे कार्यवाही प्रतिवेदन में शामिल करें। अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत स्थिति निम्न है :–

क्र0	नीलाम–पत्र पदाधिकारी का नाम	मार्च 2007 की बैठक के कार्यवाही का अनुपालन	मार्च 2007 में किए गए न्यायालय दिवसों की संख्या	एजी IX एवं X का मिलान	थानावार वारण्टों की सूची का प्रेषण	अधियायी पदाधिकारी के साथ विगत माह की गयी बैठक	निर्गत वसूलियों के तालिका का अनुश्रवण	2.00 लाख से ऊपर के बकायेदारों की सूची एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा
01	02	03	04	05	06	07	08	09
27.	श्री मो0 सउद	प्राप्त	नियमित संचालन	किया गया	प्राप्त	नहीं	किया गया	प्राप्त
28.	श्री अरूण कुमार वर्मा	प्राप्त	नियमित संचालन	किया गया	प्राप्त	नहीं	किया गया	प्राप्त
29.	श्री सत्यनारायण झा	प्राप्त	नियमित संचालन	किया गया	प्राप्त	नही	किया गया	प्राप्त
30.	श्रीमती सीमा कुमारी	प्राप्त	नियमित संचालन	नहीं	प्राप्त	किया गया	किया गया	2.00 लाख से उपर ह कोई बकायेदार नही है
31.	श्री अरूण कुमार सिंह	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
32.	श्री कुमार उदयशंकर सिन्हा	प्राप्त	02	किया गया	प्राप्त	नही	किया गया	प्राप्त
33.	श्री दीपक सिंह	प्राप्त	04	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
34.	श्री अनिल कुमार–1	प्राप्त	04	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
35.	श्री राजेश कुमार	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	2.00 लाख से उपर ह कोई बकायेदार नही है
36.	डॉ0 महेन्द्र पाल	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
37.	श्री नील कमल	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
38.	श्री रजनीश कुमार सिंह	प्राप्त	02	नहीं	प्राप्त	नहीं	किया गया	2.00 लाख से उपर ह कोई बकायेदार नही है
39.	श्री मनोज कुमार चौधरी	प्राप्त	नियमित संचालन	नहीं	प्राप्त	किया गया	किया गया	तथैव
40.	श्रीमती एकता वर्मा	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त
41.	श्री के0 पी0 पाण्डेय	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
42.	श्री एस0एम0 परवेज आलम	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त
43.	श्रीमती अंजुला प्रसाद	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
44.	श्रीमती सीमा सिन्हा	प्राप्त	07	किया गया	प्राप्त	नहीं	किया गया	प्राप्त
45.	श्री अनिल कुमार–2	प्राप्त	नियमित संचालन	किया गया	प्राप्त	प्राप्त	किया गया	प्राप्त
46.	श्री रवीन्द्र कुमार	प्राप्त	03	किया गया	प्राप्त	हां	किया गया	प्राप्त
47.	अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़	प्राप्त	अप्राप्त	रोस्टर तैयार	प्राप्त	किया गया	प्राप्त	अप्राप्त
48.	अनुमण्डल पदा0 दानापुर	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त
49.	अनुमण्डल पदा0 मसौढ़ी	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

2.	अनुमण्डल पदाधिकारी	प्रयोज्य	प्रयोज्य	प्रयोज्य	प्रयोज्य	प्रयोज्य	प्रयोज्य	प्रयोज्य
3.	अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी	प्रयोज्य	प्रयोज्य नहीं	नहीं	प्रयोज्य	प्रयोज्य	प्रयोज्य	प्रयोज्य
4.	अनुमण्डल पदाधिकारी, फुलवारी	प्रयोज्य	प्रयोज्य	प्रयोज्य	प्रयोज्य	प्रयोज्य	प्रयोज्य	प्रयोज्य

सभी पदाधिकारियों को यह स्पष्ट किया गया कि जिन मामलों में इस आदेश द्वारा लिया गया निर्णय सम्बन्धित अनुमंडल / उप मंडल द्वारा अधिसूचना जारी होने के पूर्व लिये गये हैं उनमें यदि कोई संशोधन अनुमंडल / उप मंडल द्वारा होने अपेक्षित हो तो उसे अविलंब अधिसूचित कराने हेतु विशेष प्रयास की जाय।

(अनुपालन– सभी भूमि सह पदाधिकारी / सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

4. भूमि सह कार्यों का कम्प्यूटरीकरण

निबंधिकारी द्वारा यह सूचना दी गयी कि इस जिला के सभी भूमि-सह कार्यों के डाटा को डाटाबेस पर फीड कर दिया गया है। इसका वेबसाईट http://patnadhk.bih.nic.in है। यह अवगत ही प्रसन्नता की बात है कि जिला कई महीनों से इस दिशा में किए जा रहे प्रयास सफल साबित हुआ है तथा भूमि-सह न्यायालयों में चल रहे वादों के संबंध में कोई भी संबंधित व्यक्ति को भी जानकारी प्राप्त कर सकता। इसके Usable Form में सूचना की आवश्यकता है, यूँकि इस संबंध में पर्याप्त प्रयास हुआ है, परन्तु अभी औपचारिक रूप से इसका औपचारिक प्रारंभ नहीं हुआ है। इस संबंध में जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एवं राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी को साईट को सुधारने हेतु पत्र निर्गत किया गया है। जिला भूमि-सह पदाधिकारी को पूर्व धारित कर इस सुधार करने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। अगली बैठक से जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को भी इस बैठक में उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

इस डाटा को हमेशा अपडेट किए जाने की आवश्यकता है, इसके लिए सभी भूमि-सह पदाधिकारियों एवं अनुमण्डल पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वे किस सभी वादों जिसके संबंध में निष्पादन आदेश दस्तूरी की सूचना दी जा रही है, को 26 बिन्दु प्रपत्र में अंकित करते हुए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से भेजें ताकि वेबसाईट में वादों की अद्यतन स्थिति को अंकित करते हुए अपडेट किया जा सके अर्थात् जब भी वादों के निष्पादन / खोज की दस्तूरी की सूचना जिला को दी जाती है तो इसके साथ उन वादों का पूर्ण ब्यौरा अवश्य संलग्न किया जाय।

(अनुपालन– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर / सभी भूमि सह पदाधिकारी, पटना जिला / प्रभारी पदाधिकारी, जिला भूमि-सह सूचक / सभी पेशकार)

26 बिन्दु प्रपत्र

भूमि-सह न्यायालय का नाम

क्रमांक	अभियायी विभाग का नाम	अभियायी विभाग का मुख्यालय	वाद संख्या	वर्ष	वेतदार का नाम	पिता का नाम	ग्राम / मकसन	वर्ष / पंचायत का नाम	थाना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रकोष्ठ	संलग्नित राशि	दावर करने की तिथि	प्रपत्र-7 में नोटिस निर्गत करने की तिथि	डी / डब्लू निर्गत करने की तिथि	डी० / डब्लू निर्गत करने की तिथि	दस्तूरी की गई राशि।		अवशेष दस्तूरीदेय राशि	
						राशि	तिथि		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
लंबित रहने के कारण									
प्रपत्र-7के नोटिस का तामिला अप्राप्त	वेतदार की मृत्यु	गलत पता	तलवाना की राशि जमा नहीं	अन्य न्यायालय द्वारा पारित आदेश	अन्य कारण	अनुपस्थिति			
20	21	22	23	24	25	26			

5. गैर-बैंकिंग वादों का ब्यौरा 26 बिन्दु प्रपत्र में तैयार कर भेजने के संबंध में

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर को यह निदेश दिया गया कि वे गैर-बैंकिंग से संबंधित वादों यथा– मेराज, तकावी, लगान, श्रम अधिनियम इत्यादि के अन्तर्गत दायर वादों को 26 बिन्दु प्रपत्र में तैयार कर इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं भेजी गयी है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ ने ही तत्संबंधी प्रतिवेदन एवं इसकी सी०डी० हस्तगत करायी है। अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर ने इसकी सूची आंशिक रूप से तैयार कर भेजा है परन्तु अन्य अनुमण्डलों से यह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। विगत दो बैठकों

से यह निदेश प्राप्त हुआ है कि इसे एक सप्ताह में तैयार कर इसकी सी0डी0 जरूरी अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें, अन्यथा इसके अनुपालन नहीं किये जाने को काफी गंभीरता से लेते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर, बाद)

6. नीलाम पत्र न्यायालयों का नियमित संचालन करना :

जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को यह निदेश दिया कि वे अगली बार से अपने मासिक प्रतिवेदन में जोर व्यौरे के साथ इसका भी उल्लेख करेंगे कि विगत माह में उनके द्वारा कितने दिन न्यायालय का कार्य किया गया तथा कितने केसों पर सुनवाई की गई। यह व्यौरा पूर्व में 21 बिन्दु प्रपत्र में साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराया जा रहा था अब मुख्य सचिव, बिहार के निदेशानुसार इसे निम्नांकित 22 बिन्दु प्रपत्र में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी प्रत्येक पक्ष यानि माह की पहली तारीख एवं 15वीं तारीख को प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में भेंगे।

SL.no.	Name of officer	No. of case pending at the begning of the fortnight		No. of cases heard during the fortnight		No. of cases disposed during the fortnight		No. of cases which recovery made during the fortnight		No. of cases pending at end of the fortnight	
		No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Oldest pending case		Status of Pending Cases							
No. of the case	Amount	Form 7 not served	Talwana not deposted	Other court's instructions	D.W. Issued	B.W. Issued	Death of Certificate debtor	Report of R.O. Wanting	No. of court days
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/ सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला)

7. नीलाम पत्र पदाधिकारीवार/अनुमंडलवार लक्ष्य/उपलब्धि की समीक्षा .

जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के लंबित वादों की स्थिति तथा उनके द्वारा माह मर्च में वसूल की गई राशि की विस्तृत समीक्षा की तथा जिन लोगों द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रपत्र–7 का तामिला, डी0डब्लू0/बी0डब्लू0 निर्गत नहीं किए गए हैं उन्हें तुरंत नीलाम पत्र वादों के नियमित सुनवाई कर इसमें अपेक्षित सुधार लाने का निदेश दिया। उन्होंने नीलाम पत्र पदाधिकारियों को खासकर बड़े बकायेदार के विरूद्ध समुचित एवं कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया तथा अपेक्षा की कि अगले माह अपने–अपने न्यायालय में लंबित वादों के निष्पादन की दिशा में कारगर कार्रवाई करेंगे। जिलाधिकारी ने नीलाम–पत्र पदाधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन कर उनके रैंकिंग करने का भी निदेश दिया। इसी प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी भी अपने स्तर के अधिकारियों का उनके कार्यों के आधार पर रैंकिंग करेंगें। रैंकिंग में नीलाम–पत्र पदाधिकारियों द्वारा अभिलेख में की गयी कार्रवाई, तामिला का अनुश्रवण, न्यायालय का नियमित संचालन, अधियाची विभागों/बैंकों के साथ बैठक, निर्गत बी0डब्लू0 की संख्या, वसूली की राशि इत्यादि बिन्दुओं पर समीक्षा कर अंक निर्धारित करेंगे। श्री के0पी0पाण्डेय, अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना द्वारा यह सूचना दी गयी कि विगत माह में नये पद पर योगदान देने के कारण उनके द्वारा नीलाम–पत्र न्यायालय का संचालन नहीं किया गया है। अतः तद्नुसार पुनरीक्षित प्रस्ताव आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना को भेजने का निदेश जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना को दिया गया।

(अनुपालन :– अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर/प्रभारी पदाधिकारी नीलाम–पत्र शाखा)

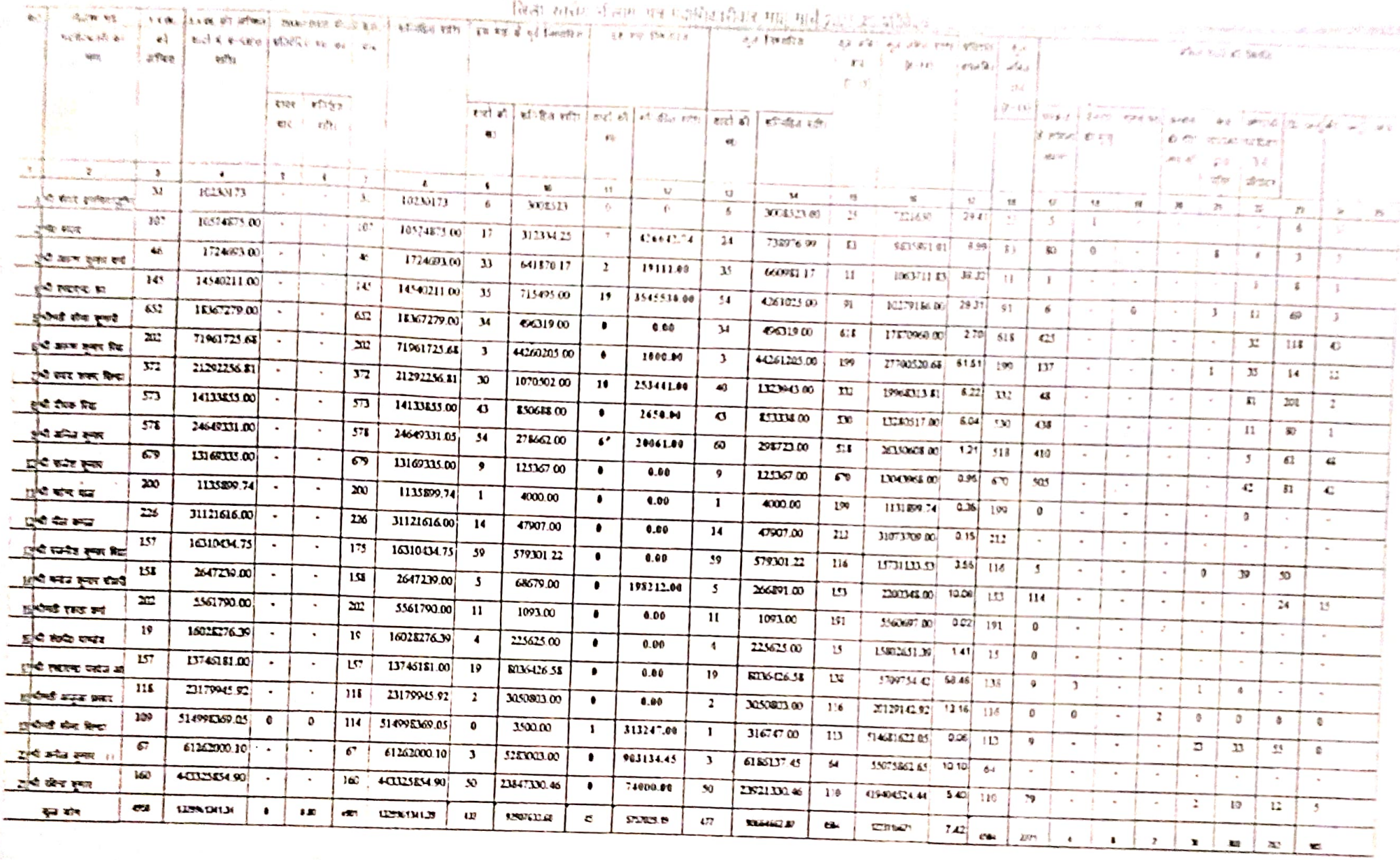

विभिन्न अनुमंडलों का माह मार्च 2007 तक नीलाम पत्र वादों से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन।

क्र०	अनुमंडल का नाम	कुल वादों की संख्या	वसूलीय राशि	जिस माह तक निष्पादित वादों की संख्या	जिस माह तक वसूली की गई राशि	एक माह में निष्पादित वाद	एक माह में वसूली गई राशि	कुल निष्पादित वादों की संख्या	कुल वसूल की गई राशि	कुल निष्पादित वाद	कुल वसूली राशि	प्रतिशत	अनुमति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पटना सदर	10353	334880154.23	237	18568566.87	6	630994.00	243	19199560.87	10110	315680593.36	5.73	प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण। बैलेजार/विभागवार प्रतिवेदन अप्राप्त।
2	पटना सिटी	4019	269049261.00	403	20055016	11	1418422	414	21473438.00	3605	247645744	7.98	माह मार्च 2007 के प्रतिवेदन के आधार पर तैयार किया गया है।
3	दानापुर	9984	214198716.00	757	20639570.00	54	1715669.00	811	22355239.00	9173	191843477.00	10.44	माह मार्च 2007 का प्रतिवेदन अप्राप्त
4	बख्तियारपुर	3116	64817440.00	308	7923404.00	7	372642.00	315	8296046.00	2846	56521394.00	12.80	माह मार्च 2007 के प्रतिवेदन के आधार पर तैयार किया गया है।
5	फुलवारीशरीफ	3118	64240578.00	389	11255925.00	8	558577.00	397	11814502.00	2721	52426076.00	18.39	माह मार्च 2007 के प्रतिवेदन के आधार पर तैयार किया गया है।
6	बाढ़	10784	226740665.60	940	28899468.89	265	3626649.64	1205	32526118.53	9579	194214547.00	14.35	माह मार्च 2007 के प्रतिवेदन के आधार पर तैयार किया गया है।
	कुल	41374	1173926815	3034	107341950.8	351	8322953.64	3385	115664904.4	38034	1058331831	9.85	

विभिन्न अनुमंडलों का माह मार्च 2007 तक नीलाम पत्र वादों से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन।

क्र0	अनुमंडल का नाम	वाद दर्ज की संख्या	संबंधित राशि	दिसंबर तक निष्पादित वादों की संख्या	दिसंबर तक नहीं हो सके	दिसंबर तक निष्पादित दर	दिसंबर तक वसूली गई राशि	कुल निष्पादित वादों की संख्या	कुल वसूल की गई राशि	इस महीने	कुल वसूली राशि	प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पटना सदर	10353	334880154.23	237	18568566.87	6	630994.00	243	19199560.87	10110	315680593.36	5.73	प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण। बैकवार/विभागवार प्रतिवेदन अप्राप्त।
2	पटना सिटी	4019	269049261.00	403	20055016	11	1418422	414	21473438.00	3605	247645744	7.98	माह मार्च 2007 के प्रतिवेदन के आधार पर तैयार किया गया है।
3	दानापुर	9984	214198716.00	757	20639570.00	54	1715669.00	811	22355239.00	9173	191843477.00	10.44	माह मार्च 2007 का प्रतिवेदन अप्राप्त
4	बख्तीयारपुर	3116	64817440.00	308	7923404.00	7	372642.00	315	8296046.00	2846	56521394.00	12.80	माह मार्च 2007 के प्रतिवेदन के आधार पर तैयार किया गया है।
5	फतुहा	3118	64240578.00	389	11255925.00	8	558577.00	397	11814502.00	2721	52426076.00	18.39	माह मार्च 2007 के प्रतिवेदन के आधार पर तैयार किया गया है।
6	बाढ़	10784	226740665.60	940	28899468.89	265	3626649.64	1205	32526118.53	9579	194214547.00	14.35	माह मार्च 2007 के प्रतिवेदन के आधार पर तैयार किया गया है।
	कुल	41374	1173926815	3034	107341950.8	351	8322953.64	3385	115664904.4	38034	1058331831	9.85	

नीलाम–पत्र पदाधिकारीवार माह मार्च-2007 तक की प्रतिशत उपलब्धि

(वित्तीय)

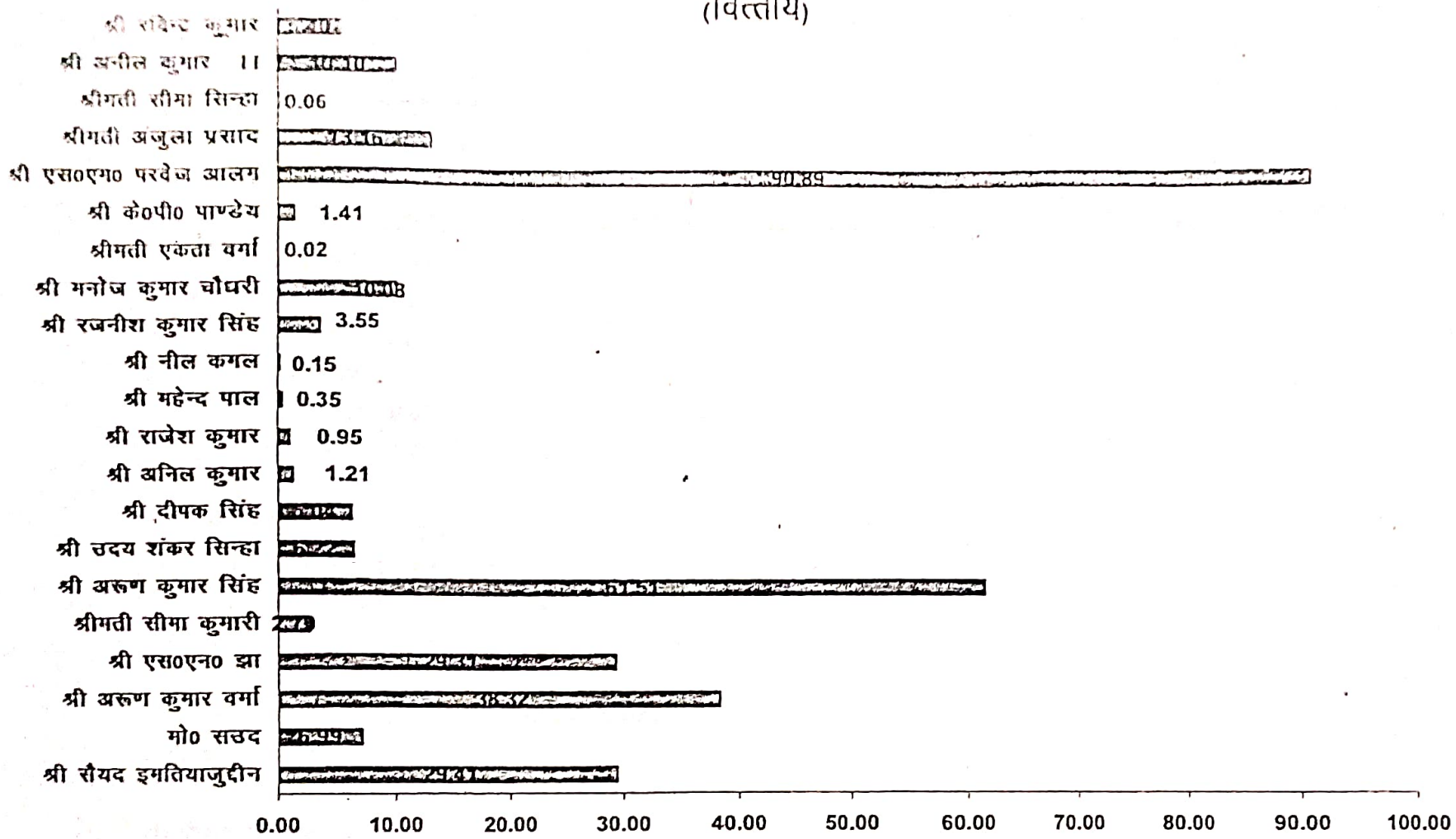

नीलाम–पत्र पदाधिकारीवार माह मार्च 2007 में की गयी वसूली

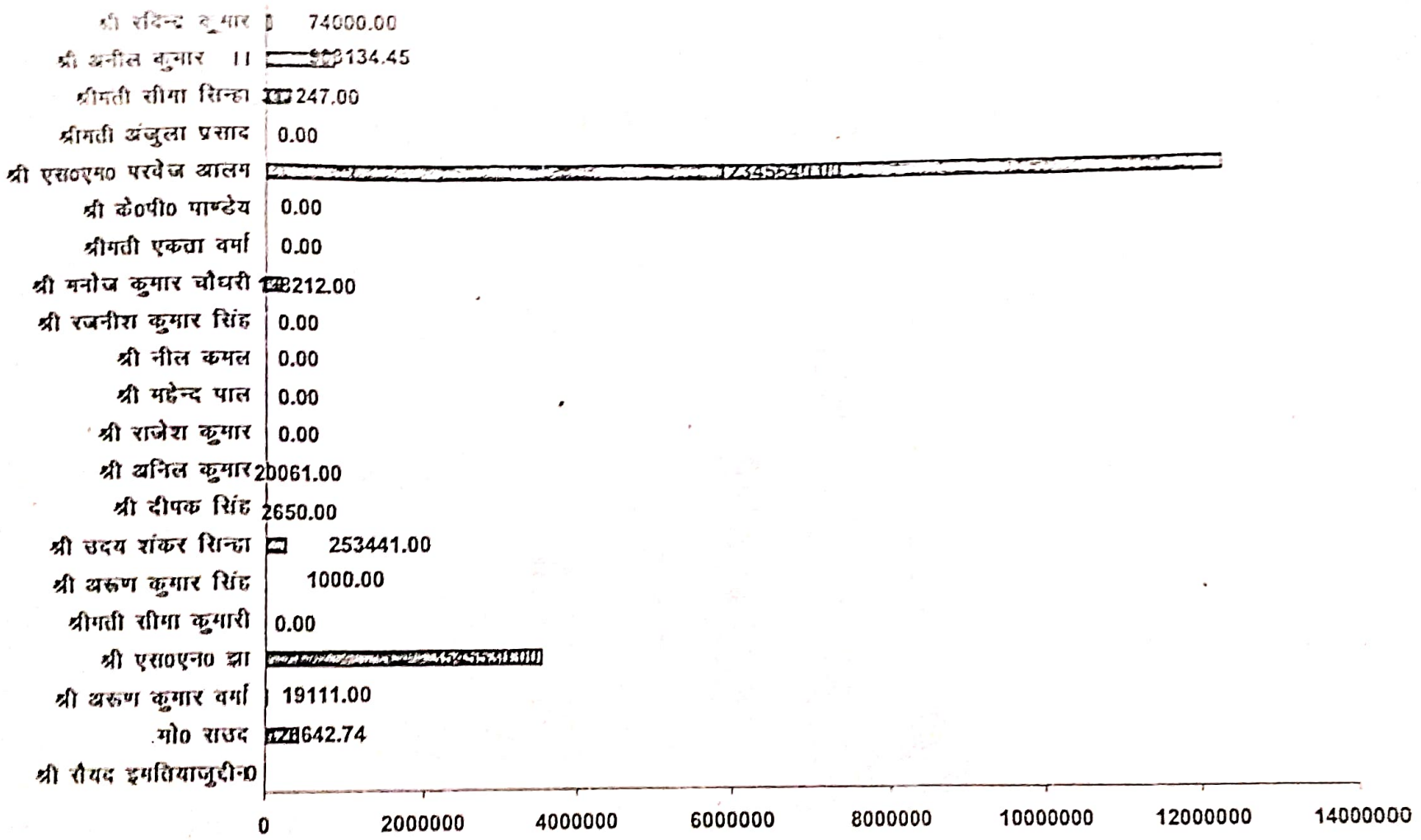

जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारियों के मार्च वसूली की समीक्षा के उपरान्त यह निदेश दिया गया कि जिन लोगों के द्वारा इस माह में शून्य वसूली की गयी है, उनसे स्पष्टीकरण की माग की जाय तथा यह पृच्छा की जाय कि क्यों नहीं इस बिन्दु को उनके वार्षिक गोपनीय अभिवेदन में अंकित कर दिया जाय। जिन नीलाम–पत्र पदाधिकारियो द्वारा अच्छा उपलब्धि की गयी है, उन्हें प्रशंसा–पत्र देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा)

अनुमण्डलवार माह मार्च 2007 तक प्रतिशत उपलब्धि
(2006–07)

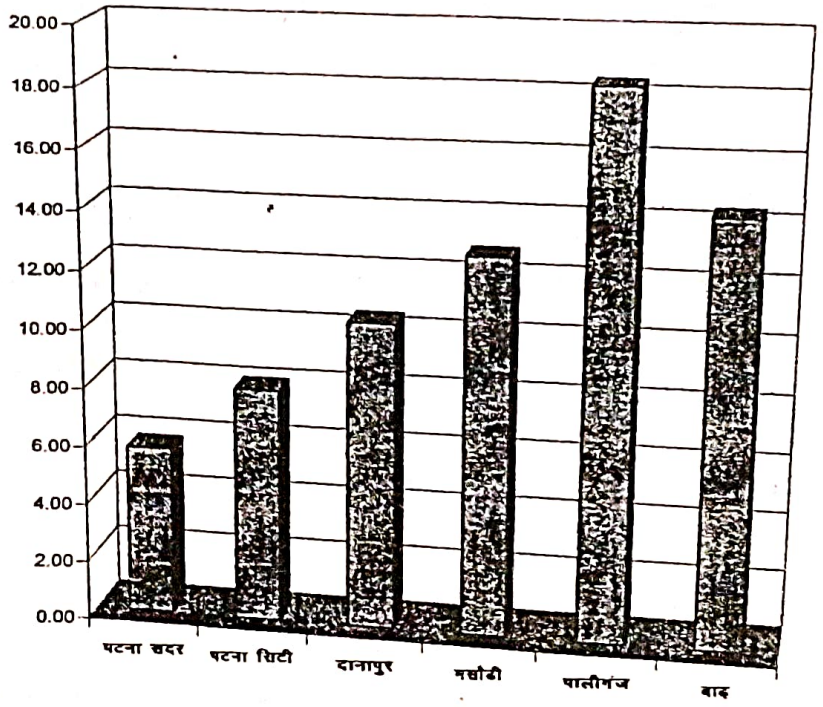

अनुमण्डलवार नीलाम–पत्र वादों में माह मार्च 2007 तक वसूली.

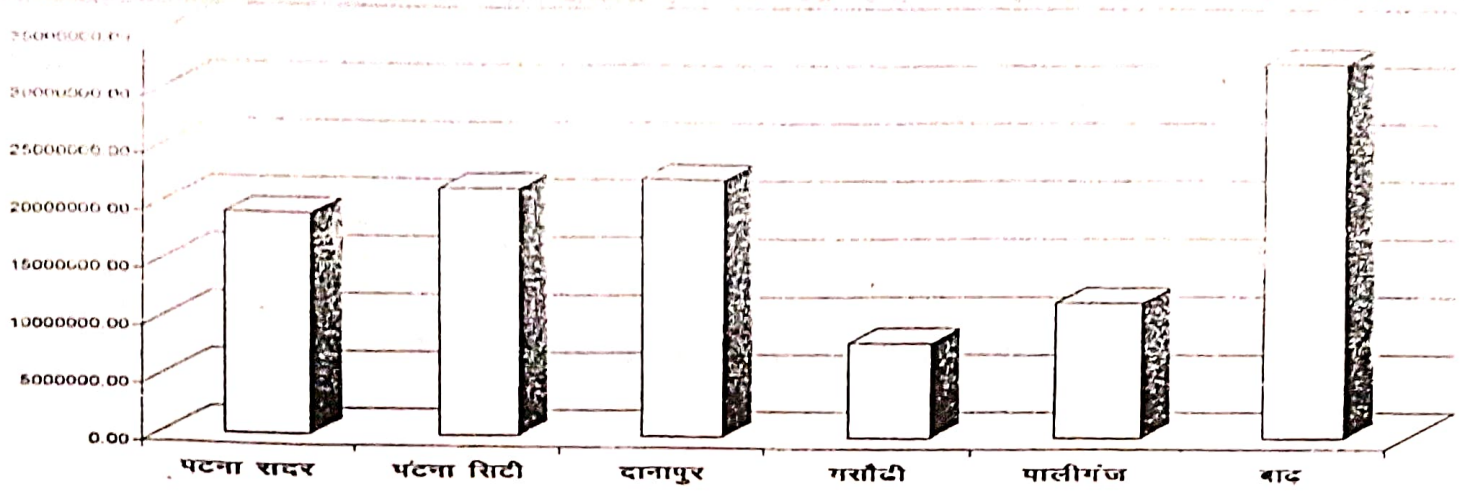

अनुमण्डलवार माह मार्च 2007 में नीलाम–पत्र वादों में वसूली

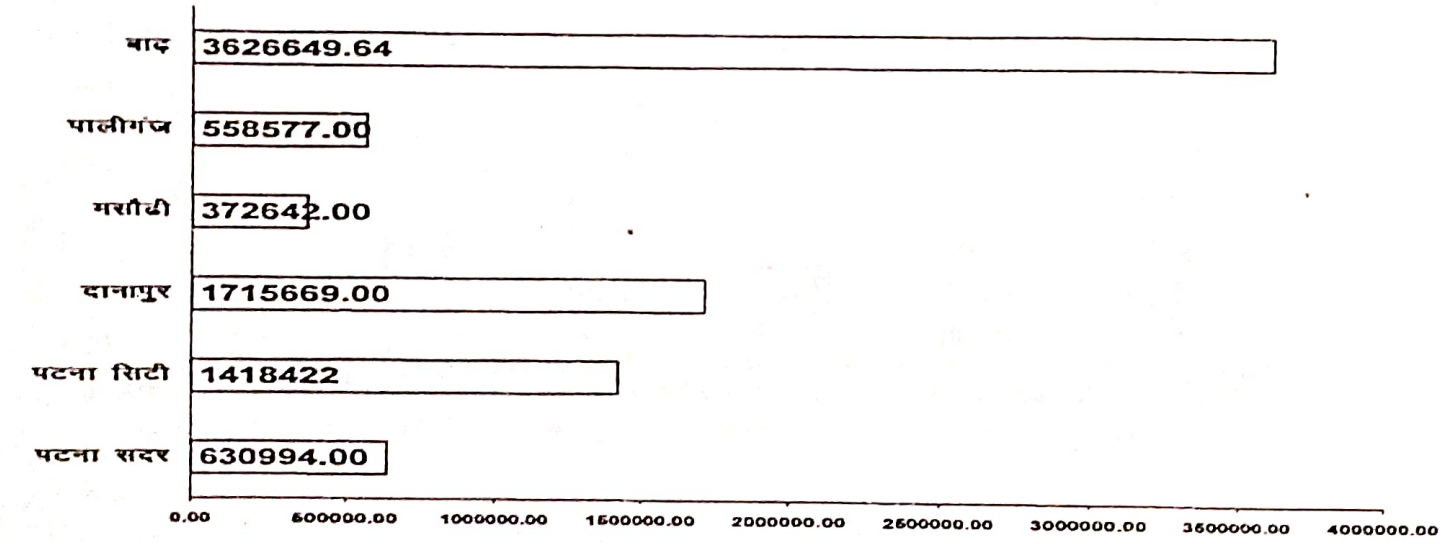

अनुलग्नकलखार मह मर्च 2017 तक निर्धारित मैतलम-पत्र दरों की सूची

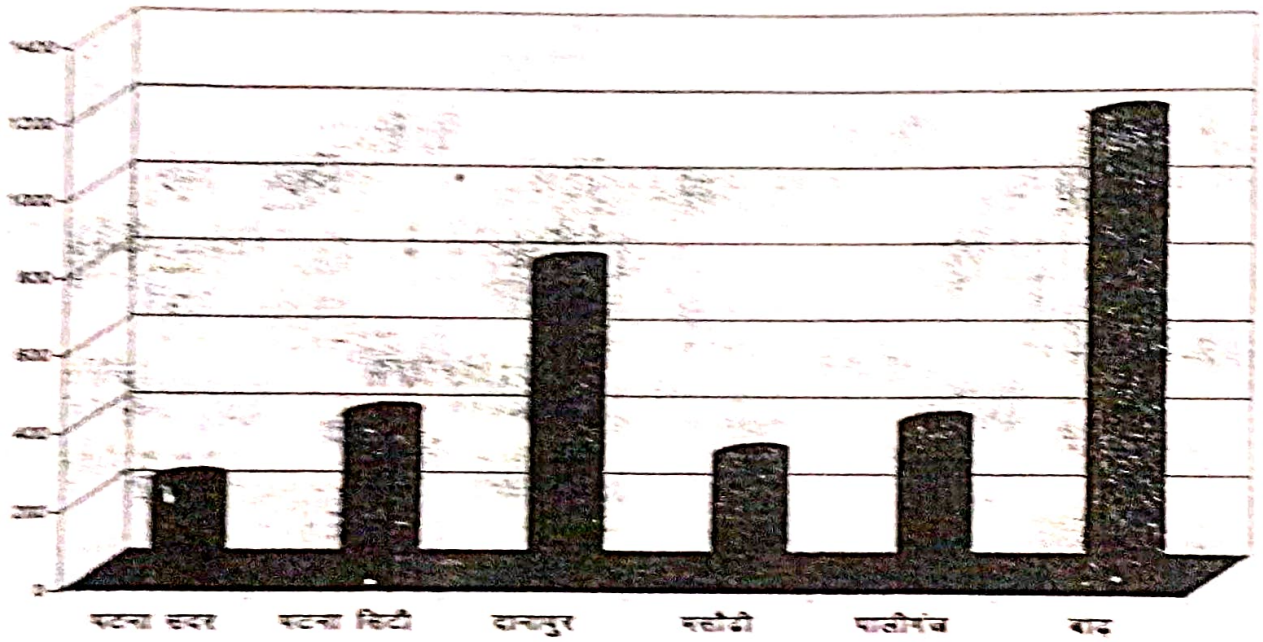

8. नोटिस तामिला की समीक्षा :

इस सम्बन्ध में विगत माह में दिए गए निर्देश की समीक्षा की गई एवं यह स्पष्ट किया गया कि नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में सबसे अहम भूमिका पदस्थ अनुसेवियों की होती है। इनलोगों के द्वारा इसे गम्भीरता से नहीं लिया जाता है तथा ज्यादातर मामलों में ऐसे-ऐसे नोटिस के पीछे यह अंकित कर दिया जाता है कि बकाएदार के यहाँ गया और उनके द्वारा नोटिस लेने से इनकार किया गया अथवा उनका कोई पता नहीं बता या गवाही देने से लोगों ने इनकार कर दिया। यह अत्यन्त ही दुखद परिस्थिति है। इसका दुष्प्रभाव नीलाम पत्र वादों के निष्पादन पर पड़ता है। तामिला हेतु एक Mechanism तैयार करने की आवश्यकता है तथा इसके लिये पदस्थ अनुसेवियों को Motivate करने की भी आवश्यकता है।

अतः यह निर्देश दिया गया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी अनुसेवियों द्वारा तामिला कराये गए नोटिस एवं अंकित किए गए प्रतिवेदनों की समीक्षा करें कि उनके द्वारा किन-किन क्षेत्रों में जाकर किन-किन नोटिशों का वास्तविक रूप से तामिला कराया गया है। यह समीक्षा सभी नीलाम-पत्र पदाधिकारी तथा सभी अनुमंडल पदाधिकारी साप्ताहिक रूप से निम्नांकित प्रपत्र में करेंगे। इस माह केवल अनुमण्डल बाढ़ से यह प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्राप्त हुआ है।

क्रमांक	पदस्थ का नाम	विगत सप्ताह तक लंबित नोटिस/पत्र की संख्या	आलोच्य सप्ताह में दिया गया पत्र/नोटिस	कुल पत्र/नोटिस	आलोच्य सप्ताह में तामिला कराये गये पत्र/नोटिस	लंबित पत्र/नोटिस जिनका तामिला नहीं हो सका	लंबित रहने का कारण	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09

विगत दो माह से उपरोक्त प्रपत्र में नोटिस तामिला की समीक्षा कर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया जा रहा है परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो अत्यन्त ही खेदजनक है। जिलाधिकारी ने अगले माह से प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम-पत्र को पावरप्वाईंट प्रजेन्टेशन में यह भी अंकित करने का निर्देश दिया गया कि किन पदाधिकारियों द्वारा इसकी समीक्षा कर उपरोक्त प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजा जा रहा है, उसे भी अंकित करें।

(अनुपालन- सभी नीलाम-पत्र पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला)

9. अधियाची विभाग द्वारा निष्पादन में अभिरुचि नहीं लिए जाने के सम्बन्ध में

नीलाम पत्र पदाधिकारियों द्वारा यह उल्लेख किया गया कि जिला स्तर पर विभिन्न अधियाची विभागों को नोटिस तामिला हेतु दिया जा रहा है, परन्तु उन लोगों के द्वारा इसका तामिला कराने में अपेक्षित सहयोग नहीं दिया जाता है तथा यह अंकित कर दिया जाता है कि बकाएदार का पता नहीं मिला एवं अब वे निर्धारित स्थान पर नहीं रहते हैं। यह अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिलाधिकारी द्वारा ऐसे मामलों में अधियाची विभाग के विरूद्ध विभागीय सचिव/बैंक के मुख्य प्रबंधक को लिखने हेतु प्रस्ताव अध्योहस्ताक्षरी को भेजने का निदेश दिया गया तथा इसके पश्चात् धारा 53 (2) के तहत स्पीकिंग ऑर्डर पास करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त करने का निदेश दिया गया। वाद समाप्त करने के पूर्व सम्बन्धित अधियाची विभाग एवं वरीय पदाधिकारियों को इसकी चेतावनी अनिवार्य रूप से दे दी जाए। साथ ही आदेश में यह भी अंकित कर दिया जाय कि अधियाची विभाग अपने का सही पता की जानकारी प्राप्त कर न्यायालय को अगर सूचना देता है तो इस वाद की कार्रवाई पुनः प्रारम्भ की जा सकेगी।

सभी अधियाची पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वे अगली बैठक से पंजी-IX एवं इसमें वसूल की गयी राशि का ब्यादवार ब्यौरा लेकर बैठक में साथ लेवें, चूंकि ज्यादातर अधियाची विभाग को यह जानकारी ही नहीं है कि उनके विभाग के कितने नीलाम-पत्र वाद, किन-किन न्यायालय में लंबित है। अधियाची विभागों द्वारा नीलाम-पत्र वाद दायर किए जाने की खानापुरी की जा रही है तथा इसके बाद वह निश्चिन्त होकर प्रतिवेदन भेज दे रहे हैं कि इन मामलों में नीलाम-पत्र वाद दायर कर दिया गया है, जबकि इसके निष्पादन के लिए उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

(अनुपालन- सभी अनुमण्डलाधिकारी/सभी नीलाम-पत्र पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम-पत्र शाखा/सभी अधियाची पदाधिकारी)

10. बड़े बकायेदारों के विरुद्ध कार्रवाई :

अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी एवं थाना के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। 2.00 लाख या इससे ऊपर के राशि के ऋणियों की सूची सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को हस्तगत करायी गयी तथा जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारियों को भी इन बड़े बकायेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। पूरे जिला में जिला स्तरीय नीलाम–पत्र वादों में कुल 124 बकायेदार 2.00 लाख से उपर की राशि के है जबकि अनुमण्डल स्तरीय नीलाम–पत्र वादों में इनकी संख्या 265 है। पूरे पटना जिला में 389 बड़े बकायेदार है, जिनकी सूची तैयार कर सभी संबंधित को दी गयी है, पर ध्यान केन्द्रित कर राशि की वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया, चूंकि 70 प्रतिशत सरकारी राशि इन लोगों के जिम्मे ही बकाया है। यह भी निदेश दिया गया कि अगली बैठक में मात्र इन वादों के निष्पादन की वादवार समीक्षा की जाएगी तथा इसका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराया जाय एवं इन केसों का व्यक्तिगत अनुश्रवण किया जाय।

(अनुपालन– सभी अनुमण्डलाधिकारी/सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा)

11. पंजी– IX एवं X का मिलान :

जिलाधिकारी द्वारा पंजी –IX एवं X के मिलान के सम्बन्ध में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की तथा यह निदेश दिया कि अधियाची पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई जाय एवं 26 बिन्दु प्रपत्र पर बनाए गए विवरण शाखावार/विभागवार तैयार कर इसकी दो प्रति नीलाम पत्र पदाधिकारी अधियाची विभाग/बैंक को हस्तगत करेंगे तथा पुनः अगले सप्ताह एक बैठक बुलाकर उसका एक सत्यापित प्रति जिसमें मिलान कर अद्यतन वसूली अंकित किया गया हो, उसे विनाग ले लेंगे ताकि रिकन्सीलिएशन हो सके। अधियाची पदाधिकारी के साथ आहूत की गयी **बैठक की कार्यवाही अनिवार्य रूप से तैयार की जाय** एवं इसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी भेजी जाय।

यह अत्यन्त ही गम्भीर स्थिति है तथा जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को अपने–अपने अधियाची विभाग की बैठक बुलाकर प्रपत्र IX एवं X का मिलान कराकर विहित प्रपत्र में राशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र लेने का निदेश दिया। यह प्रपत्र सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना जिला)

12. थानावार वारण्टों की सूची तैयार करने के संबंध में :–

जिलाधिकारी द्वारा सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी को अपने–अपने न्यायालय में लंबित वादों को थानावार वर्गीकृत करते हुए एक पंजी संधारित करने का निदेश दिया तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किए जाने का भी निदेश के साथ–साथ **इसकी प्रति जिला को भेजने का निदेश दिया था** परन्तु मसौढ़ी, बाढ़, पालीगंज अनुमण्डल एवं कुछ पदाधिकारियों को छोड़ अन्य जगहों से प्राप्त नहीं हो सका है। प्राप्त सूची के अनुसार जिला स्तर पर कुल 678 वारण्ट 44 थानों में निम्नांकित रूप से निर्गत किए गए हैं।

क्रमांक	थाना	वारंन्टो की संख्या	क्रमांक	थाना	वारंन्टो की संख्या	क्रमांक	थाना	वारंन्टो की संख्या
1	कदमकुआँ	22	16	गर्दनीबाग	3	31	दीदारगज	4
2	कंकड़बाग	11	17	आलमगज	9	32	फतुहाँ	7
3	अगमकुआँ	3	18	मालसलामी	13	33	सचिवालय	1
4	घोषवरी	1	19	सिगौरी	1	34	खगौल	4
5	खुशरूपुर	4	20	पीरबहोर	13	35	श्रीकृष्णापुरी	1
6	बाढ़	83	21	नौबतपुर	7	36	मोकामा	93
7	गाँधी मैदान	14	22	जक्कनपुर	3	37	पालीगंज	5
8	कोतवाली	17	23	मनेर	10	38	कृष्णापुरी	1

9	[illegible]	4	24	[illegible]	16	39	[illegible]	52	
10	[illegible]	1	25	[illegible]	22	40	[illegible]	[illegible]	
11	[illegible]	45	26		[illegible]	[illegible]	[illegible]	18	
12	[illegible]	4	27	[illegible]	6	43	[illegible]	6	
13	[illegible]	6	28	[illegible]	6	42	[illegible]	3	
14	[illegible]	14	29	[illegible]	6	44	[illegible]	15	
15	[illegible]	18	30	[illegible]	1	[illegible]	678		

उपरोक्त थाना प्रभारियों को वारण्टों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु निदेश देने के लिए वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना को पत्र निर्गत करने का निदेश जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को दिया गया।

सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी से यह अपेक्षा की गयी कि अब जब सारे अभिलेखों पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है तथा केस को जिन्दा कर दिया गया है, डी0डब्लू/बी0डब्लू0 निर्गत करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है, सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी बड़े बकायेदारों के मामलों का व्यक्तिगत अनुश्रवण कर खुद कुछ मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि बड़े बकायेदार से राशि की वसूली हो सके तथा लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। इसके साथ ही जिन मामलों में वसूली कह गयी है अथवा वाद समाप्त किया गया है, उसकी सूचना भी पाक्षिक प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर भेजें ताकि वेवसाईट में उसे अपडेट किया जा सके। मार्च माह की वसूली को असंतोषजनक बताते हुए चिन्ता जाहिर की गयी तथा अपेक्षा की गयी कि अगले माह से इसमें पुनः अपेक्षित वृद्धि आएगी तथा सभी पदाधिकारी पूरे मनोयोग के साथ इसके निष्पादन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि वे अगली बैठक से अधियाची विभागों के साथ–साथ सभी बैंकों के कॉडिनेटर को भी इस बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेंगे ताकि सभी के बीच अधोहस्ताक्षरी के स्तर से समन्वय स्थापित किया जा सके एवं ऐसे मामले जिनमें अधियाची विभागों के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण मामले लंबित है, उसका निष्पादन शीघ्र कराया जा सके।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

27.4.07

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक 4656 /सी0, पटना, दिनांक 29-4-2007

प्रतिलिपि – वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना/सभी अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना जिला/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला/प्रभारी दण्डाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना एवं सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/सभी अधियाची पदाधिकारी, पटना जिला/सभी बैंक कॉडिनेटर, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पटना को वेवसाईट में सुधार करने एवं अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27.4.07

जिलाधिकारी, पटना।

दिनांक 29.06.2007 को नीलाम पत्र वादों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला–स्तरीय नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही

1. उपस्थित

1. डॉ0 बी0 राजेन्दर,भा0प्र0से0, समाहर्त्ता,पटना
2. श्री अवधेश कुमार, अपर समाहर्त्ता,पटना
3. श्री के0 पी0 पाण्डेय, अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना।
4. श्री मो0 सउद, अपर जिला दण्डा0 नक्सल, पटना।
5. श्री अरूण कुमार वर्मा, अपर जिला दण्डा0, आपूर्ति, पटना।
6. श्री राज किशोर सिन्हा,विशिष्ट पदाधिकारी,अनुभाजन,पटना।
7. श्री सत्यनारायण झा, जिला पंचायतराज पदा0 पटना।
8. श्री आदित्य कुमार दास, निदेशक, लेखा,डी0आर0डी0ए0 पटना।
9. श्रीमती पलका साहनी,अनुमण्डल पदाधिकारी,बाढ़।
10. श्री संजय कुमार, जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना।
11. श्री सुनील कुमार,अनुमण्डल पदाधिकारी,दानापुर।
12. श्री राज किशोर प्रसाद, अनुमण्डल पदाधिकारी,पालीगंज।
13. श्री रावी रंजन, अनुमण्डल पदाधिकारी,पटना सदर।
14. श्री प्रभात कुमार सिन्हा, अनुमण्डल पदाधिकारी,मसौढ़ी।
15. अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी।
16. श्रीमती अनिमा सिन्हा,जिला भू अर्जन पदा0,पटना। (विलम्ब से)
17. श्री अनिल कुमार–1, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
18. श्री दीपक सिंह, नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना।
19. श्रीमती अंजुला प्रसाद,नीलाम पत्र पदाधिकारी,पटना।
20. श्री रबिन्द्र कुमार, नीलाम पत्र पदाधिकारी,, पटना।
21. श्रीमती कुमारी सीमा, नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना।
22. श्री रजनीश कुमार सिंह, नीलाम पत्र पदाधिकारी,पटना।
23. श्री मनोज कुमार चौधरी, नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना।
24. श्रीमती एकता वर्मा, नीलाम पत्र पदाधिकारी,पटना।
25. श्री एस0एम0परवेज आलम, नीलाम पत्र पदाधिकारी,पटना।
26. श्रीमती सीमा सिन्हा, नीलाम पत्र पदाधिकारी,पटना।
27. श्री विश्वजीत दॉ, सहायक खनन पदाधिकारी,

अनुपस्थित

1. श्री नील कमल, जिला परिवहन पदाधिकारी–सह– नीलाम पत्र पदाधिकारी,पटना
2. श्री राजेश कुमार, अपर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना।

श्रीमती अनिमा सिन्हा एवं श्री रबिन्द्र कुमार, बैठक में विलम्ब से आये। सभी लोगों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, नीलाम–पत्र को दिया गया। डॉ0 महेन्द्र पाल, अनुमति लेकर बैठक से अनुपस्थित थे तथा श्री अनिल कुमार–2, कार्यपालक दण्डाधिकारी अवकाश पर हैं।

2. पूर्व बैठक की कार्यवाही का तामिला

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी से यह पृच्छा की गई कि पूर्व की बैठक की कार्यवाही सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को तामिला कराया गया है अथवा नहीं। सभी लोगों ने कार्यवाही प्रतिवेदन प्राप्त होने की सूचना दी। जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके द्वारा तामिला का अनुश्रवण किया गया है तथा सभी पदाधिकारियों को यह शत–प्रतिशत कार्यालय में भेजा जा चुका है। सभी पदाधिकारियों से यह पृच्छा की गयी तो उन्होंने कार्यवाही प्राप्त होने की बात कही।

3. पूर्व बैठक की कार्यवाही का अनुपालन

सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों/अनुमंडल पदाधिकारियों से यह पृच्छा की गई कि क्या उनके द्वारा पूर्व में प्रेषित कार्यवाही का अध्ययन किया गया है अथवा नहीं? पूर्व में यह निदेश दिया गया था कि बैठक में आने पूर्व कार्यवाही प्रतिवेदन की कंडिकावार समीक्षा कर अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से 5 दिन पूर्व जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को भेजें ताकि इसे संकलित कर बैठक में समीक्षा हेतु रखा जा सके। अगली बार सभी पदाधिकारियों को शत–प्रतिशत कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया तथा यह बैठक के दिन हस्तगत नहीं कराने का निदेश पूर्व में भी दिया गया था इसके बावजूद बैठक

के दिन या इससे एक दिन पूर्व इसे हस्तगत कराने की परम्परा जारी है एवं भविष्य में ऐसे अनुपालन को अप्राप्त सूची में रखने का निदेश दिया गया। इसके साथ ही जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि वे अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने वालों को पावती निर्गत करें तथा संबंधित पदाधिकारी पावती के साथ बैठक में उपस्थित हों। आज की बैठक में श्री अनिल कुमार–1 ही पावती के साथ बैठक में उपस्थित थे। इसके साथ ही जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को आदेश दिया कि जिन लोगों के यहां से अनुपालन प्राप्त/अप्राप्त है, उनकी सूची एवं गुणवत्ता को देखते हुए इसे कार्यवाही प्रतिवेदन में शामिल करें। अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षावार स्थिति निम्न है :–

क0	नीलाम–पत्र पदाधिकारी का नाम	अप्रील 2007 की बैठक के कार्यवाही का अनुपालन	मई 2007 में किए गए न्यायालय दिवसों की संख्या	पंजी IX एवं X का मिलान	थानावार वारण्टों की सूची का प्रेषण	अधियाची पदाधिकारी के साथ विगत माह की गयी बैठक	निर्गत सूचनाओं के तामिला का अनुश्रवण	2.00 लाख से उपर के बकायेदारों की सूची एवं उानके विरूद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.	श्री मो0 सउद	प्राप्त	नियमित संचालन	नहीं	प्राप्त	नहीं	किया गया	प्राप्त
2.	श्री अवधेश कुमार	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
3.	श्री अरूण कुमार वर्मा	प्राप्त	02	किया गया	प्राप्त	नहीं	किया गया	प्राप्त
4.	श्री सत्यनारायण झा	प्राप्त	अप्राप्त	नहीं	प्राप्त	नहीं	किया गया	प्राप्त
5.	श्रीमती सीमा कुमारी	प्राप्त	नियमित संचालन	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	2.00 लाख से उपर के कोई बकायेदार नही है।
6.	श्री आदित्य कुमार दास	प्राप्त	प्राप्त	किया गया	अप्राप्त	नहीं	किया गया	अप्राप्त
7.	श्री राज किशोर सिन्हा	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
8.	श्री दीपक सिंह	प्राप्त	04	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
9.	श्री अनिल कुमार–1	प्राप्त	07	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
10.	श्री संजय कुमार	प्राप्त	04	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	2.00 लाख से उपर के कोई बकायेदार नही है।
11.	श्री राजेश कुमार	प्राप्त	04	अप्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	2.00 लाख से उपर के कोई बकायेदार नही है।
12.	डॉ0 महेन्द्र पाल	प्राप्त	02	संबंधित नहीं	अप्राप्त	संबंधित नहीं	किया गया	प्राप्त
13.	श्री नील कमल	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
14.	श्री रजनीश कुमार सिंह	प्राप्त	04	संबंधित नहीं	प्राप्त	संबंधित नहीं	किया गया	2.00 लाख से उपर के कोई बकायेदार नही है।
15.	श्री मनोज कुमार चौधरी	प्राप्त	04	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	तथैव

16.	श्रीमती एकता वर्मा	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त
17.	श्री के0 पी0 पाण्डेय	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
18.	श्री एस0एम0 परवेज आलम	प्राप्त	04	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
19.	श्रीमती अंजुला प्रसाद	प्राप्त	02	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
20.	श्रीमती सीमा सिन्हा	प्राप्त	06	किया गया	प्राप्त	नहीं	किया गया	प्राप्त
21.	श्री अनिल कुमार–2	प्राप्त	08	नहीं	प्राप्त	नहीं	किया गया	प्राप्त
22.	श्री रबीन्द्र कुमार	प्राप्त	02	किया गया	प्राप्त	हां	किया गया	प्राप्त
23.	अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़	प्राप्त	अप्राप्त	किया गया	प्राप्त	किया गया	विहित प्रपत्र में प्राप्त	प्राप्त
24.	अनुमण्डल पदा0 दानापुर	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
25.	अनुमण्डल पदा0 मसौढ़ी	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	किया गया	अप्राप्त
26.	अनुमण्डल पदा0 पालीगंज	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त
27.	अनुमण्डल पदा0 पटना सिटी	अप्राप्त	अंकित नहीं	नहीं	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
28.	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	किया गया	प्राप्त
29.	श्रीमती अनिमा सिन्हा	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

सभी पदाधिकारियों को यह स्पष्ट किया गया कि जिन लोगों के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में उसी प्रकार का अभिलेखन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाएगा एवं जिन लोगों के द्वारा कार्यो के प्रति रूचि नहीं ली जा रही है, उनके वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में इस बात को दर्ज करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन सरकार को भेजा जाएगा।

(अनुपालन– सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

4. नीलाम पत्र वादों का कम्प्यूटराइजेशन

जिलाधिकारी द्वारा यह सूचना दी गयी कि इस जिले के सभी नीलाम–पत्र वादों के ब्यौरे को बेवसाईट पर जारी कर दिया गया है। इसका बेवसाईट **http\\.patna.bih.nic.in** है। यह अत्यन्त ही प्रसन्नता की बात है कि पिछले कई महीनों से इस दिशा में किए जा रहे प्रयास अन्ततः सफल हुआ है तथा नीलाम–पत्र न्यायालयों में चल रहे वादों के संबंध में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर सकेगा। इसके **Usable Form** में सुधार की आवश्यकता है, चूंकि केस संख्या देने पर ब्यौरा प्राप्त होता है, परन्तु अन्य ऑप्शन देने पर इसका ब्यौरा प्राप्त नहीं होता है। इस संबंध में जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एवं राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी को साइट को सुधारने हेतु पत्र निर्गत किया गया है। जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को पुनः स्मारित कर इसे सुधार कराने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। अगली बैठक से जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को भी इस बैठक में उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

इस डाटा को हमेशा अपडेट किए जाने की जरूरत है, इसके लिए सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारियों एवं अनुमण्डल पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वे वैसे सभी वादों जिसके संबंध में निष्पादन अथवा वसूली की सूचना दी जा रही है, को 26 बिन्दु प्रपत्र में अंकित करते हुए प्रतिवेदन के साथ

अनिवार्य रूप से भेजें ताकि बेवसाईट में वादों की अद्यतन स्थिति को अंकित करते हुए अपडेट किया जा सके अर्थात् जब भी वादों के निष्पादन/राशि की वसूली की सूचना जिला को दी जाती है तो इसके साथ उन वादों का पूर्ण ब्यौरा अवश्य संलग्न किया जाय।

(अनुपालन– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर/सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा/सभी पेशकार)

26 बिन्दु प्रपत्र

नीलाम–पत्र न्यायालय का नाम

क्रमांक	अधियाची विभाग का नाम	अधियाची विभाग का मुख्यालय	वाद संख्या	वर्ष	देनदार का नाम	पिता का नाम	ग्राम/ महल्ला	वार्ड/ पंचायत का नाम	थाना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रखंड	सन्निहित राशि	दायर करने की तिथि	प्रपत्र–7 में नोटिश निर्गत करने की तिथि	डी/ डब्लु निर्गत करने की तिथि	बी0/डब्लु निर्गत करने की तिथि	वसूली की गई राशि।		अवशेष वसूलनीय राशि
						राशि	तिथि	
11	12	13	14	15	16	17	18	19

लंबित रहने के कारण						
प्रपत्र–7के नोटिश का तामिला अप्राप्त	देनदार की मृत्यु	गलत पता	तलवाना की राशि जमा नहीं	अन्य न्यायालय द्वारा पारित आदेश	अन्य कारण	अभ्युक्ति
20	21	22	23	24	25	26

5. नन–बैंकिंग वादों का ब्यौरा 26 बिन्दु प्रपत्र में तैयार कर भेजने के संबंध में

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर को यह निदेश दिया गया कि वे नन–बैंकिंग से संबंधित वादों यथा– सैरात, तकाबी, लगान, श्रम अधिनियम इत्यादि के अन्तर्गत दायर वादों को 26 बिन्दु प्रपत्र में तैयार कर इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं भेजी गयी है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ ने ही तत्संबंधी प्रतिवेदन एवं इसकी सी0डी0 हस्तगत करायी है। अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर ने इसकी सूची आंशिक रूप से तैयार कर भेजा है परन्तु अन्य अनुमण्डलों से यह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। विगत दो बैठकों से यह निदेश जा रहा है कि इसे एक सप्ताह में तैयार कर इसकी सी0डी0/फलौपी अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें परन्तु इसके अनुपालन नहीं किये जाने को काफी गंभीरता से लेते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर से **स्पष्टीकरण** पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर, बाढ़)

6. नीलाम पत्र न्यायालयों का नियमित संचालन करना :

पूर्व की बैठकों में यह निदेश दिया था कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी अगली बार से अपने मासिक प्रतिवेदन में सारे व्योरे के साथ इसका भी उल्लेख करेंगे कि विगत माह में उनके द्वारा कितने दिन न्यायालय का कार्य किया गया तथा कितने केसों पर सुनवाई की गई। यह व्यौरा पूर्व में 21 बिन्दु प्रपत्र में साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराया जा रहा था अब मुख्य सचिव, बिहार के निदेशानुसार इसे निम्नांकित 22 बिन्दु प्रपत्र में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी **प्रत्येक पक्ष** यानि **माह की पहली तारीख एवं 15वीं तारीख** को प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में भेंजेंगे। परन्तु यह प्रतिवेदन अधिकतर नीलाम पत्र पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी से अप्राप्त है जिससे स्पष्ट है कि नीलाम पत्र न्यायालय का नियमित संचालन नहीं किया जा रहा है। पुनः निदेश दिया गया कि नीलाम पत्र न्यायालय का नियमित संचालन किया जाय ताकि अधिकाधिक मामलों का निष्पादन हो सके।

Sl. no.	Name of officer	No. of case pending at the begning of the fortnight		No. of cases heard during the fortnight		No of cases disposed during the fortnight		No. of cases which recovery made during the fortnight		No of cases pending at end of the fortnight	
		No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No	Amount	No.	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Oldest pending case				Status of Pending Cases							
No. of the case	Amount	Form 7 not served	Talwana not deposted	Other court's instructions	D.W. Issued	B.W. Issued	Death of Certificate debtor	Report of R.O. Waiting	No. of court days		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/ सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला)

7. नीलाम पत्र पदाधिकारीवार/अनुमंडलवार लक्ष्य/उपलब्धि की समीक्षा

जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के लंबित वादों की स्थिति तथा उनके द्वारा माह मई में वसूल की गई राशि की विस्तृत समीक्षा की तथा जिन लोगों द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रपत्र–7 का तामिला, डी0डब्लू0/बी0डब्लू0 निर्गत नहीं किए गए हैं उन्हें तुरंत नीलाम पत्र वादों के निष्पादित सुनिश्चित कर इसमें अपेक्षित सुधार लाने का निदेश दिया। उन्होंने नीलाम पत्र पदाधिकारियों को खासकर बड़े बकायेदार के विरूद्ध समुचित एवं कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया तथा अपेक्षा की कि अगले माह अपने–अपने न्यायालय में लंबित वादों के निष्पादन की दिशा में कारगर कार्रवाई करेंगे। जिलाधिकारी ने नीलाम–पत्र पदाधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन कर उनके रैंकिंग करने का भी निदेश दिया तथा जिन जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारियों की प्रगति नगण्य है, उनकी साप्ताहिक समीक्षा प्रत्येक मंगलवार को 05.30 बजे अपराह्न में अपने कार्यालय कक्ष में करने का निदेश दिया।

अनुमण्डलवार समीक्षा के क्रम में स्पष्ट हुआ कि किसी भी अनुमण्डल की वसूली का प्रतिशत उल्लेखनीय नहीं है। पटना सदर एवं पटना सिटी अनुमण्डल का वसूली प्रतिशत **शून्य** है। इन अनुमण्डल पदाधिकारियों द्वारा नीलाम–पत्र वादों के निष्पादन में कोई अभिरूचि नहीं ली जा रही है। तथ्यों के साथ इनलोगों के द्वारा कार्य में बरती जा रही लापरवाही से सरकार को अवगत कराने का निदेश दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर को बार–बार त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन की ओर इंगित करने के बावजूद अनुमण्डलवार संकलित प्रतिवेदन विभागवार/पदाधिकारीवार नहीं भेजा जा रहा है, जो अत्यन्त ही खेदजनक है। पटनासिटी अनुमण्डल द्वारा प्रतिवेदन ही समर्पित नहीं किया गया है। सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपने पदाधिकारियों को केस उपस्थापित करने के लिए दवाब दें। आयुक्त महोदय द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान नीलाम पत्र वादों के धीमे निष्पादन पर असंतोष व्यक्त किया गया है। नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में जो भी कठिनाइयां आती हैं उन्हें प्रतिवेदित करने का सुझाव दिया गया ताकि इन कठिनाइयों से सरकार को अवगत कराया जा सके। नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में रूचि नहीं लेने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी नीलाम–पत्र शाखा)

जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारीवार माह मई 2007 का प्रगति प्रतिवेदन

क्र0	जिला पत्र पदाधिकारी का नाम	1.4.07 को लंबित	1.4.07 को लंबित वादों से सम्बन्धित राशि	2007–08 के प्रतिवेदन माह तक		कुल वाद	सम्बन्धित राशि	इस माह के पूर्व निष्पादित		इस माह निष्पादित		कुल निष्पादित		कुल लंबित वाद (1–13)	कुल लंबित राशि (3–14)	लंबित वादों की स्थिति								
				दायर वाद	सम्बन्धित राशि			वादों की सं0	सम्बन्धित राशि	वादों की सं0	सम्बन्धित राशि	वादों की सं0	सम्बन्धित राशि			वर्ष–1 के लंबित आवेदन	देयदल की मृत्यु	पक्षकार की रीपोर्ट उपलब्ध नहीं	अन्य न्यायालय द्वारा पारित आदेश	अतिरिक्त पदाधिकारी से प्रतिवेदन अपेक्षित	वैध वाद	वैध वाद	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	श्री अवधेश कुमार	250	1655989			250	1655989							250	1655989	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	श्री अजीत पाण्डेय	15	15802651	-	-	15	15802651							15	15802651	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	श्री कादर	83	9235801	-	-	83	9235801	2	163147	0	0	2	163147	81	9672744	80	3	-	-	-	3	8	-	-
4	श्री अरूण कुमार शर्मा	31	5875300	-	-	31	5875300	2	59743	1	202950	3	262693	28	5612607	0	2	-	-	-	2	10	7	-
5	श्री राज किशोर सिन्हा	48	2792461			48	2792461							48	2792461	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	श्री दुखहरण झा	92	10398022	-	-	92	10398022			2	118575	2	118575	90	10279447	3	-	-	-	3	12	71	3	
7	श्री अजित कुमार दास	211	6058000			211	6058000							211	6058000	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	श्रीमती अनिता सिन्हा	250				250								250	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	श्री मैत्र कमल	212	31073709	-	-	212	31073709							212	31073709	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	श्री उदय शंकर सिन्हा	323	19978313	-	-	323	19978313							323	19978313	18	-	-	-	-	81	201	2	-
11	श्री अनिल कुमार	524	24367469	-	-	524	24367469			0	77909		77909	524	24289560	402	-	-	-	-	5	61	48	
12	श्री राजेश कुमार	420	10781845	-	-	420	10781845			67	307103	67	307103	353	10474742	188	-	-	-	-	42	81	42	-
13	श्री दिनेश सिंह	530	13280517	-	-	530	14133855	1	2391638	0	0	1	2391638	529	11742217	437	-	-	-	-	11	80	1	-
14	श्री संजय कुमार	250	7023192	-	-	250	7023192							250	7023192	212	-	-	-	-	5	1	-	32
15	श्रीमती शकुन्तला प्रसाद	116	20129143	-	-	116	20129142							116	20129142	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	श्री दिनेश कुमार	108	419404524	-	-	108	419404524	0	74000	0	74000		148000	108	419256524	79	-	-	-	2	10	12	5	-
17	श्री महेन्द्र पासवान	199	1131899	-	-	199	11131899							199	11131899	78	-	-	-	-	104	-	-	-
18	श्री अजीत कुमार II	93	5642362	-	-	93	59642362	2	153446		903134	2	1056580	91	58585782	-	-	-	-	-	91	91	-	
19	श्रीमती वीणा कुमारी	368	10847767	-	-	368	10847767				0		0	368	10847767	270	-	-	-	-	28	45	25	
20	श्री अरूण कुमार सिंह	199	277052	-	-	199	27700520				0		0	199	27700520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	श्री रजनीश कुमार सिंह	98	5829116	-	-	98	5829116	4	20035	20	219802	24	239837	74	5589279	5	-	-	-	7	16	50	-	-
22	श्री राजाराम कुमार चौधरी	153	2380348	-	-	153	2380348				0		0	153	2380348	114	-	-	-	-	-	24	15	-
23	श्रीमती एकता शर्मा	191	5560697	-	-	191	5560697			-	0		0	191	5560697	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	श्री दुखहरण परवेज अंसारी	113	1259041	-	-	113	1259241	1	25166		0	1	25166	112	1234075	55	4	-	8	-	-	-	-	-
25	श्रीमती वीणा सिन्हा	113	514681622			113	514681622				0		0	113	514681622	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल योग	4996	1146866930	0	0	4990	1738343935	12	2887175	90	1913473	102	4798648	4888	1733553287	1941	9	0	8	12	410	735	148	32

विभिन्न अनुमंडलों का माह गई 2007 तक नीलाम पत्र वादों से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन।

क्र0	अनुमंडल का नाम	01.04.07 का लंबित वाद	01.04.07 के लंबित वादो मे सन्निहित राशि	प्रतिवेदित माह मे दायर वादो की संख्या	प्रतिवेदित माह मे दायर वादो मे सन्निहित राशि	कुल लंबित वाद	कुल लंबित वादो मे सन्निहित राशि	पूर्व माह मे निष्पादित वाद की संख्या	पूर्व माह मे निष्पादित वादो मे सन्निहित राशि	वर्तमान माह मे निष्पादित वादो की संख्या	वर्तमान माह मे निष्पादित वादो मे सन्निहित राशि	कुल निष्पादित वाद	कुल निष्पादित वादो मे सन्निहित राशि	कुल लंबित वाद	कुल लंबित वादो मे सन्निहित राशि	वसूली का प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	पटना सदर	10110	315680593.00			10110	315680593.00							10110	315680593.00	0	
2	पटना सिटी	3605	247645744.00			3605	247645744							3605	247645744.00	0	माह अंत एवं वर्ष का प्रतिवेदन अप्राप्त
3	दानापुर	9173	191843477.00			9173	191843477.00	26	1256899.00	10	856915.00	36	2113814	9137	189729663.00	1.11	प्रतिवेदन मे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये अंकडे प्राप्त है।
4	बसौढी	2846	56521394.00			2846	56521394.00	4	500000.00	15	486461.00	19	986461	2827	55534933.00	1.78	प्रतिवेदन मे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये अंकडे प्राप्त है।
5	फतुहा	2720	52426076.00			2720	52426076.00	4	181245.00	5	108080.00	9	289325	2711	52136751.00	0.55	प्रतिवेदन मे अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये अंकडे प्राप्त है।
6	बाढ	9579	194214547.00			9579	194214547	20	258732.00	8	917510.00	28	1176241	9551	193038306.00	0.61	
	कुल	38033	1058331831	0	0	38033	1058331831	54	2196876	38	2368966	92	4565841	37941	1053765990	0.43	

PERCENTAGE ACHIEVEMENT OF TARGET
(FINANCIAL)

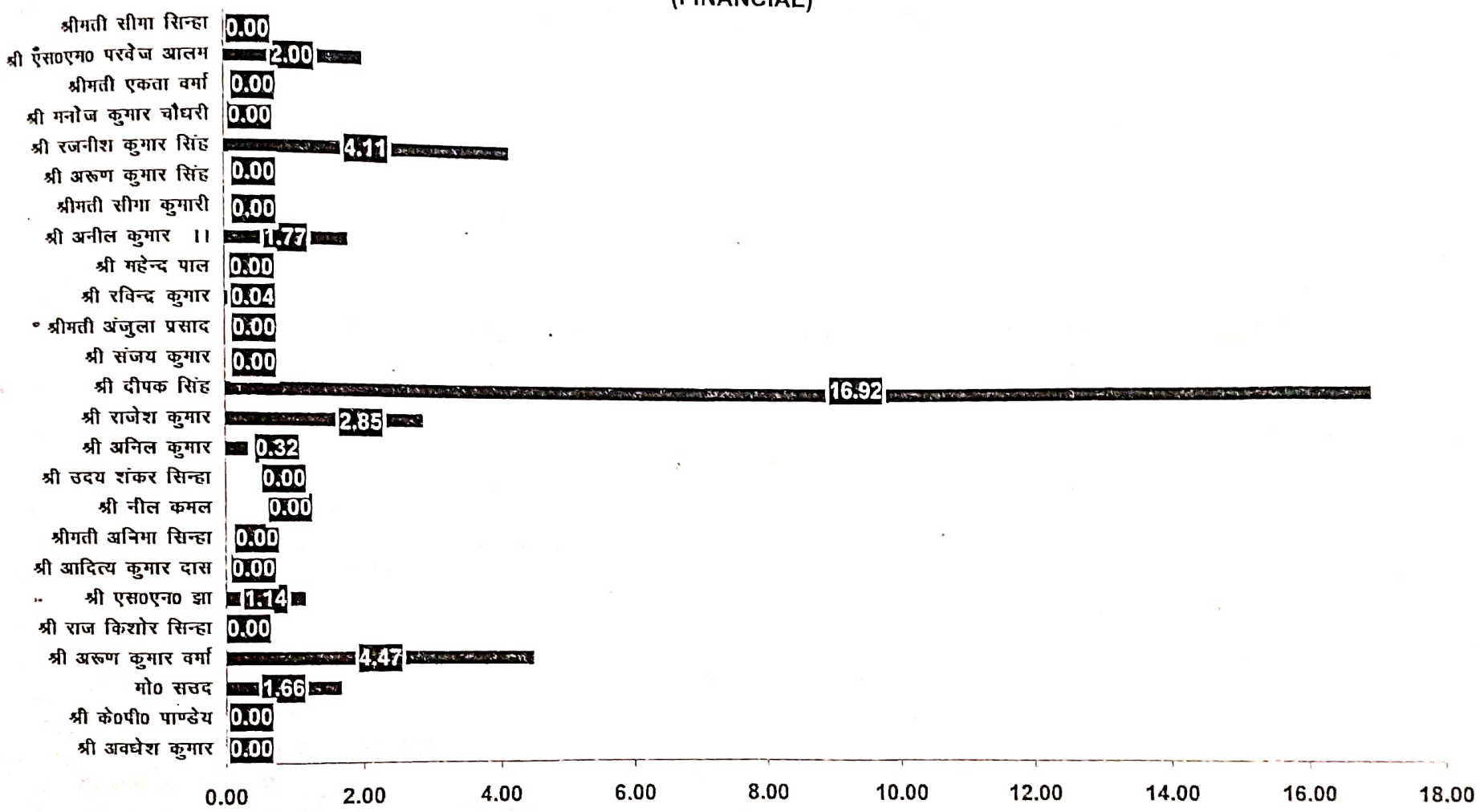

RECOVERY IN MAY.-2007 IN Rs.

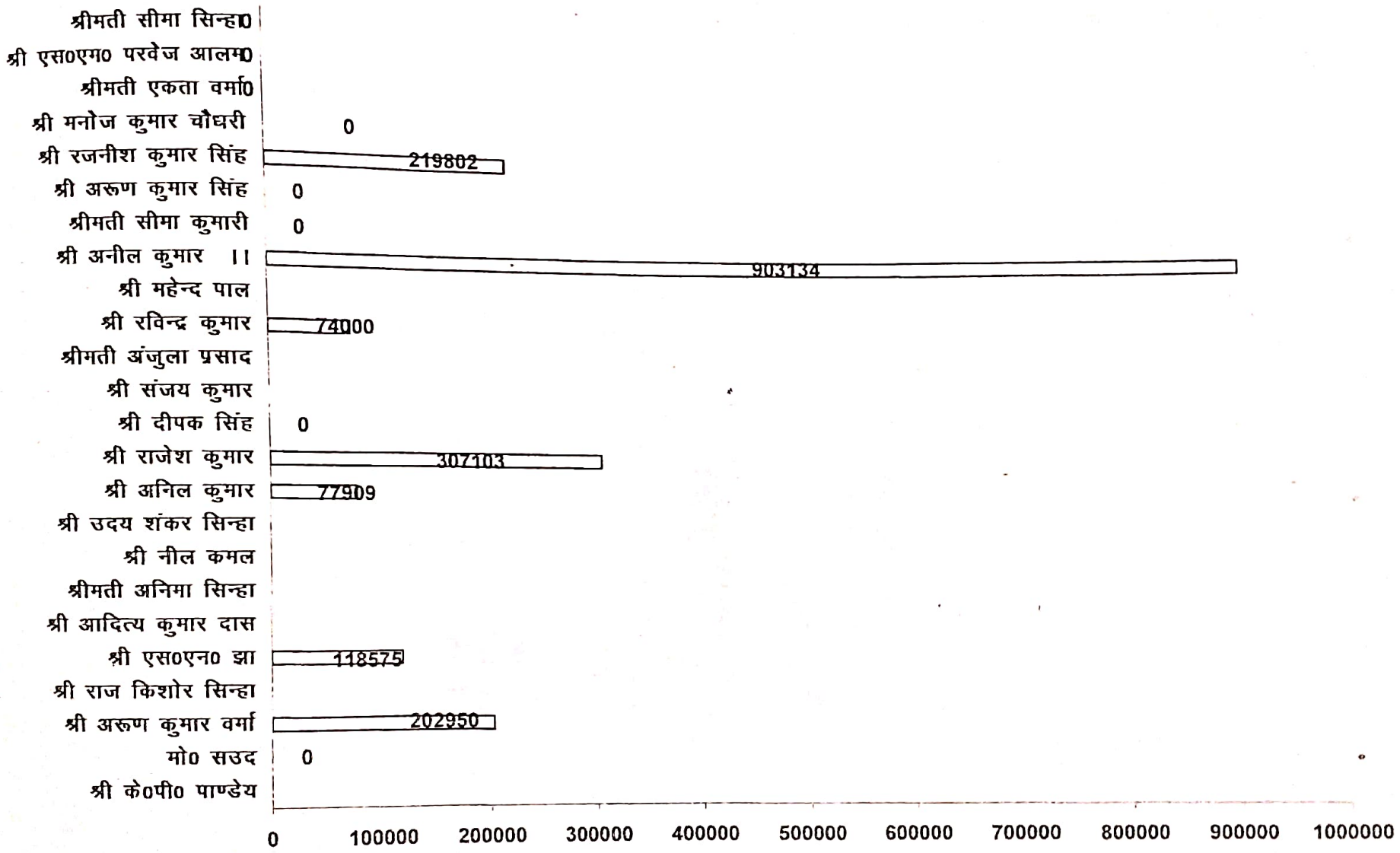

जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारियों के मई माह की वसूली की समीक्षा के उपरान्त यह निदेश दिया गया कि जिन लोगों के द्वारा इस माह में शून्य वसूली की गयी है, उनसे स्पष्टीकरण की मांग की जाय तथा यह पृच्छा की जाय कि क्यों नहीं इस बिन्दु को उनके वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में अंकित कर दिया जाय। जिन नीलाम–पत्र पदाधिकारियों द्वारा अच्छा उपलब्धि की गयी है, उन्हें प्रशंसा–पत्र देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– समी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा)

PERCENTAGE ACHIEVEMENT OF TARGET (FINANCIAL)

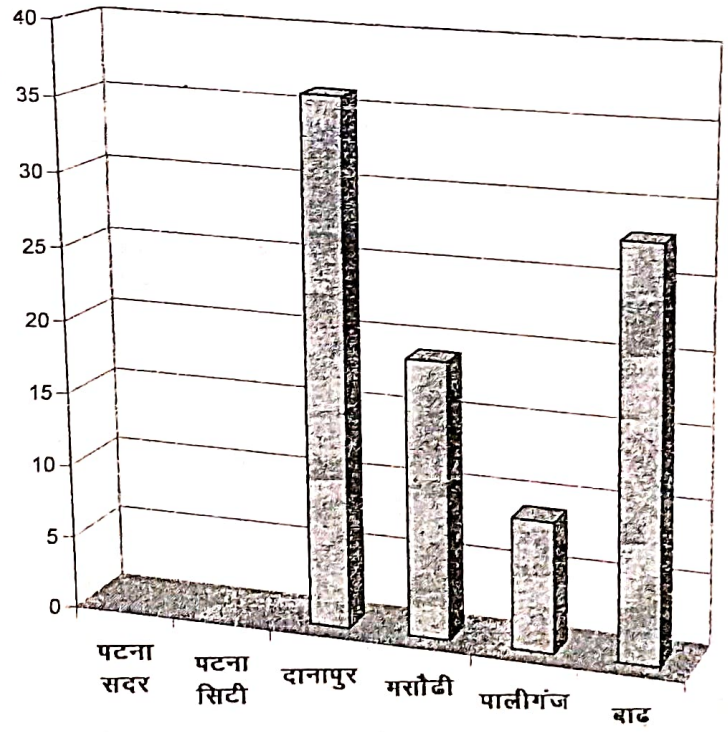

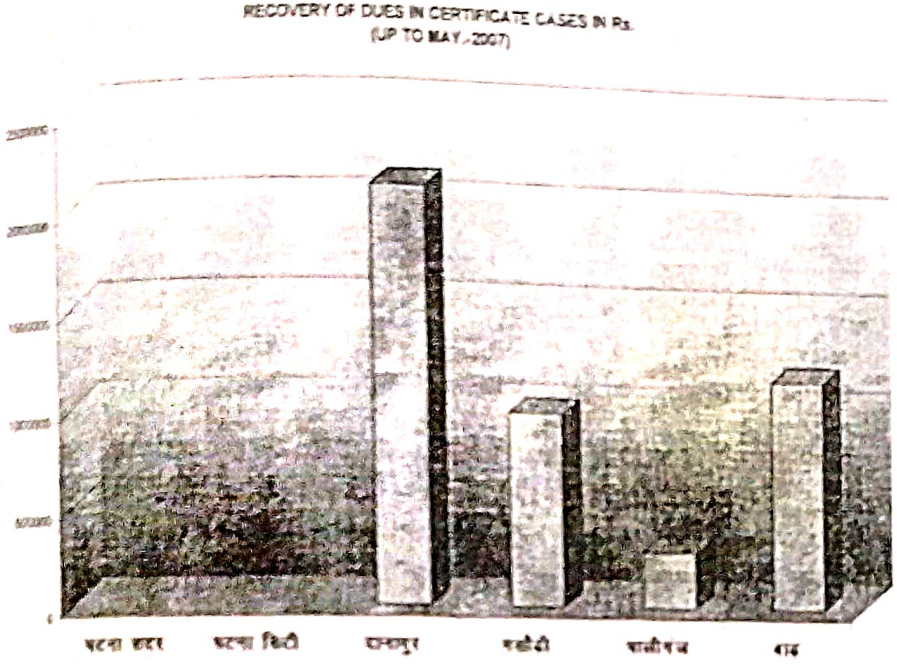
RECOVERY OF DUES IN CERTIFICATE CASES IN Rs.
(UP TO MAY.-2007)
घटना सदर
घटना सिटी
दानापुर
मसौढी
पालीगंज
बाढ

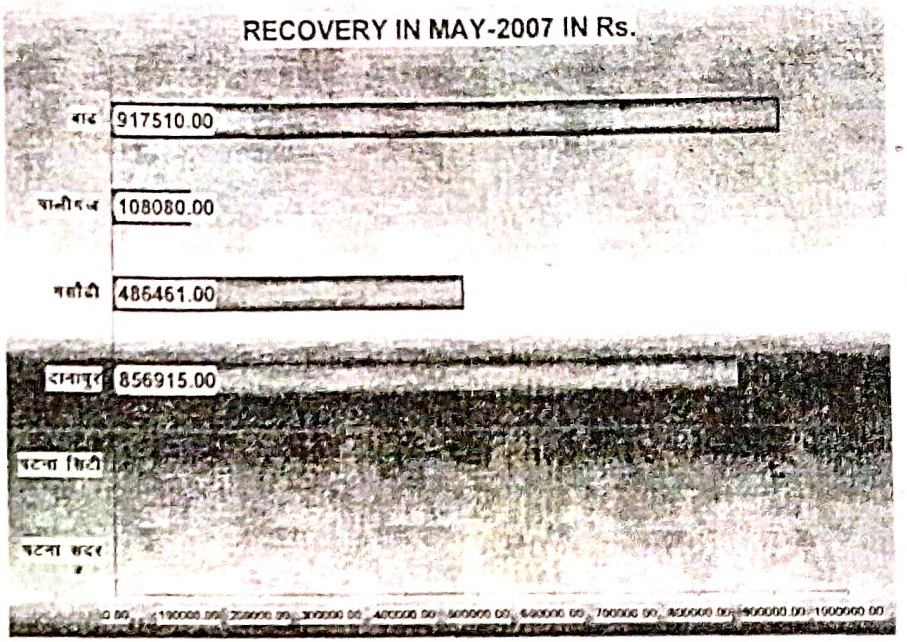
RECOVERY IN MAY-2007 IN Rs.
बाढ
917510.00
पालीगंज
108080.00
मसौढी
486461.00
दानापुर
856915.00
घटना सिटी
घटना सदर

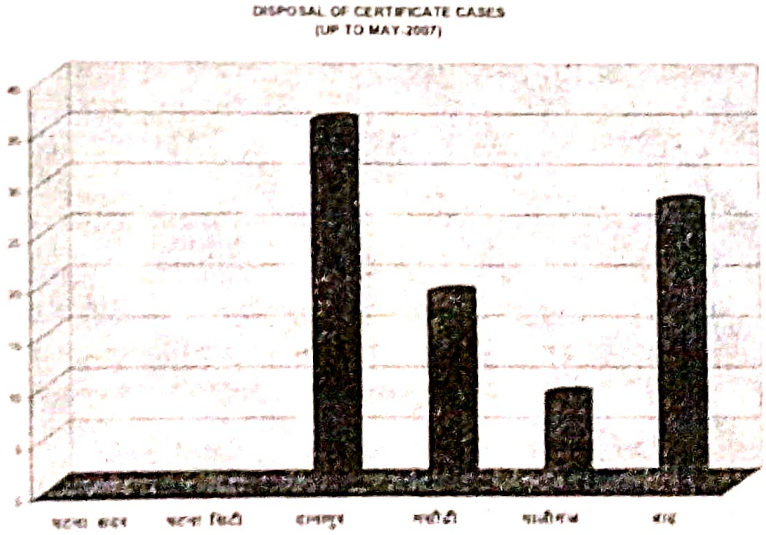
DISPOSAL OF CERTIFICATE CASES
(UP TO MAY-2007)
घटना सदर
घटना सिटी
दानापुर
मसौढी
पालीगंज
बाढ

मई माह की प्रगति की अनुमण्डलवार समीक्षा से यह स्पष्ट है कि मसौढ़ी, पालीगंज एवं पटना सदर एवं पटनासिटी अनुमण्डल ने विगत माह नीलाम–पत्र वादों के निष्पादन में कोई अभिरूचि नहीं ली है। लगातार निदेश दिए जाने के बावजूद इस तरह के प्रगति पर असंतोष एवं खेद व्यक्त किया गया तथा यह चेतावनी भी दी गयी कि नीलाम–पत्र वादों के निष्पादन हेतु सभी अनुमण्डल पदाधिकारी प्राथमिकता से लें तथा इसमें अपेक्षित गति लाकर राशि की वसूली सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी)

अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन भेजने पर अप्रसन्नता व्यक्ति की एवं बार–बार त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन क्यों भेजा जा रहा है, इसके संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया। **अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर, पटना सिटी के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि विगत माह इन लोगों ने नीलाम–पत्र वादों के निष्पादन में कोई अभिरूचि नहीं लिया है।** इसपर **नाराजगी एवं अप्रसन्नता** व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि अगर अगले माह इनके निष्पादन/वसूली में अपेक्षित सुधार नहीं आता है तो सरकार को इस आशय की टिप्पणी प्रेषित की जाय कि इनलोगों के द्वारा नीलाम–पत्र वादों के निष्पादन में अभिरूचि नहीं ली जाती है।

8. नोटिश तामिला की प्रकिया :

इस सम्बन्ध में विगत माह में दिए गए निदेश की समीक्षा की गई एवं यह स्पष्ट किया गया कि नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में सबसे अहम भूमिका पदचर अनुसेवियों की होती है। इनलोगों के द्वारा इसे गम्भीरता से नहीं लिया जाता है तथा ज्यादातर मामलों में बैठे–बैठे नोटिश के पीछे यह अंकित कर दिया जाता है कि बकायेदार के यहाँ गया और उनके द्वारा नोटिश लेने से इनकार किया गया अथवा उनका कोई पता नहीं चला या गवाही देने से लोगों ने इनकार कर दिया। यह अत्यन्त ही दुःखद परिस्थिति है। इसका कुप्रभाव नीलाम पत्र वादों के निष्पादन पर पड़ता है। तामिला हेतु एक Mechanism तैयार करने की आवश्यकता है तथा इनमें लगे पदचरों/ अनुसेवियों को Motivate करने की भी आवश्यकता है।

अतः यह निदेश दिया गया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी अनुसेवियों द्वारा तामिला कराये गए नोटिश एवं अंकित किए गए प्रतिवेदनों की समीक्षा करें कि उनके द्वारा किन–किन क्षेत्रों में जाकर किन–किन नोटिशों का वास्तविक रूप से तामिला कराया गया है। यह समीक्षा सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी तथा सभी अनुमंडल पदाधिकारी साप्ताहिक रूप से निम्नांकित प्रपत्र में करेंगे। इस माह केवल अनुमण्डल बाढ से यह प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्राप्त हुआ है।

कमांक	पदचर का नाम	विगत सप्ताह तक लंबित नोटिस/पत्र की सं0	आलोच्च सप्ताह में दिया गया पत्र/नोटिश	कुल पत्र/नोटिश	आलोच्च सप्ताह में तामिला कराये गये पत्र/नोटिश	लंबित पत्र/नोटिश जिनका तामिला नहीं हो सका	लंबित रहने का कारण	अभियुक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09

विगत दो माह से उपरोक्त प्रपत्र में नोटिस तामिला की समीक्षा कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया जा रहा है परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो अत्यन्त ही खेदजनक है। जिलाधिकारी ने अगले माह से प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र को पावरप्वाईंट प्रजेन्टेशन में यह भी अंकित करने का निदेश दिया गया कि किन पदाधिकारियों द्वारा इसकी समीक्षा कर उपरोक्त प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजा जा रहा है, उसे भी अंकित करें।

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला)

9. अधियाची विभाग द्वारा निष्पादन में अभिरूचि नहीं लिए जाने के सम्बन्ध में

नीलाम पत्र पदाधिकारियों द्वारा यह उल्लेख किया गया कि जिला स्तर पर विभिन्न अधियाची विभागों को नोटिश तामिला हेतु दिया जा रहा है, परन्तु उन लोगों के द्वारा इसका तामिला कराने में अपेक्षित सहयोग नहीं दिया जाता है तथा यह अंकित कर दिया जाता है कि बकायेदार का पता नहीं मिला एवं अब वे निर्धारित स्थल पर नहीं रहते हैं। यह अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिलाधिकारी द्वारा ऐसे मामलों में अधियाची विभाग के विरूद्ध विभागीय सचिव/बैंक के मुख्य प्रबंधक को लिखने हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को भेजने का निदेश दिया गया तथा इसके पश्चात् धारा 53 (2) के तहत स्पीकिंग ऑर्डर (Speaking Order) पास करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त करने का निदेश दिया गया। वाद समाप्त करने के पूर्व सम्बन्धित अधियाची विभाग एवं वरीय पदाधिकारियों को इसकी चेतावनी अनिवार्य रूप से दे दी जाए। साथ ही आदेश में यह भी अंकित कर दिया जाय कि अधियाची विभाग ऋणी का सही पता की जानकारी प्राप्त कर न्यायालय को अगर सूचना देता है तो इस वाद की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की जा सकेगी।

सभी अधियाची पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वे अगली बैठक से पंजी–IX एवं इसमें वसूल की गयी राशि का वादवार ब्यौरा लेकर बैठक में भाग लेंगे, चूंकि ज्यादातर अधियाची विभाग को यह जानकारी ही नहीं है कि उनके विभाग के कितने नीलाम–पत्र वाद, किन–किन न्यायालय में लंबित हैं। अधियाची विभागों द्वारा नीलाम–पत्र वाद दायर किए जाने की खानापुरी की जा रही है तथा इसके बाद वह निश्चिन्त होकर प्रतिवेदन भेज दे रहे हैं कि इन मामलों में नीलाम–पत्र वाद दायर कर दिया गया है, जबकि इसके निष्पादन के लिए उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

(अनुपालन– सभी अनुमण्डलाधिकारी/सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा/सभी अधियाची पदाधिकारी)

10. बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कार्रवाई :

सभी जिला स्तरीय नीलाम पत्र पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि वे पटना शहर के बड़े बकायेदारों के विरूद्ध निर्गत वॉडी वारण्ट को कार्यान्वयन हेतु वारण्ट **जिला नियंत्रण कक्ष** को प्रेषित करें तथा जिला नियंत्रण कक्ष प्रत्येक दिन अधियाची विभाग के साथ कार्यक्रम निर्धारित कर दंडाधिकारी/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर गिरफ्तार करने हेतु कार्रवाई करेंगे। इसी तरह अनुमण्डल स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर वारण्ट के कार्यान्वयन का निदेश दिया गया तथा इस हेतु अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी एवं थाना के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। 2.00 लाख या इससे उपर के राशि के ऋणियों की सूची सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को हस्तगत करायी गयी तथा जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारियों को भी इन बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। पूरे जिला में जिला स्तरीय नीलाम–पत्र वादों में कुल 124 बकायेदार 2.00 लाख से उपर की राशि के हैं जबकि अनुमण्डल स्तरीय नीलाम–पत्र वादों में इनकी संख्या 265 है। पूरे पटना जिला में 389 बड़े बकायेदार है, जिनकी सूची तैयार कर सभी संबंधित को दी गयी है, पर ध्यान केन्द्रित कर राशि की वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया, चूंकि 70 प्रतिशत सरकारी राशि इन लोगों के जिम्मे ही बकाया है। यह भी निदेश दिया गया कि अगली बैठक से मात्र इन वादों के निष्पादन की वादवार समीक्षा की जाएगी तथा इसका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराया जाय एवं इन केसों का व्यक्तिगत अनुश्रवण किया जाय।

(अनुपालन– सभी अनुमण्डलाधिकारी/सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा)

11. पंजी– IX एवं X का मिलान :

जिलाधिकारी द्वारा पंजी –IX एवं X के मिलान के सम्बन्ध में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की तथा यह निदेश दिया कि अधियाची पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई जाय एवं 26 बिन्दु प्रपत्र पर बनाए गए विवरण शाखावार/विभागवार तैयार कर इसकी दो प्रति नीलाम पत्र पदाधिकारी अधियाची विभाग/बैंक को हस्तगत करेंगे तथा पुनः अगले सप्ताह एक बैठक बुलाकर उसका एक सत्यापित प्रति जिसमें मिलान कर अद्यतन वसूली अंकित किया गया हो, उसे विभाग ले लेंगे ताकि रिकन्सीलिएशन हो सके। अधियाची पदाधिकारी के साथ आहूत की गयी **बैठक की कार्यवाही अनिवार्य रूप से तैयार की जाय** एवं इसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी भेजी जाय।

यह अत्यन्त ही गम्भीर स्थिति है तथा जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को अपने–अपने अधियाची विभाग की बैठक बुलाकर प्रपत्र IX एवं X का मिलान कराकर विहित प्रपत्र में राशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र लेने का निदेश दिया। यह प्रपत्र सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।

12. थानावार वारण्टों की सूची तैयार करने के संबंध में :– (अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना जिला)

जिलाधिकारी द्वारा सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी को अपने–अपने न्यायालय में लंबित वादों को थानावार वर्गीकृत करते हुए एक पंजी संधारित करने का निदेश दिया तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किए जाने का भी निदेश के साथ–साथ **इसकी प्रति जिला को भेजने का निदेश दिया था** परन्तु मसौढ़ी, बाढ़, पालीगंज अनुमण्डल एवं कुछ पदाधिकारियों को छोड़ अन्य जगहों से प्राप्त नहीं हो सका है। प्राप्त सूची के अनुसार जिला स्तर पर कुल 678 वारण्ट 44 थानों में निम्नांकित रूप से निर्गत किए गए हैं।

क्रमांक	थाना	वारंन्टो की संख्या	क्रमांक	थाना	वारंन्टो की संख्या	क्रमांक	थाना	वारंन्टो की संख्या
1	कदमकुआँ	22	16	गर्दनीबाग	3	31	दीदारगंज	4
2	कंकड़बाग	11	17	आलमगंज	9	32	फतुहाँ	7
3	अगमकुआँ	3	18	मालसलामी	13	33	सचिवालय	1
4	घोषवरी	1	19	सिगोरी	1	34	खगौल	4
5	खुशरूपुर	4	20	पीरबहोर	13	35	श्रीकृष्णापुरी	1
6	बाढ़	83	21	नौबतपुर	7	36	मोकामा	93
7	गाँधी मैदान	14	22	जक्कनपुर	3	37	पालीगंज	5
8	कोतवाली	17	23	मनेर	10	38	कृष्णापुरी	1
9	शास्त्रीनगर	4	24	चौक	16	39	बख्तियारपुर	92
10	पुनपुन	1	25	मसौढ़ी	22	40	पंडारक	36
11	विक्रम	46	26	धनरूआ	28	41	अथमलगोला	18
12	दिघा	4	27	पाटलिपुत्रा	6	42	बेलछी	6
13	हाथीदाह	6	28	सुल्तानगंज	6	43	फुलवारीशरीफ	3
14	बिहटा	14	29	खाजेकलाँ	6	44	दुल्हिनबाजार	15
15	दानापुर	18	30	गौरीचक	1	कुलः–	678	

उपरोक्त थाना प्रभारियों को वारण्टों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु निदेश देने के लिए वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना को पत्र निर्गत करने का निदेश जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को दिया गया।

सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी से यह अपेक्षा की गयी कि अब जब सारे अभिलेखों पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है तथा क़ेसों को जिन्दा कर दिया गया है, डी0डब्लू/बी0डब्लू0 निर्गत करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है, सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी बड़े बकायेदारों के मामलों का व्यक्तिगत अनुश्रवण कर खुद कुछ मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि बड़े बकायेदार से राशि की वसूली हो सके

तथा लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। इसके साथ ही जिन मामलों में वसूली कह गयी है अथवा वाद समाप्त किया गया है, उसकी सूचना भी पाक्षिक प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर भेजें ताकि बेवसाईट में उसे अपडेट किया जा सके। मार्च माह की वसूली को असंतोषजनक बताते हुए चिन्ता जाहिर की गयी तथा अपेक्षा की गयी कि अगले माह से इसमें पुनः अपेक्षित वृद्धि आएगी तथा सभी पदाधिकारी पूरे मनोयोग के साथ इसके निष्पादन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि वे अगली बैठक से अधियाची विभागों के साथ–साथ सभी बैंकों के कॉडिनेटर को भी इस बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेंगे ताकि सभी के बीच अधोहस्ताक्षरी के स्तर से समन्वय स्थापित किया जा सके एवं ऐसे मामले जिनमें अधियाची विभागों के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण मामले लंबित है, उसका निष्पादन शीघ्र कराया जा सके।

13. सामान्य निदेश :–

- बैठक की कार्यवाही में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
- पदाधिकारियों का विन्दुवार संचिका खोलने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा को दिया गया।
- प्रत्येक नीलाम पत्र वाद के निष्पादन के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। जब तक अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जायगा, उस पर विश्वास नहीं किया जायगा यानि निष्पादित या वैसे वाद जिनमें वसूली हुई है, का अभिलेख बैठक में साथ लाने का निदेश दिया गया।
- बड़े बकायेदारों के विरूद्ध जो भी कार्रवाई की गयी है उसे अवलोकनार्थ उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।
- प्रत्येक 15 दिन पर नीलाम पत्र वादों के समीक्षोपरान्त आयुक्त, पटना प्रमण्डल द्वारा दर्ज की गयी टिप्पणी का अध्ययन कर समुचित कार्रवाई करने का निदेश सभी पदाधिकारियों को दिया गया।
- कोई नीलाम पत्र वाद किस कारण से लम्बित है उसके कारणों का विश्लेषण कर वादवार तैयारी करने का निदेश दिया गया।
- पंजी IX एवं X का मिलान करने का निदेश दिया गया।
- नीलाम पत्र वादों की सूचना थानावार समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- वैसे अधिकारी जिनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है के, नीलाम पत्र वादों का review प्रत्येक मंगलवार को अपराह्न 5.00 बजे किये जाने का निर्णय लिया गया।
- नीलाम पत्र वादों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन नहीं भेजने के कारण और वादों के निष्पादन में रूचि नहीं लेने के कारण सम्बन्धित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
- नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में रूचि लेने और अधिक–से–अधिक वादों के निष्पादन हेतु कड़ी मेहनत करने का सुझाव दिया गया।
- नीलाम पत्र वादों के निष्पादन हेतु Certificate Manual एवं इस संबंध में जिला द्वारा भेजी गयी मार्गदर्शिका (Guidelines) का अध्ययन करने का सुझाव दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना।

19-840/07

ज्ञापांक..... 636/A पटना, दिनांक 11.07.07

प्रतिलिपि – वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना/सभी अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना जिला/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला/प्रभारी दण्डाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना एवं सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/सभी अधियाची पदाधिकारी, पटना जिला/सभी बैंक कॉडिनेटर, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पटना को बेवसाईट में सुधार करने एवं अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Rajender
10.7.07

जिलाधिकारी, पटना।

दिनांक 27.07.2007 को नीलाम पत्र वादों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला–स्तरीय नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही

1. उपस्थित

1. डॉ0 बी0 राजेन्दर, समाहर्ता, पटना।
2. श्री अवधेश कुमार, अपर जिला दण्डा0 विधि–व्यवस्था, पटना।
3. श्री मो0 सउद, अपर समाहर्ता, नक्सल, पटना।
4. श्री अरूण कुमार वर्मा, अपर जिला दण्डाधिकारी, आपूर्ति, पटना।
5. श्री राज किशोर सिन्हा, विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना।
6. श्री एस0 एन0 झा, जिला पंचायराज पदाधिकारी, पटना।
7. श्री संजय कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा, पटना।
8. श्रीमती पलका साहनी, अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़।
9. श्री सुनील कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर
10. श्री राज किशोर प्रसाद, अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज
11. श्री पी0 के0 सिन्हा, अनुमण्डल पदाधिकारी, मसौढी
12. श्रीमती अनिमा सिन्हा, जिला भू–अर्जन पदा0 पटना।
13. श्री अनिल कुमार–1, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
14. श्री राजेश कुमार, अपर जिला भू–अर्जन पदा0 पटना।
15. श्री दीपक सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
16. श्री रबिन्द्र कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
17. श्री महेन्द्र पाल, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
18. श्री अनिल कुमार–2, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
19. श्रीमती कुमारी सीमा, अपर जिला भू–अर्जन पदा0 पटना।
20. श्री मनोज कुमार चौधरी, अपर जिला भू–अर्जन पदा0 पटना।
21. वाणिज्यकर पदाधिकारी, पटना सिटी, पूर्वी अंचल
22. वाणिज्यकर पदा0 पटना सिटी पश्चिमी अंचल
23. वाणिज्यकर पदाधिकारी, बाढ़, पटना।
24. वाणिज्यकर पदा0, विशेष अंचल, पटना।
25. सहायक खनन पदाधिकारी, पटना।
26. सहायक आयुक्त उत्पाद, पटना।
27. प्रतिनिधि, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, पटना।
28. जिला समन्वयक, भारतीय स्टेट बैंक, आ0कार्य0 पटना
29. प्रतिनिधि, सिण्डिकेट बैंक, फ्रेजर रोड, पटना।
30. प्रतिनिधि, बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना।

अनुपस्थित

1. श्री0 के0 पी0 पाण्डेय, अपर जिला दण्डा0 पटना।
2. अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी
3. अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर
4. श्री नील कमल, जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना।
5. श्रीमती अंजुला प्रसाद, सहायक परियोजना पदा0 पटना।
6. श्री रजनीश कुमार सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
7. श्रीमती एकता वर्मा, सहायक परियोजना पदाधिकारी, पटना।
8. श्री एस0एम0परवेज आलम, कार्य0दण्डा0 पटना।
9. श्रीमती सीमा सिन्हा, सहायक परियोजना पदाधिकारी, पटना।
10. श्री आदित्य कुमार दास, निदेशक, लेखा,डी0आर0डी0ए0पटना
11. वाणिज्यकर पदा0 पाटलीपुत्रा अंचल, पटना।
12. वाणिज्यकर पदाधिकारी, दक्षिणी अंचल, पटना।
13. पटना पश्चिमी अंचल, पटना।
14. वाणिज्यकर पदाधिकारी, पटना उत्तरी अंचल।
15. वाणिज्यकर पदाधिकारी, दानापुर अंचल।

2. पूर्व बैठक की कार्यवाही का तामिला

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी से यह पृच्छा की गई कि पूर्व की बैठक की कार्यवाही सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को तामिला कराया गया है अथवा नहीं। सभी लोगों ने कार्यवाही प्रतिवेदन प्राप्त होने की सूचना दी। जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके द्वारा तामिला का अनुश्रवण किया गया है तथा सभी पदाधिकारियों को यह शत–प्रतिशत कार्यालय में भेजा जा चुका है। सभी पदाधिकारियों से यह पृच्छा की गयी तो उन्होंने कार्यवाही प्राप्त होने की बात कही।

3. पूर्व बैठक की कार्यवाही का अनुपालन

सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों/अनुमंडल पदाधिकारियों से यह पृच्छा की गई कि क्या उनके द्वारा पूर्व में प्रेषित कार्यवाही का अध्ययन किया गया है अथवा नहीं? पूर्व में यह निदेश दिया गया था कि बैठक में आने पूर्व कार्यवाही प्रतिवेदन की कंडिकावार समीक्षा कर अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से 5 दिन पूर्व जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को भेजें ताकि इसे संकलित कर बैठक में समीक्षा हेतु रखा जा सके। अगली बार सभी पदाधिकारियों को शत–प्रतिशत कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया तथा यह **बैठक के दिन हस्तगत नहीं कराने** का निदेश पूर्व में भी दिया गया था इसके बावजूद बैठक के दिन या इससे एक दिन पूर्व इसे हस्तगत कराने की परम्परा जारी है एवं भविष्य में ऐसे अनुपालन को अप्राप्त सूची में रखने का निदेश दिया गया। इसके साथ ही जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि वे अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने वालों को पावती निर्गत करें तथा संबंधित पदाधिकारी पावती के साथ बैठक में उपस्थित हों। आज की बैठक में श्री अनिल कुमार–1 ही पावती के साथ बैठक में उपस्थित थे। इसके साथ ही जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को आदेश दिया कि जिन लोगों के यहां से अनुपालन प्राप्त/अप्राप्त है, उनकी सूची एवं गुणवत्ता को देखते हुए इसे कार्यवाही प्रतिवेदन में शामिल करें। अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षावार स्थिति निम्न है :–

क0	नीलाम–पत्र पदाधिकारी का नाम	मई 2007 की बैठक के कार्यवाही का अनुपालन	जून 2007 में किए गए न्यायालय दिवसों की संख्या	पंजी IX एवं X का मिलान	थानावार वारण्टों की सूची का प्रेषण	अधियाची पदाधिकारी के साथ विगत माह की गयी बैठक	निर्गत सूचनाओं के तामिला का अनुश्रवण	2.00 लाख से उपर के बकायेदारों की सूची एवं उानके विरूद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.	श्री मो0 सउद	प्राप्त	चार दिन	किया गया	प्राप्त	नहीं किया गया	किया गया	प्राप्त
2.	श्री के0 पी0 पाण्डेय	प्राप्त	दो दिन	नहीं किया गया	तैयार किया जा रहा है	नहीं	किया गया	तैयार किया गया
3.	श्री अवधेश कुमार	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
4.	श्री अरूण कुमार वर्मा	प्राप्त	दो दिन	किया गया	प्राप्त	नहीं	किया गया	प्राप्त
5.	श्री सत्यनारायण झा	प्राप्त	चार दिन	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
6.	श्रीमती सीमा कुमारी	प्राप्त	चार दिन	कियाा गया	पूर्व में भेजा गया	प्राप्त	किया गया	कोई बकायेदार नहीं है।
7.	श्री आदित्य कुमार दास	प्राप्त	सप्ताह में दो दिन	नहीं किया गया	अप्राप्त	संबंधित नहीं	किया गया	अप्राप्त
8.	श्री राज किशोर सिन्हा	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
9.	श्री दीपक सिंह	प्राप्त	छः दिन	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	नहीं है।
10.	श्री अनिल कुमार–1	प्राप्त	–	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	किया गया	प्राप्त
11.	श्री संजय कुमार	प्राप्त	चार दिन	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	किया गया	नहीं है।
12.	श्री राजेश कुमार	प्राप्त	चार दिन	किया गया	पूर्व में भेजा गया	प्राप्त	किया गया	नहीं है

13.	डॉ0 महेन्द्र पाल	प्राप्त	संचालन किया गया	संबंधित नहीं	तैयार किया जा रहा है।	संबंधित नहीं	किया गया	किया गया
14.	श्री नील कमल	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
15.	श्री रजनीश कुमार सिंह	प्राप्त	16 दिन	नहीं किया गया	प्राप्त	संबंधित नहीं	किया गया	नहीं है
16.	श्री मनोज कुमार चौधरी	प्राप्त	3 दिन	किया गया	प्राप्त	प्राप्त	किया गया	नहीं है
17.	श्रीमती एकता वर्मा	प्राप्त	8 दिन	संबंधित नहीं	अप्राप्त	संबंधित नहीं	किया गया	प्राप्त
18.	श्री एस0एम0 परवेज आलम	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त	किया गया	प्राप्त	प्राप्त
19.	श्रीमती अंजुला प्रसाद	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	नहीं किया गया	नहीं किया गया	प्राप्त
20.	श्रीमती सीमा सिन्हा	प्राप्त	8 दिन	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
21.	श्री अनिल कुमार–2	प्राप्त	नियमित संचालन	किया गया	प्राप्त	नहीं	किया गया	प्राप्त
22.	श्री रबीन्द्र कुमार	प्राप्त	2 दिन	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
23.	अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
24.	अनुमण्डल पदा0 दानापुर	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त
25.	अनुमण्डल पदा0 मसौढ़ी	अप्रापत	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त
26.	अनुमण्डल पदा0 पालीगंज	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त
27.	अनुमण्डल पदा0 पटना सिटी	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
28.	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त
29.	श्रीमती अनिमा सिन्हा	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	किया गया	अप्राप्त	प्राप्त

सभी पदाधिकारियों को यह स्पष्ट किया गया कि जिन लोगों के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में उसी प्रकार का अभिलेखन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाएगा एवं जिन लोगों के द्वारा कार्यों के प्रति रूचि नहीं ली जा रही है, उनके वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में इस बात को दर्ज करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन सरकार को भेजा जाएगा।

(अनुपालन– सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

4. नीलाम पत्र वादों का कम्प्यूटराइजेशन

जिलाधिकारी द्वारा यह सूचना दी गयी कि इस जिले के सभी नीलाम–पत्र वादों के ब्यौरे को बेवसाईट पर जारी कर दिया गया है। इसका बेवसाईट **http\\.patna.bih.nic.in** है। यह अत्यन्त ही प्रसन्नता की बात है कि पिछले कई महीनों से इस दिशा में किए जा रहे प्रयास अन्ततः सफल हुआ है तथा नीलाम–पत्र न्यायालयों में चल रहे वादों के संबंध में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर सकेगा। इसके **Usable Form** में सुधार की आवश्यकता है, चूंकि केस संख्या देने पर ब्यौरा प्राप्त होता है, परन्तु अन्य ऑप्शन देने पर इसका ब्यौरा प्राप्त नहीं होता है। इस संबंध में जिला सूचना एवं विज्ञान

पदाधिकारी एवं राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी को साइट को सुधारने हेतु पत्र निर्गत किया गया था। जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पटना ने उपस्थित होकर कहा कि सारी सूचनायें website पर आ रही हैं।

इस डाटा को हमेशा अपडेट किए जाने की जरूरत है, इसके लिए सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारियों एवं अनुमण्डल पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वे वैसे **सभी वादों जिसके संबंध में निष्पादन अथवा वसूली की सूचना दी जा रही है, को 26 बिन्दु प्रपत्र में अंकित करते हुए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से भेजें** ताकि वेवसाईट में वादों की अद्यतन स्थिति को अंकित करते हुए अपडेट किया जा सके अर्थात् जब भी वादों के निष्पादन/राशि की वसूली की सूचना जिला को दी जाती है तो इसके साथ उन वादो का पूर्ण ब्यौरा अवश्य संलग्न किया जाय।

(अनुपालन– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर/सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा/सभी पेशकार)

26 बिन्दु प्रपत्र

नीलाम–पत्र न्यायालय का नाम

क्रमांक	अधियाची विभाग का नाम	अधियाची विभाग का मुख्यालय	वाद संख्या	वर्ष	देनदार का नाम	पिता का नाम	ग्राम/ महल्ला	वार्ड/ पंचायत का नाम	थाना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रखंड	सन्निहित राशि	दायर करने की तिथि	प्रपत्र–7 में नोटिश निर्गत करने की तिथि	डी/ डब्लु निर्गत करने की तिथि	बी0/डब्लु निर्गत करने की तिथि	वसूली की गई राशि।		अवशेष वसूलनीय राशि	
						राशि	तिथि		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

लंबित रहने के कारण

प्रपत्र–7के नोटिश की तामिला अप्राप्त	देनदार की मृत्यु	गलत पता	तलबाना की राशि जमा नहीं	अन्य न्यायालय द्वारा पारित आदेश	अन्य कारण	अभ्युक्ति
20	21	22	23	24	25	26

5. नन–बैंकिंग वादों का ब्यौरा 26 बिन्दु प्रपत्र में तैयार कर भेजने के संबंध में

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर को यह निदेश दिया गया कि वे नन–बैंकिंग से संबंधित वादों यथा– सैरात, तकाबी, लगान, श्रम अधिनियम इत्यादि के अन्तर्गत दायर वादों को 26 बिन्दु प्रपत्र में तैयार कर इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं भेजी गयी है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ से ही यह प्रतिवेदन प्राप्त है। अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर ने इसकी सूची आंशिक रूप से तैयार कर भेजा है परन्तु अन्य अनुमण्डलों से यह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। विगत बैठकों से यह निदेश जा रहा है कि इसे एक सप्ताह में तैयार कर इसकी सी0डी0/फलौपी अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें परन्तु इसके अनुपालन नहीं किये जाने को काफी गंभीरता से लेते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर से **स्पष्टीकरण** के बावजूद प्रतिवेदन अप्राप्त है, जो खेदजनक एवं इस पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई।

(अनुपालन– अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर, बाढ़)

6. नीलाम पत्र न्यायालयों का नियमित संचालन करना :

पूर्व की बैठकों में यह निदेश दिया था कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी अगली बार से अपने मासिक प्रतिवेदन में सारे ब्योरे के साथ इसका भी उल्लेख करेंगे कि विगत माह में उनके द्वारा कितने दिन न्यायालय का कार्य किया गया तथा कितने केसों पर सुनवाई की गई। यह ब्यौरा पूर्व में 21 बिन्दु प्रपत्र में साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराया जा रहा था अब मुख्य सचिव, बिहार के निदेशानुसार इसे निम्नांकित 22 बिन्दु प्रपत्र में सभी नीलाम पत्र

पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी प्रत्येक पक्ष यानि माह की पहली तारीख एवं 15वीं तारीख को प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में भेजेंगे। परन्तु यह प्रतिवेदन अधिकतर नीलाम पत्र पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी से अप्राप्त है जिससे स्पष्ट है कि नीलाम पत्र न्यायालय का नियमित संचालन नहीं किया जा रहा है। पुनः निदेश दिया गया कि नीलाम पत्र न्यायालय का नियमित संचालन किया जाय ताकि अधिकाधिक मामलों का निष्पादन हो सके।

Sl. no.	Name of officer	No. of case pending at the begning of the fortnight		No. of cases heard during the fortnight		No. of cases disposed during the fortnight		No. of cases which recovery made during the fortnight		No. of cases pending at end of the fortnight	
		No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Oldest pending case		Status of Pending Cases							
No. of the case	Amount	Form 7 not served	Talwana not deposted	Other court's instructions	D.W. Issued	B.W. Issued	Death of Certificate debtor	Report of R.O. Wanting	No. of court days
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/ सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला)

7. नीलाम पत्र पदाधिकारीवार/अनुमंडलवार लक्ष्य/उपलब्धि की समीक्षा

जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के लंबित वादों की स्थिति तथा उनके द्वारा माह मई में वसूल की गई राशि की विस्तृत समीक्षा की तथा जिन लोगों द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रपत्र–7 का तामिला, डी0डब्लू0/बी0डब्लू0 निर्गत नहीं किए गए हैं उन्हें तुरंत नीलाम पत्र वादों के नियमित सुनवाई कर इसमें अपेक्षित सुधार लाने का निदेश दिया। उन्होंने नीलाम पत्र पदाधिकारियों को खासकर बड़े बकायेदार के विरूद्ध समुचित एवं कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया तथा अपेक्षा की कि अगले माह अपने–अपने न्यायालय में लंबित वादों के निष्पादन की दिशा में कारगर कार्रवाई करेंगे। जिलाधिकारी ने नीलाम–पत्र पदाधिकारियों के कार्यो का मूल्यांकन कर उनके रैकिंग करने का भी निदेश दिया तथा जिन जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारियों की प्रगति नगण्य है, उनकी साप्ताहिक समीक्षा प्रत्येक मंगलवार को 05.30 बजे अपराह्न में अपने कार्यालय कक्ष में करने का निदेश दिया।

पटना सदर एवं पटना सिटी अनुमण्डल का वसूली प्रतिशत **अत्यंत ही चिन्ताजनक** है। इन अनुमण्डल पदाधिकारियों द्वारा नीलाम–पत्र वादों के निष्पादन में कोई अभिरूचि नहीं ली जा रही है। तथ्यों के साथ इनलोगों के द्वारा कार्य में बरती जा रही लापरवाही से सरकार को अवगत कराने का निदेश दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर को बार–बार त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन की ओर इंगित करने के बावजूद अनुमण्डलवार संकलित प्रतिवेदन विभागवार/पदाधिकारीवार नहीं भेजा जा रहा है, जो अत्यन्त ही खेदजनक है। सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपने पदाधिकारियों को केस उपस्थापित करने के लिए दवाब दें। आयुक्त महोदय द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान नीलाम पत्र वादों के धीमे निष्पादन पर असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में जो भी कठिनाइयां आती हैं उन्हें प्रतिवेदित करने का सुझाव दिया गया ताकि इन कठिनाइयों से सरकार को अवगत कराया जा सके। नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में रूचि नहीं लेने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी नीलाम–पत्र शाखा)

जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारीवार माह जून 2007 का प्रगति प्रतिवेदन

क्र0	नीलाम पत्र पदाधिकारी का नाम	1.4.07 को लम्बित	1.4.07 को लम्बित वादो में सन्निहित राशि	2007–08 से प्रतिवेदित माह तक		कुल वाद	सन्निहित राशि	इस माह के पूर्व निष्पादित		इस माह निष्पादित		कुल निष्पादित		कुल लम्बित वाद (7–13)	कुल लंबित राशि (8–14)	लम्बित वादो की स्थिति								
				दायर वाद	सन्निहित राशि			वादो की सं0	सन्निहित राशि	वादो की सं0	सन्निहित राशि	वादो की सं0	सन्निहित राशि			प्रपत्र–7 के तामिला अप्राप्त	देनदार की मृत्यु	गलत पता	तहबाना की राशि जमा नहीं	अन्य न्यायालय द्वारा पारित आदेश	अधियाची पदाधिकारी से प्रतिवेदन अप्राप्त	बी0 कम्पू	बी0 कम्पू	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	श्री अवधेश कुमार	250	1655989			250	1655989							250	1655989	12	0	0	0	0	0	25	213	-
2	श्री कौशिक चाण्डेक	15	15802651	-	-	15	15802651							15	15802651	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	मेघ लखर	83	9835891	-	-	83	9835891	2	163147	1	272633	3	435780	80	9400111		3	-	-	-	3	8	-	-
4	श्री अरूण कुमार वर्मा	38	7899444	-	-	38	7899444	-		8	2227095	8	2227095	30	5672349	0	2	-	-	-	2	10	7	-
5	श्री राज किशोर सिन्हा	48	2792461			48	2792461							48	2792461	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	श्री एस0एन0 झा	92	10279186	-	-	92	10279186	2	118575	2	26765	4	145340	88	10133846	2	-	-	-	4	11	68	3	
7	श्री आदित्य कुमार दास	211	6058000			211	605800							211	605800	-	-	-	-	29	100	-	-	
8	श्रीमती अनिमा सिन्हा	250				250								250	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	श्री नील कमल	212	31073709	-	-	212	31073709							212	31073709	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	श्री अनिल कुमार	524	24367469	-	-	524	24367469		77909	1	41784	1	119693	523	24247776	402	-	-	-	-	42	81	42	
11	श्री राजेश कुमार	420	10781845	-	-	420	10781845	67	307103	0	50000	67	357103	353	10424742	188	-	-	-	-	42	81	42	-
12	श्री दीपक सिंह	530	13280517	-	-	530	14133855	1	2391638	7	23774	8	2415412	522	11718443	400	-	-	-	-	20	101	1	-
13	श्री संजय कुमार	250	7023192	-	-	250	7023192			3	236581	3	236581	247	6786611	211	-	-	-	-	5	1	-	32
14	श्रीमती अजुला प्रसाद	116	71609391	-	-	116	71609391			0	38000	0	3880	116	71605511	68	5	-	12	1	12	22	1	-
15	श्री रविन्द्र कुमार	108	419404524	-	-	108	419404524	0	148000	0	77000	-	225000	108	419179524	79	-	-	-	2	10	12	5	-
16	श्री महेन्द्र पाल	199	1131899	-	-	199	1131899					-		199	1131899	95	-	-	-	-	104	-	-	-
17	श्री अनील कुमार II	93	59642362	-	-	93	59642362	2	1056580	1	110165	3	1166745	90	58475617	17	-	-	-	-	91	-	-	
18	श्रीमती रीमा कुमारी	368	10847767	-	-	368	10847767				0	-	0	368	10847767	270	-	-	-	-	28	45	25	
19	श्री रजनीश कुमार सिंह	98	5829116	-	-	98	5829116	20	219802	3	126301	23	346103	75	5483013	10	-	-	-	7	1	57	-	-
20	श्री मनोज कुमार चौधरी	153	2380348	-	-	153	2380348	-	-	12	104092	12	104092	141	2276256	102	-	-	-	-	-	24	15	-
21	श्रीमती एकता वर्मा	191	5560697	-	-	191	5560697			-	-		0	191	5560697	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	श्री एस0एम0 परवेज आलम	133	18714123	-	-	133	18714123			7	43830	7	43830	126	18670293	51	11	-	-	-	-	14	-	-
23	श्रीमती सीमा सिन्हा	120	517534527			120	517534527				0		0	120	517534527	6	-	-	-	22	30	59	-	-
	कुल योग	4502	1253505108	0	0	4502	1240906246	94	4482754	45	3370020	139	7826654	4363	1241079592	1913	21	0	12	65	501	808	354	32

विभिन्न अनुमंडलों का माह जून 2007 तक नीलाम पत्र वादों से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन।

अ0	अनुमंडल का नाम	01.04.07 का लंबित वाद	01.04.07 के लंबित वादो मे सन्निहित राशि	प्रतिवेदित माह मे दायर वादो की संख्या	प्रतिवेदित माह मे दायर वादो मे सन्निहित राशि	कुल लंबित वाद	कुल लंबित वादो मे सन्निहित राशि	पूर्व माह मे निष्पादित वाद की संख्या	पूर्व माह मे निष्पादित वादो मे सन्निहित राशि	वर्त्तमान माह मे निष्पादित वादो की संख्या	वर्तमान माह मे निष्पादित वादो मे सन्निहित राशि	कुल निष्पादित वाद	कुल निष्पादित वादो मे सन्निहित राशि	कुल लंबित वाद	कुल लंबित वादो मे सन्निहित राशि	वसूली का प्रतिशत	अनुपस्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	पटना सदर	10110	315680593.00			10110	315680593.00	27	2656372.00	12	882942.00	39	3539314	10071	312141279	1.13	कार्य-भार विशेष के कारण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
2	पटना सिटी	3605	247645744.00	88	5019823	3693	252665567			13	1210052	13	1210052	3680	25145515	4.81	प्रतिवेदन माह जुलाई का प्राप्त है। अतः मे अनुपस्थ है।
3	दानापुर	9173	191843477.00			9173	191843477.00	36	2113814.00	33	1044757.00	69	3158571	9104	188684906	1.67	प्रतिवेदन मे पूर्व विलंब वर्ष का निष्पादन कर एवं सन्निहित राशि प्रतिवेदित किया गया है। प्रतिवेदन संतोषजनक प्रतित होता है।
4	बक्सर	2848	57685400.00	137	3457103.00	2985	61142502.00	19	986461.00	7	336597.00	26	1323058	2959	59819444	2.21	माह जून के प्रतिवेदन के अभाव मे
5	आरा	2710	52174264.00	38	3588236	2748	55762500.00	10	182667.00	1	80410.00	11	263077	2737	55499423.00	0.47	प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण है।
6	बेगूसराय	9579	194214547.00			9579	194214547	28	1176241.00	20	2566763.00	48	3743004	9531	190471543	1.97	प्रतिवेदन मे पूर्व विलंब वर्ष का निष्पादन नहीं प्रतिवेदित किया गया है जिसके कारण स्पष्ट नहीं है या रहा है कि 01.04 07 का लंबित वाद एवं सन्निहित राशि क्या है।
	कुल	38025	1059244025	263	12065162	38288	1071309186	120	7115555	86	6121521	206	13237076	38082	831762110	1.59	

PERCENTAGE ACHIEVEMENT OF TARGET (FINANCIAL)

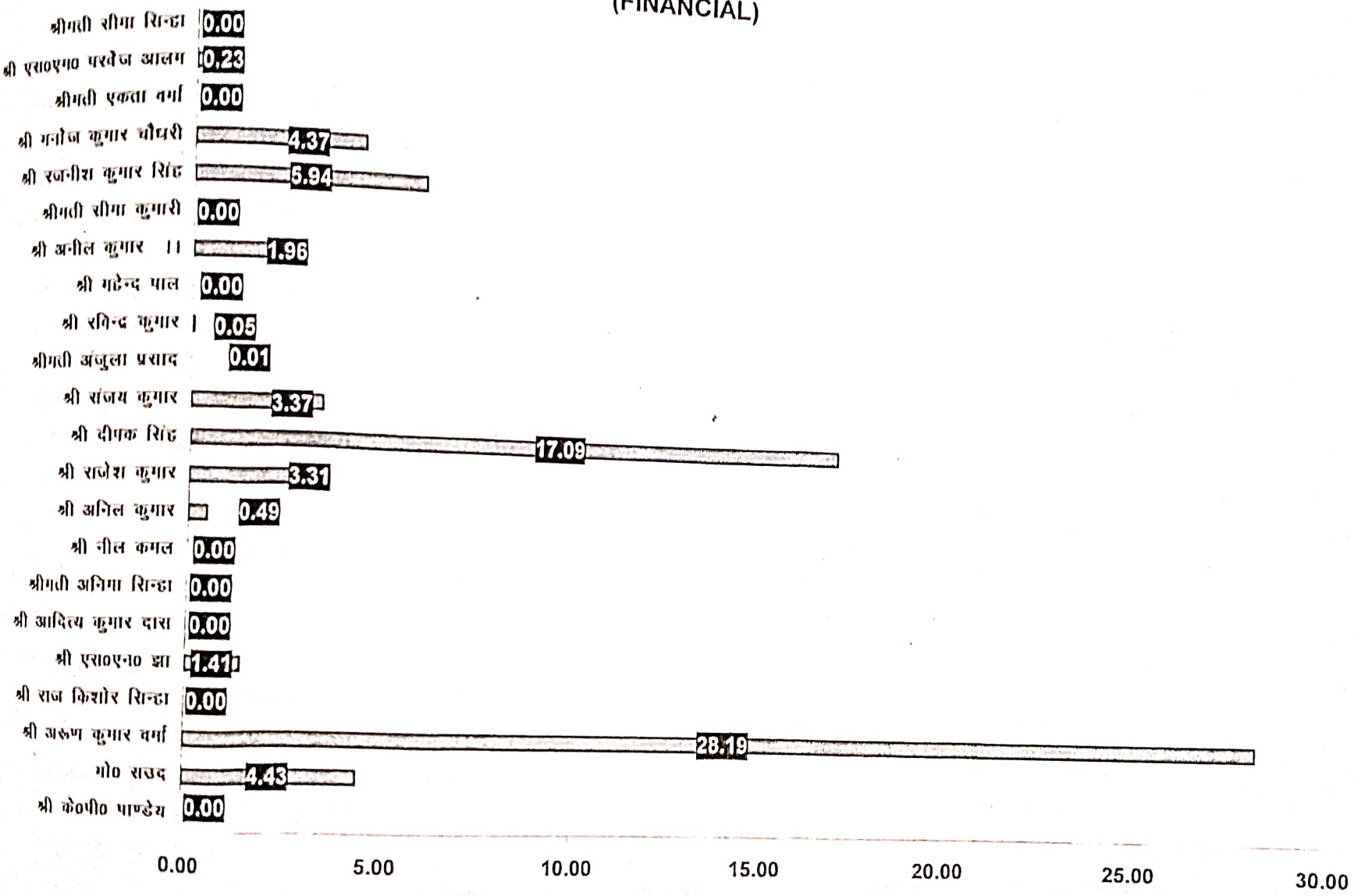

RECOVERY IN JUNE.-2007 IN Rs.

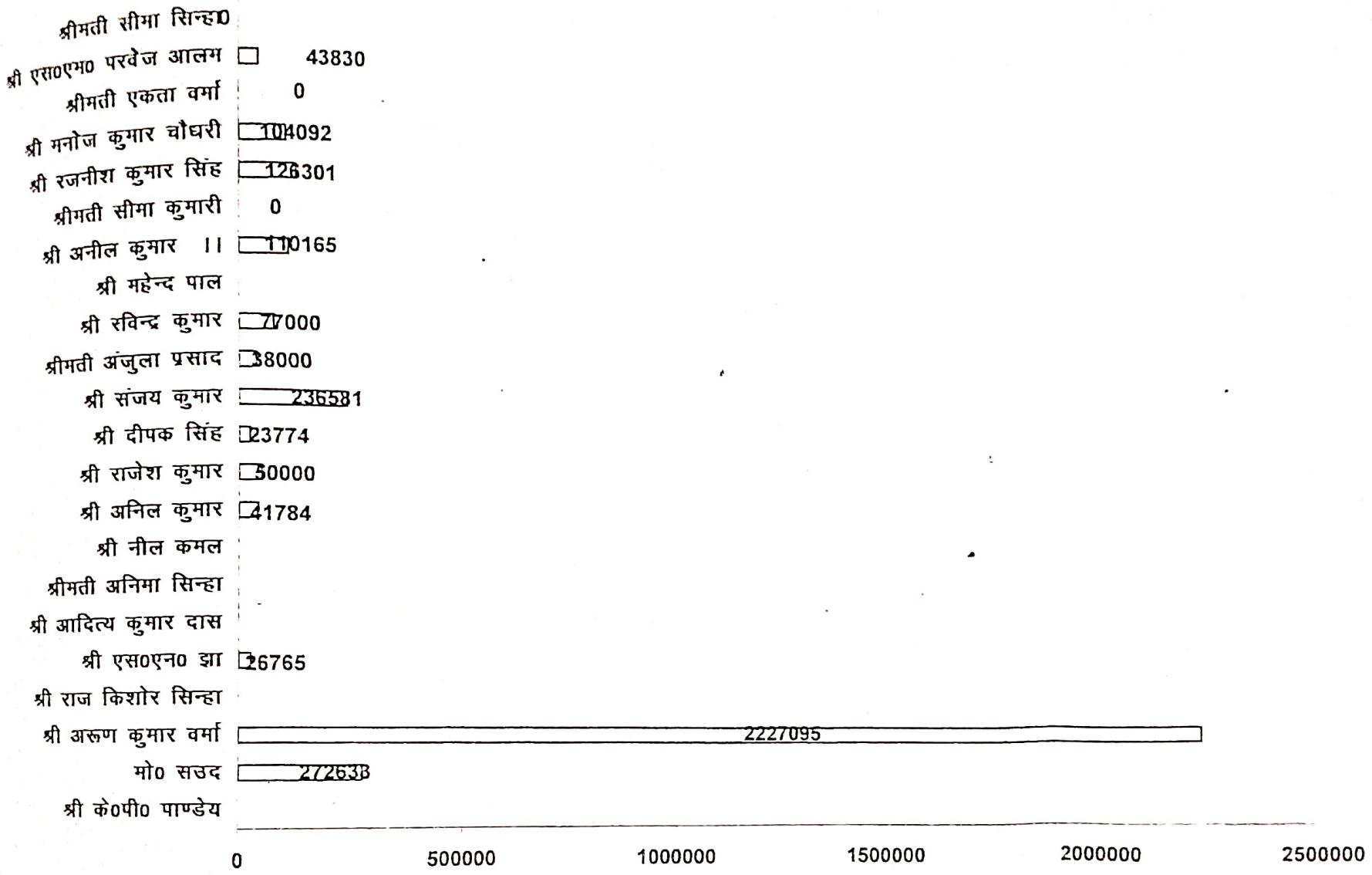

जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारियों के माह जून की वसूली की समीक्षा के उपरान्त यह निदेश दिया गया कि जिन लोगों के द्वारा इस माह शून्य वसूली की गयी है, उनसे स्पष्टीकरण की मांग की जाय तथा यह पृच्छा की जाय कि क्यों नहीं इस बिन्दु को उनके वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में अंकित कर दिया जाय। जिन नीलाम–पत्र पदाधिकारियों द्वारा अच्छा उपलब्धि की गयी है, उन्हें प्रशंसा–पत्र देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा)

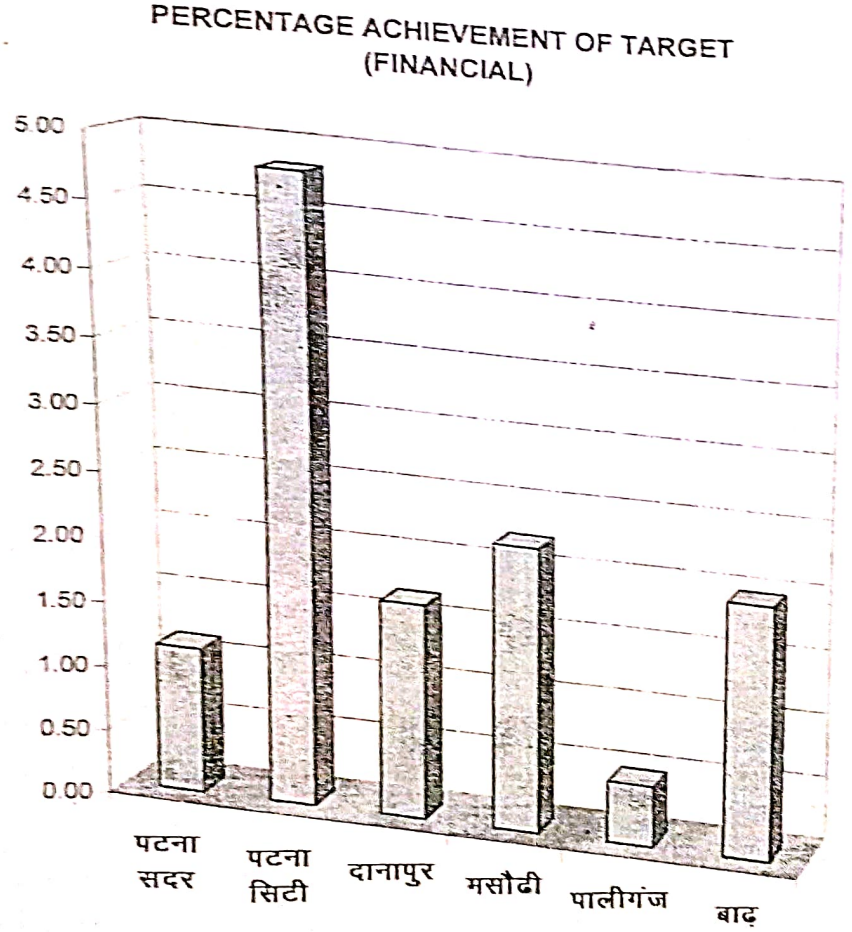

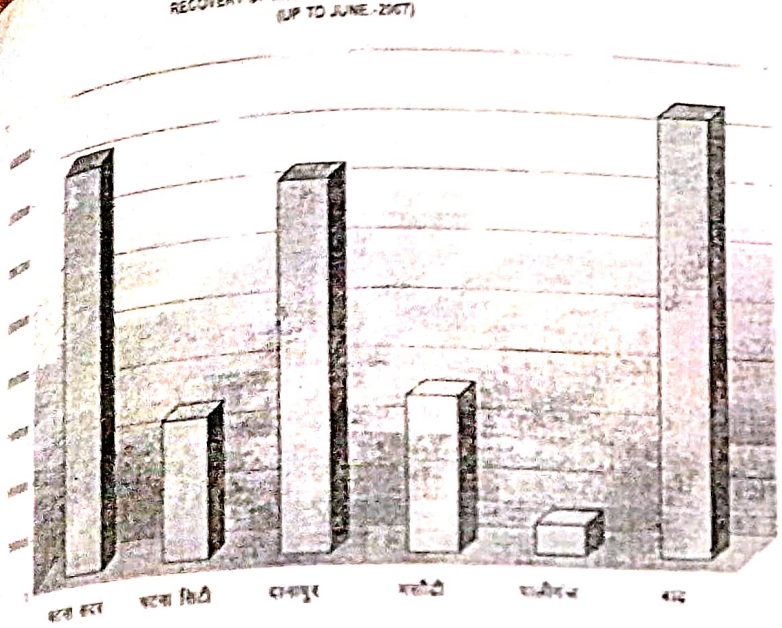
(UP TO JUNE.-2007)
पटना सिटी
दानापुर
बाढ़

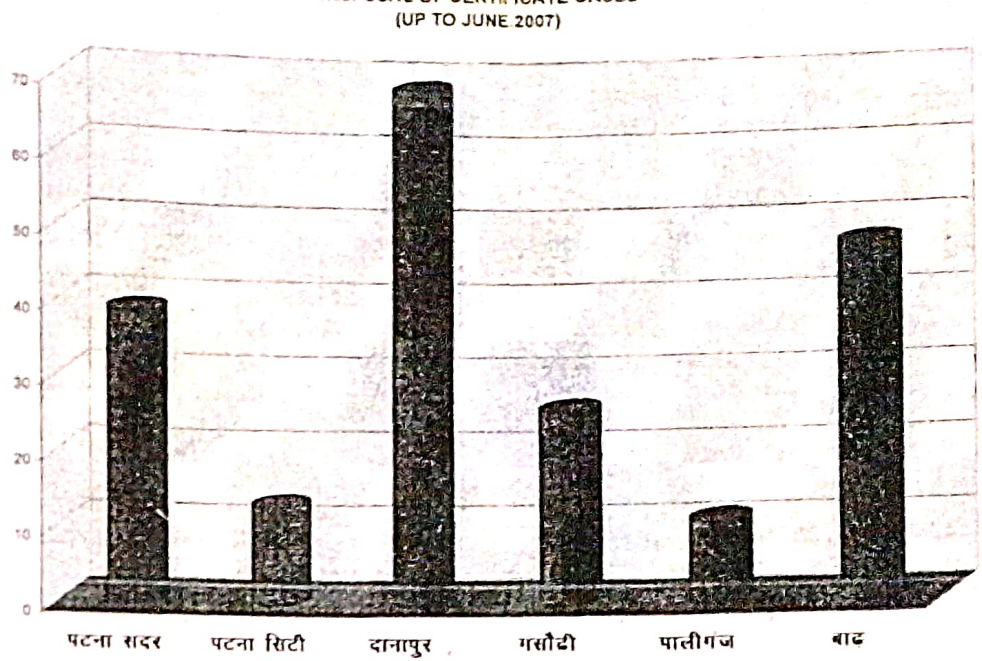
(UP TO JUNE 2007)
70
60
50
40
30
20
10
0
पटना सदर
पटना सिटी
दानापुर
मसौढी
पालीगंज
बाढ़

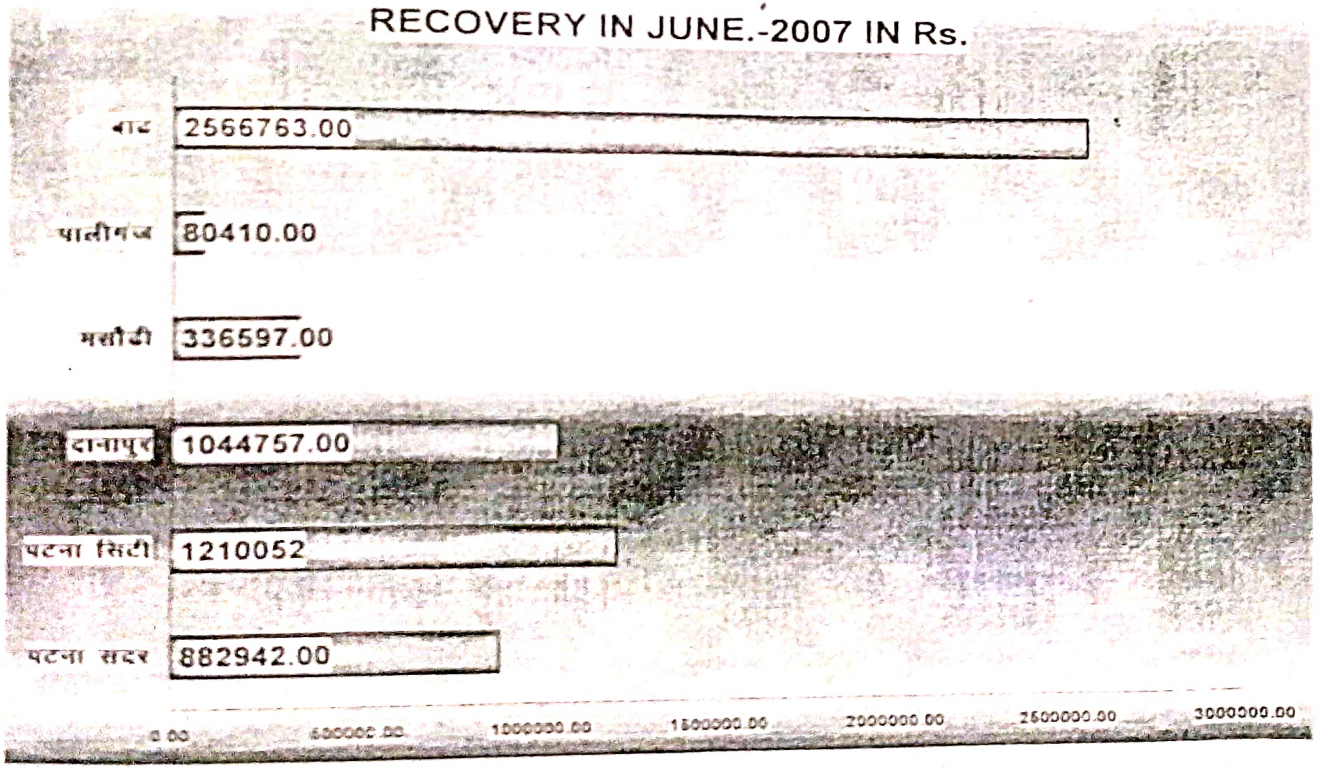
RECOVERY IN JUNE.-2007 IN Rs.
बाढ़
2566763.00
पालीगंज
80410.00
मसौढी
336597.00
दानापुर
1044757.00
पटना सिटी
1210052
पटना सदर
882942.00
0.00
500000.00
1000000.00
1500000.00
2000000.00
2500000.00
3000000.00

सभी अधियाची पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वे अगली बैठक से पंजी–**IX** एवं इसमें वसूल की गयी राशि का वादवार ब्यौरा लेकर बैठक में भाग लेंगे, चूंकि ज्यादातर अधियाची विभाग को यह जानकारी ही नहीं है कि उनके विभाग के कितने नीलाम–पत्र वाद, किन–किन न्यायालय में लंबित है। अधियाची विभागों द्वारा नीलाम–पत्र वाद दायर किए जाने की खानापुरी की जा रही है तथा इसके बाद वह निश्चिन्त होकर प्रतिवेदन भेज दे रहे हैं कि इन मामलों में नीलाम–पत्र वाद दायर कर दिया गया है, जबकि इसके निष्पादन के लिए उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

(अनुपालन– सभी अनुमण्डलाधिकारी/सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा/सभी अधियाची पदाधिकारी)

10. बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कार्रवाई :

सभी जिला स्तरीय नीलाम पत्र पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि वे पटना शहर के बड़े बकायेदारों के विरूद्ध निर्गत वॉडी वारण्ट को कार्यान्वयन हेतु वारण्ट **जिला नियंत्रण कक्ष** को प्रेषित करें तथा जिला नियंत्रण कक्ष प्रत्येक दिन अधियाची विभाग के साथ कार्यक्रम निर्धारित कर दंडाधिकारी/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर गिरफ्तार करने हेतु कार्रवाई करेंगे। इसी तरह अनुमण्डल स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर वारण्ट के कार्यान्वयन का निदेश दिया गया तथा इस हेतु अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी एवं थाना के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। 2.00 लाख या इससे उपर के राशि के ऋणियों की सूची सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को हस्तगत करायी गयी तथा जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारियों को भी इन बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। पूरे जिला में जिला स्तरीय नीलाम–पत्र वादों में कुल 124 बकायेदार 2.00 लाख से उपर की राशि के हैं जबकि अनुमण्डल स्तरीय नीलाम–पत्र वादों में इनकी संख्या 265 है। पूरे पटना जिला में 389 बड़े बकायेदार है, जिनकी सूची तैयार कर सभी संबंधित को दी गयी है, पर ध्यान केन्द्रित कर राशि की वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया, चूंकि 70 प्रतिशत सरकारी राशि इन लोगों के जिम्मे ही बकाया है। यह भी निदेश दिया गया कि अगली बैठक से मात्र इन वादों के निष्पादन की वादवार समीक्षा की जाएगी तथा इसका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराया जाय एवं इन केसों का व्यक्तिगत अनुश्रवण किया जाय।

(अनुपालन– सभी अनुमण्डलाधिकारी/सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा)

11. पंजी– IX एवं X का मिलान :

जिलाधिकारी द्वारा पंजी –IX एवं X के मिलान के सम्बन्ध में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की तथा यह निदेश दिया कि अधियाची पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई जाय एवं 26 बिन्दु प्रपत्र पर बनाए गए विवरण शाखावार/विभागवार तैयार कर इसकी दो प्रति नीलाम पत्र पदाधिकारी अधियाची विभाग/बैंक को हस्तगत करेंगे तथा पुनः अगले सप्ताह एक बैठक बुलाकर उसका एक सत्यापित प्रति जिसमें मिलान कर अद्यतन वसूली अंकित किया गया हो, उसे विभाग ले लेंगे ताकि रिकन्सीलिएशन हो सके। अधियाची पदाधिकारी के साथ आहूत की गयी **बैठक की कार्यवाही अनिवार्य रूप से तैयार की जाय** एवं इसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी भेजी जाय।

यह अत्यन्त ही गम्भीर स्थिति है तथा जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को अपने–अपने अधियाची विभाग की बैठक बुलाकर प्रपत्र IX एवं X का मिलान कराकर विहित प्रपत्र में राशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र लेने का निदेश दिया। यह प्रपत्र सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना जिला)

12. थानावार वारण्टों की सूची तैयार करने के संबंध में :–

जिलाधिकारी द्वारा सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी को अपने–अपने न्यायालय में लंबित वादों को थानावार वर्गीकृत करते हुए एक पंजी संधारित करने का निदेश दिया तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किए जाने का भी निदेश के साथ–साथ **इसकी प्रति जिला को भेजने का निदेश दिया था** परन्तु मसौढ़ी, बाढ़, पालीगंज अनुमण्डल एवं कुछ पदाधिकारियों को छोड़ अन्य जगहों से प्राप्त नहीं हो सका है। प्राप्त सूची के अनुसार जिला स्तर पर कुल 678 वारण्ट 44 थानों में निम्नांकित रूप से निर्गत किए गए हैं।

क्रमांक	थाना	वारंन्टो की संख्या	क्रमांक	थाना	वारंन्टो की संख्या	क्रमांक	थाना	वारंन्टो की संख्या
1	कदमकुआँ	22	16	गर्दनीबाग	3	31	दीदारगंज	4
2	कंकड़बाग	11	17	आलमगंज	9	32	फतुहाँ	7
3	अगमकुआँ	3	18	मालसलामी	13	33	सचिवालय	1
4	घोषवरी	1	19	सिगोरी	1	34	खगौल	4
5	खुशरूपुर	4	20	पीरबहोर	13	35	श्रीकृष्णापुरी	1
6	बाढ़	83	21	नौबतपरु	7	36	मोकामा	93
7	गाँधी मैदान	14	22	जक्कनपुर	3	37	पालीगंज	5
8	कोतवाली	17	23	मनेर	10	38	कृष्णापुरी	1
9	शास्त्रीनगर	4	24	चौक	16	39	बख्तियारपुर	92
10	पुनपुन	1	25	मसौढ़ी	22	40	पंडारक	36
11	विक्रम	46	26	धनरूआ	28	41	अथमलगोला	18
12	दिघा	4	27	पाटलिपुत्रा	6	42	बेलछी	6
13	हाथीदाह	6	28	सुल्तानगंज	6	43	फुलवारीशरीफ	3
14	बिहटा	14	29	खाजेकलाँ	6	44	दुल्हिनबाजार	15
15	दानापुर	18	30	गौरीचक	1	कुलः–	678	

उपरोक्त थाना प्रभारियों को वारण्टों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु निदेश देने के लिए वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना को पत्र निर्गत करने का निदेश जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को दिया गया।

सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी से यह अपेक्षा की गयी कि अब जब सारे अभिलेखों पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है तथा केसों को जिन्दा कर दिया गया है, डी0डब्लू/बी0डब्लू0 निर्गत करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है, सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी बड़े बकायेदारों के मामलों का व्यक्तिगत अनुश्रवण कर खुद कुछ मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि बड़े बकायेदार से राशि की वसूली हो सके तथा लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। इसके साथ ही जिन मामलों में वसूली कह गयी है अथवा वाद समाप्त किया गया है, उसकी सूचना भी पाक्षिक प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर भेजें ताकि बेवसाईट में उसे अपडेट किया जा सके। मार्च माह की वसूली को असंतोषजनक बताते हुए चिन्ता जाहिर की गयी तथा अपेक्षा की गयी कि अगले माह से इसमें पुनः अपेक्षित वृद्धि आएगी तथा सभी पदाधिकारी पूरे मनोयोग के साथ इसके निष्पादन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि वे अगली बैठक से अधियाची विभागों के साथ–साथ सभी बैंकों के कॉडिनेटर को भी इस बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेंगे ताकि सभी के बीच अधोहस्ताक्षरी के स्तर से समन्वय स्थापित किया जा सके एवं ऐसे मामले जिनमें अधियाची विभागों के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण मामले लंबित है, उसका निष्पादन शीघ्र कराया जा सके।

13. आवश्यक निदेश :–

1. बैठक की कार्यवाही में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
2. पदाधिकारियों का कण्डिकावार संचिका खोलने का निदेश दिया गया।

3. प्रत्येक नीलाम पत्र वाद के निष्पादन के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। जब तक अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जायगा, उस पर विश्वास नहीं किया जायगा।
4. बड़े बकायेदारों के विरूद्ध जो भी कार्रवाई की गयी है उसे अवलोकनार्थ उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।
5. प्रत्येक 15 दिन पर नीलाम पत्र वादों के समीक्षोपरान्त आयुक्त, पटना प्रमण्डल द्वारा दर्ज की गयी टिप्पणी का अध्ययन कर समुचित कार्रवाई करने का निदेश सभी पदाधिकारियों को दिया गया।
6. कोई नीलाम पत्र वाद किस कारण से लम्बित है उसके कारणों का विश्लेषण करने का निदेश दिया गया।
7. पंजी IX एवं X का मिलान करने का निदेश दिया गया।
8. नीलाम पत्र वादों की सूचना तथा निर्गत **D/W** एवं **B/W का ब्यौराथानावार** समर्पित करने का निदेश दिया गया।
9. नीलाम पत्र वादों का review प्रत्येक मंगलवार को अपराह्न 5.00 बजे किये जाने का निर्णय लिया गया, जिन पदाधिकारियो की प्रगति अच्छी नहीं है।
10. नीलाम पत्र वादों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन नहीं भेजने के कारण और वादों के निष्पादन में रूचि नहीं लेने के कारण सम्बन्धित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
11. नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में रूचि लेने और अधिक–से–अधिक वादों के निष्पादन हेतु कड़ी मेहनत करने का सुझाव दिया गया।
12. नीलाम पत्र वादों के निष्पादन हेतु Certificate Manual का अध्ययन करने का सुझाव दिया गया ताकि अगलीवार परीक्षा आयोजित हो सके।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक...../ , पटना, दिनांक

प्रतिलिपि – वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना/सभी अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना जिला/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला/प्रभारी दण्डाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना एवं सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/सभी अधियाची पदाधिकारी, पटना जिला/सभी बैंक कॉडिनेटर, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पटना को वेवसाईट में सुधार करने एवं अपलोड करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक15-8(10)/07-818/नी0, पटना, दिनांक 23/8/07

प्रतिलिपि – आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – आयुक्त एवं सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी, पटना।

दिनांक 31.08.2007 को नीलाम पत्र वादों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला–स्तरीय नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही

1. उपस्थित

1. डॉ0 बी0 राजेन्दर,भा0प्र0से0,समाहर्त्ता,पटना
2. श्री अवधेश कुमार, अपर जिला दण्डाधिकारी,विधि–व्यवस्था,पटना
3. श्री के0 पी0 पाण्डेय, अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना।
4. श्री मो0 सउद, अपर जिला दण्डा0 नक्सल, पटना।
5. श्री अरूण कुमार वर्मा, अपर जिला दण्डा0, आपूर्ति, पटना।
6. श्री राज किशोर सिन्हा,विशिष्ट पदाधिकारी,अनुभाजन,पटना।
7. श्री सत्यनारायण झा, जिला पंचायतराज पदा0 पटना।
8. श्री आदित्य कुमार दास, निदेशक, लेखा,डी0आर0डी0ए0 पटना।
9. श्रीमती पलका साहनी,अनुमण्डल पदाधिकारी,बाढ।
10. श्री संजय कुमार, नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना।
11. श्री सुनील कुमार,अनुमण्डल पदाधिकारी,दानापुर।
12. श्री राज किशोर प्रसाद, अनुमण्डल पदाधिकारी,पालीगंज।
13. श्री रावी रंजन, अनुमण्डल पदाधिकारी,पटना सदर।
14. श्री प्रभात कुमार सिन्हा, अनुमण्डल पदाधिकारी,मसौढ़ी।
15. श्री अजय कुमार सिन्हा,अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी।
16. श्रीमती अनिमा सिन्हा,जिला भू अर्जन पदा0,पटना।
17. श्री अनिल कुमार–1, कार्यपालक दण्डाधिकारी, पटना।
18. श्री दीपक सिंह, नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना।
19. श्रीमती सीमा कुमारी, नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना।
20. श्री रजनीश कुमार सिंह, नीलाम पत्र पदाधिकारी,पटना।
21. श्री मनोज कुमार चौधरी, नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना।
22. श्री एस0एम0परवेज आलम, नीलाम पत्र पदाधिकारी,पटना।
23. श्रीमती सीमा सिन्हा, नीलाम पत्र पदाधिकारी,पटना।
24. श्री नील कमल, जिला परिवहन पदा0–सह–नीलाम पत्र पदाधिकारी,पटना।
25. श्री अनिल कुमार–2,प्रभारी पदा0,जिला नीलाम पत्र शाखा।
26. डॉ0 महेन्द्र पाल, नजारत उप समाहर्त्ता,पटना।
27. वाणिज्य कर पदाधिकारी,पाटलिपुत्रा अंचल,पटना।
28. वाणिज्य कर पदाधिकारी,पटना दक्षिणी अंचल,पटना।
29. वाणिज्य कर पदाधिकारी,पटना पश्चिमी अंचल,पटना।
30. वाणिज्य कर पदाधिकारी,पटनासिटी पूर्वी अंचल,पटना।
31. वाणिज्य कर पदाधिकारी,पटनासिटी पश्चिमी अंचल,पटना।
32. सहायक आयुक्त उत्पाद,पटना।
33. श्री अरशद अजीज,उप अनुभाजन पदाधिकारी,पटना।
34. श्री देवकी नंदन चौधरी,जिला समन्वयक,भारतीय स्टेट बैंक,आ0का0,पटना।
35. श्री अनिल कुमार दुबे, समन्वयक,भारतीय स्टेट बैंक,,पटना।
35. श्री देवेन्द्र कुमार सिंह,जिला जन संपर्क पदाधिकारी,पटना।

अनुपस्थित

1. श्री राजेश कुमार,अपर भू अर्जन पदाधिकारी,पटना।
2. श्री रबिन्द्र कुमार, नीलाम पत्र पदाधिकारी,,पटना।
3. श्रीमती अंजुला प्रसाद,नीलाम पत्र पदाधिकारी,पटना अवकाश में।

2. पूर्व बैठक की कार्यवाही का तामिला

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी से यह पृच्छा की गई कि पूर्व की बैठक की कार्यवाही सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को तामिला कराया गया है अथवा नहीं। सभी लोगों ने कार्यवाही प्रतिवेदन प्राप्त होने की सूचना दी। जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके द्वारा तामिला का अनुश्रवण किया गया है तथा सभी पदाधिकारियों को यह शत–प्रतिशत कार्यालय में भेजा जा चुका है। सभी पदाधिकारियों से यह पृच्छा की गयी तो उन्होंने कार्यवाही प्राप्त होने की बात कही।

3. पूर्व बैठक की कार्यवाही का अनुपालन

सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों/अनुमंडल पदाधिकारियों से यह पृच्छा की गई कि क्या उनके द्वारा पूर्व में प्रेषित कार्यवाही का अध्ययन किया गया है अथवा नहीं? पूर्व में यह निदेश दिया गया था कि बैठक में आने पूर्व कार्यवाही प्रतिवेदन की कंडिकावार समीक्षा कर अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से 5 दिन पूर्व जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को भेजें ताकि इसे संकलित कर बैठक में समीक्षा हेतु रखा जा सके। अगली बार सभी पदाधिकारियों को शत–प्रतिशत कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन भेजने

का निदेश दिया गया तथा यह **बैठक के दिन हस्तगत नहीं कराने** का निदेश पूर्व में भी दिया गया था इसके बावजूद बैठक के दिन या इससे एक दिन पूर्व इसे हस्त... कराने की परम्परा जारी है एवं भविष्य में ऐसे अनुपालन को अप्राप्त सूची में रखने का निदेश दिया गया। इसके साथ ही जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि वे अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने वालों को पावती निर्गत करें तथा संबंधित पदाधिकारी पावती के साथ बैठक में उपस्थित हों। इसके साथ ही जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को आदेश दिया कि जिन लोगों के यहां से अनुपालन प्राप्त/अप्राप्त है, उनकी सूची एवं गुणवत्ता को देखते हुए इसे कार्यवाही प्रतिवेदन में शामिल करें। अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षावार स्थिति निम्न है :–

क0	नीलाम–पत्र पदाधिकारी का नाम	जून 2007 की बैठक के कार्यवाही का अनुपालन	जुलाई 2007 में किए गए न्यायालय दिवसों की संख्या	पंजी IX एवं X का मिलान	थानावार वारण्टों की सूची का प्रेषण	अधियाची पदाधिकारी के साथ विगत माह की गयी बैठक	निर्गत सूचनाओं के तामिला का अनुश्रवण	2.00 लाख से उपर के बकायेदारों की सूची एवं उानके विरूद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.	श्री मो0 सउद	प्राप्त	04	नहीं	प्राप्त	नहीं	किया गया	प्राप्त
2.	श्री अवधेश कुमार	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
3.	श्री अरूण कुमार वर्मा	अप्राप्त	अप्राप्त	नहीं	प्राप्त	नहीं	नहीं	प्राप्त
4.	श्री के0 पी0 पाण्डेय	प्राप्त	02	नहीं किया गया	तैयार किया जा रहा है	नहीं	किया गया	तैयार किया जा रहा है
5.	श्री सत्यनारायण झा	प्राप्त	06	नहीं	प्राप्त	नहीं किया गया	किया गया	प्राप्त
6.	श्रीमती कुमारी सीमा	प्राप्त	04	नहीं	प्राप्त	नहीं	किया गया	2.00 लाख से उपर के कोई बकायेदार नहीं है।
7.	श्री आदित्य कुमार दास	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
8.	श्री राज किशोर सिन्हा	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
9.	श्री दीपक सिंह	प्राप्त	04	नहीं	प्राप्त	किया गया	किया गया	2.00 लाख से उपर के कोई बकायेदार नहीं है।
10.	श्री अनिल कुमार–1	प्राप्त	05	नहीं	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
11.	श्री संजय कुमार	प्राप्त	07	बाढ़ राहत कार्य में अधियाची पदाधिकारी के व्यस्त रहने के कारण मिलान नहीं किया गया।	प्राप्त	नहीं	किया गया	2.00 लाख से उपर के कोई बकायेदार नहीं है।

12.	श्री राजेश कुमार	प्राप्त	04	अप्राप्त	प्राप्त	नहीं	किया गया	2.00 लाख से ऊपर के कोई बकायेदार नहीं है।
13.	डॉ0 महेन्द्र पाल	प्राप्त	नियमित संचालन	संबंधित नहीं	अप्राप्त	संबंधित नहीं	किया गया	प्राप्त
14.	श्री नील कमल	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
15.	श्री रजनीश कुमार सिंह	प्राप्त	06	संबंधित नहीं	प्राप्त	संबंधित नहीं	किया गया	2.00 लाख से ऊपर के कोई बकायेदार नहीं है।
16.	श्री मनोज कुमार चौधरी	प्राप्त	04	नहीं	प्राप्त	नहीं	किया गया	तथैव
17.	श्रीमती एकता वर्मा	स्थानान्तरित						
18.	श्री एस0एम0 परवेज आलम	प्राप्त	04	नहीं	प्राप्त	नहीं	किया गया	प्राप्त
19.	श्रीमती अंजुला प्रसाद	अप्राप्त	08	नहीं	प्राप्त	नहीं	नहीं	प्राप्त
20.	श्रीमती सीमा सिन्हा	प्राप्त	नियमित संचालन	नहीं	प्राप्त	नहीं	किया गया	प्राप्त
21.	श्री अनिल कुमार–2	प्राप्त	08	नहीं	प्राप्त	नहीं	किया गया	प्राप्त
22.	श्री रबीन्द्र कुमार	प्राप्त	04	किया गया	प्राप्त	हां	किया गया	प्राप्त
23.	अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़	प्राप्त	प्राप्त	किया गया	प्राप्त	किया गया	विहित प्रपत्र में प्राप्त	प्राप्त
24.	अनुमण्डल पदा0 दानापुर	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
25.	अनुमण्डल पदा0 मसौढ़ी	प्राप्त	नियमित संचालन	नहीं	प्राप्त	अप्राप्त	किया गया	प्राप्त
26.	अनुमण्डल पदा0 पालीगंज	अप्राप्त	नियमित संचालन	अप्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त
27.	अनुमण्डल पदा0 पटना सिटी	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
28.	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर	प्राप्त	नियमित संचालन	अप्राप्त	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
29.	श्रीमती अनिमा सिन्हा	प्राप्त	04	नहीं	अप्राप्त	नहीं	किया गया	अप्राप्त

प्रतिवेदन भेजने के बावजूद समीक्षा टिप्पणी में नहीं अंकित किया जाना लापरवाही का द्योतक है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित सहायक से स्पष्टीकरण पूछने तथा अनुशासनिक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

प्रतिवेदन भेजते समय प्रतिवेदन पर पदाधिकारी देखकर ही हस्ताक्षर करेंगे। गलत प्रतिवेदन देने के लिए पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

वाणिज्य कर पदाधिकारी,पटनासिटी पूर्वी अंचल,पटना द्वारा बताया गया कि वाणिज्यकर पटनासिटी पूर्वी अंचल का कोई नीलाम पत्र पदाधिकारी नहीं है।

सभी पदाधिकारियों को यह स्पष्ट किया गया कि जिन लोगों के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में उसी प्रकार का अभिलेखन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाएगा एवं जिन लोगों के द्वारा कार्यों के प्रति रूचि नहीं ली जा रही है, उनके वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में इस बात को दर्ज करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन सरकार को भेजा जाएगा।

(अनुपालन– सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

4. नीलाम पत्र वादों का कम्प्यूटरीकृजेशन

जिलाधिकारी द्वारा यह सूचना दी गयी कि इस जिले के सभी नीलाम–पत्र वादों के ब्यौरे को वेवसाईट पर जारी कर दिया गया है। इसका वेवसाईट **http\\.patna.bih.nic.in** है। यह अत्यन्त ही प्रसन्नता की बात है कि पिछले कई महीनों से इस दिशा में किए जा रहे प्रयास अन्ततः सफल हुआ है तथा नीलाम–पत्र न्यायालयों में चल रहे वादों के संबंध में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर सकेगा। इसके **Usable Form** में सुधार की आवश्यकता है, चूंकि केस सख्या देने पर ब्यौरा प्राप्त होता है, परन्तु अन्य ऑप्शन देने पर इसका ब्यौरा प्राप्त नहीं होता है। इस संबंध में जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एवं राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी को साइट को सुधारने हेतु पत्र निर्गत किया गया है। जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को पुनः स्मारित कर इसे सुधार कराने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। अगली बैठक से जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को भी इस बैठक में उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

इस डाटा को हमेशा अपडेट किए जाने की जरूरत है, इसके लिए सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारियों एवं अनुमण्डल पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वे वैसे **सभी वादों जिसके संबंध में निष्पादन अथवा वसूली की सूचना दी जा रही है, को 26 बिन्दु प्रपत्र में अंकित करते हुए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से भेजें** ताकि बेवसाईट में वादों की अद्यतन स्थिति को अंकित करते हुए अपडेट किया जा सके अर्थात् जब भी वादों के निष्पादन/राशि की वसूली की सूचना जिला को दी जाती है तो इसके साथ उन वादों का पूर्ण ब्यौरा अवश्य संलग्न किया जाय।

(अनुपालन– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर/सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा/सभी पेशकार)

26 बिन्दु प्रपत्र

नीलाम–पत्र न्यायालय का नाम

क्रमांक	अधियाची विभाग का नाम	अधियाची विभाग का मुख्यालय	वाद संख्या	वर्ष	देनदार का नाम	पिता का नाम	ग्राम/ महल्ला	वार्ड/ पंचायत का नाम	थाना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
प्रखंड	सन्निहित राशि	दायर करने की तिथि	प्रपत्र–7 में नोटिश निर्गत करने की तिथि	डी/ डब्लु निर्गत करने की तिथि	बी0/डब्लु निर्गत करने की तिथि	वसूली की गई राशि।		अवशेष वसूलनीय राशि	
						राशि	तिथि		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

लंबित रहने के कारण						
प्रपत्र–7के नोटिश का तामिला अप्राप्त	देनदार की मृत्यु	गलत पता	तलवाना की राशि जमा नहीं	अन्य न्यायालय द्वारा पारित आदेश	अन्य कारण	अभ्युक्ति
20	21	22	23	24	25	26

5. नन–बैंकिंग वादों का ब्यौरा 26 बिन्दु प्रपत्र में तैयार कर भेजने के संबंध में

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर को यह निदेश दिया गया कि वे नन–बैंकिंग से संबंधित वादों यथा– सैरात, तकाबी, लगान, श्रम अधिनियम इत्यादि के अन्तर्गत दायर वादों को 26 बिन्दु प्रपत्र में तैयार कर इसकी सॉफ्ट कॉपी भेजें। अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़ ने ही तत्संबंधी प्रतिवेदन एवं इसकी सी0डी0 हस्तगत करायी है। अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर ने इसकी सूची आंशिक रूप से तैयार कर भेजा है परन्तु अन्य अनुमण्डलों से यह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। विगत दो बैठकों से यह निदेश जा रहा है कि इसे एक सप्ताह में तैयार कर इसकी सी0डी0/फलौपी अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी)

6. नीलाम पत्र न्यायालयों का नियमित संचालन करना :

पूर्व की बैठकों में यह निदेश दिया गया था कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी अगली बार से अपने मासिक प्रतिवेदन में सारे ब्यौरे के साथ इसका भी उल्लेख करेंगे कि विगत माह में उनके द्वारा कितने दिन न्यायालय का कार्य किया गया तथा कितने केसों पर सुनवाई की गई। यह ब्यौरा पूर्व में 21 बिन्दु प्रपत्र में साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराया जा रहा था अब मुख्य सचिव, बिहार के निदेशानुसार इसे निम्नांकित 22 बिन्दु प्रपत्र में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी **प्रत्येक पक्ष** यानि **माह की पहली तारीख एवं 15वीं तारीख** को प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में भेंजेंगे। परन्तु यह प्रतिवेदन अधिकतर नीलाम पत्र पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी से अप्राप्त है जिससे स्पष्ट है कि नीलाम पत्र न्यायालय का नियमित संचालन नहीं किया जा रहा है। पुनः निदेश दिया गया कि नीलाम पत्र न्यायालय का नियमित संचालन किया जाय ताकि अधिकाधिक मामलों का निष्पादन हो सके।

Sl.no.	Name of officer	No. of case pending at the begning of the fortnight		No. of cases heard during the fortnight		No. of cases disposed during the fortnight		No. of cases which recovery made during the fortnight		No. of cases pending at end of the fortnight	
		No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Oldest pending case		Status of Pending Cases							
No. of the case	Amount	Form 7 not served	Talwana not deposted	Other court's instructions	D.W. Issued	B.W. Issued	Death of Certificate debtor	Report of R.O. Wanting	No. of court days
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/ सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला)

7. नीलाम पत्र पदाधिकारीवार/अनुमंडलवार लक्ष्य/उपलब्धि की समीक्षा

जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के लंबित वादों की स्थिति तथा उनके द्वारा माह जुलाई में वसूल की गई राशि की विस्तृत समीक्षा की तथा जिन लोगों द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रपत्र–7 का तामिला, डी0डब्लू0/बी0डब्लू0 निर्गत नहीं किए गए हैं उन्हें तुरंत नीलाम पत्र वादों के नियमित सुनवाई कर इसमें अपेक्षित सुधार लाने का निदेश दिया। उन्होंने नीलाम पत्र पदाधिकारियों को खासकर बड़े बकायेदारों के विरूद्ध समुचित एवं कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया तथा अपेक्षा की कि अगले माह अपने–अपने न्यायालय में लंबित वादों के निष्पादन की दिशा में कारगर कार्रवाई करेंगे।

श्री नील कमल,जिला परिवहन पदाधिकारी,पटना नीलाम पत्र वादों में रूचि नहीं लेते हैं। विगत पांच माह से इनका प्रतिवेदन अप्राप्त प्रतिवेदित हो रहा है। यह अत्यन्त ही दुखद स्थिति है। इनसे स्पष्टीकरण पूछा जाय कि क्यों नहीं नीलाम पत्र वादो के निष्पादन में रूचि नहीं लेने के कारण इनके विरूद्ध सरकार को प्रतिवेदित कर दिया जाय।

श्री संजय कुमारःनीलाम पत्र पदाधिकारी,पटना का अनुपालन प्रतिवेदन में पंजी IX एवं X का मिलान एवं अधियाची पदाधिकारी के साथ बैठक करने का जो उल्लेख किया गया है वह माह जलाई, 2007 में होना चाहिए था किन्तु इससे माह अगस्त में अंकित किया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी,पटना सदर के स्तर पर 10,155 मामले लम्बित हैं जिनके विरूद्ध निष्पादन का कार्य अत्यन्त ही निराशाजनक है। ध्इसके लिए उन्हें स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों के बीच नीलाम पत्र वादों का आवंटन कर उसके निष्पादन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने तथा जो पदाधिकारी ठीक से कार्य नहीं करते हैं उनके विरूद्ध प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया। अधियाची विभाग के साथ बैठक कर उसकी कार्यवाही समर्पित करने का निदेश दिया गया। किस–किस थाने मे कितना वारंट भेजा गया है उसकी सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

पूर्व के बैठक की कार्यवाही में अनुमण्डल पदाधिकारी,दानापुर के विरूद्ध यह अभियुक्ति अंकित की गयी थी कि बारम्बार निदेश देने के बावजूद भी पूर्व वर्ष का निष्पादित वाद एवं सन्निहित राशि प्रतिवेदित किया गया है। जो चिंतनीय मामला है। अनुमण्डल पदाधिकारी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आज की बैठक में भी स्थिति ज्यों की त्यों रही। इसके लिए उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

अनुमण्डल पदाधिकारी,मसौढ़ी के स्तर पर 2955 मामले लम्बित हैं। सभी मामले बैंकों से सम्बन्धित हैं। इनका निष्पादन भी निराशाजनक है। निदेश दिया गया कि अधियाची पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाय। जो अधियाची पदाधिकारी बैठक में नहीं आते हैं अथवा कार्य में सहयोग नहीं करते है उनके विरूद्ध प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया।

अनुमण्डलवार समीक्षा के क्रम में स्पष्ट हुआ कि किसी भी अनुमण्डल की वसूली का प्रतिशत उल्लेखनीय नहीं है। पटना सदर एवं पटना सिटी अनुमण्डल का वसूली प्रतिशत **शून्य** है। इन अनुमण्डल पदाधिकारियों द्वारा नीलाम–पत्र वादों के निष्पादन में कोई अभिरूचि नहीं ली जा रही है। तथ्यों के साथ इनलोगों के द्वारा कार्य में बरती जा रही लापरवाही से सरकार को अवगत कराने का निदेश दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर को बार–बार त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन की ओर इंगित करने के बावजूद अनुमण्डलवार संकलित प्रतिवेदन विभागवार/पदाधिकारीवार नहीं भेजा जा रहा है, जो अत्यन्त ही खेदजनक है। पटनासिटी अनुमण्डल द्वारा प्रतिवेदन ही समर्पित नहीं किया गया है। सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपने पदाधिकारियों को केस उपस्थापित करने के लिए दवाव दें। आयुक्त महोदय द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान नीलाम पत्र वादों के धीमे निष्पादन पर असंतोष व्यक्त किया गया है। नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में जो भी कठिनाइयां आती हैं उन्हें प्रतिवेदित करने का सुझाव दिया गया ताकि इन कठिनाइयों से सरकार को अवगत कराया जा सके। नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में रूचि नहीं लेने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी नीलाम–पत्र शाखा)

निम्नलिखित पदाधिकारियों का प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण पाया गया जिसके लिए स्पष्टीकरण मांगने का निदेश जिला पदाधिकारी ने दिया :–

(1) अपर जिला दण्डाधिकारी,विधि–व्यवस्था,पटना
(2) अपर जिला दण्डाधिकारी,आपूर्त्ति,पटना।
(3) विशिष्ट पदाधिकारी,अनुभाजन,पटना
(4) जिला भू अर्जन पदाधिकारी,पटना
(5) अनुमण्डल पदाधिकारी,पटनासिटी,दानापुर,पालीगंज,मसौढ़ी एवं सदर।

बैठक में नीलम पत्र अभिलेखों को निम्न प्रकार से आवंटित करने का निर्णय लिया गया :–

(क) श्री अरूण कुमार सिंह,अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी का अभिलेख श्री रजनीश कुमार सिंह को स्थानान्तरित किया जाय।
(ख) श्री उदय शंकर सिन्हा,कार्यपालक दण्डाधिकारी का अभिलेख श्री अरशद अजीज,उप अनुभाजन पदाधिकारी को स्थानान्तरित किया जाय।
(ग) श्रीमती एकता वर्मा,सहायक परियोजना पदाधिकारी का अभिलेख श्रीमती स्मिता,सहायक परियोजना पदाधिकारी,डी0आर0डी0ए0,पटना को स्थानान्तरित किया जाय।

नव पदस्थापित पदाधिकारी को नीलाम–पत्र वादों के निष्पादन की शक्ति प्रदत्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाई करने का निर्णय लिया गया।

जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारीवार माह जुलाई 2007 का प्रगति प्रतिवेदन

क्र0	नीलाम पत्र पदाधिकारी का नाम	1.4.07 को लम्बित	1.4.07 को लम्बित वादों में सन्निहित राशि	2007–08 से प्रतिवेदित माह तक		कुल वाद	सन्निहित राशि	इस माह के पूर्व निष्पादित		इस माह निष्पादित		कुल निष्पादित		कुल लंबित वाद (7–13)	कुल लंबित राशि (8–14)	लंबित वादों की स्थिति								
				दायर वाद	सन्निहित राशि			वादों की सं0	सन्निहित राशि	वादों की सं0	सन्निहित राशि	वादों की सं0	सन्निहित राशि			प्रारम्भ में लम्बित वाद	वर्ष में दायर वाद	पत्रावली पर लिया गया	प्रक्रियाधीन की गोश्वारा तथा पत्रावली	प्रक्रियाधीन पत्रावली में प्रतिवेदन प्रस्तुत	योग	बीच में छोड़	अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	श्री अजय कुमार	250	1655989			250	1655989							250	1655989	12	0	0	0	0	0	25	213	-
2	श्री कमलेश चन्द्रवंशी	16	159814781	-	-	16	159814781			1	496184	1	496184	15	159318597	15	0	0	0	0	0	0	0	-
3	श्री अनिल	83	9835891	-	-	83	9835891	3	435780	0	272633	3	435780	80	9400111	0	3	-	-	-	3	2	-	-
4	श्री अरुण कुमार उपाध्याय	38	7899444	-	-	38	7899444	8	2227095	1	21626	9	2248721	29	5650723	1	2	-	-	-	2	10	-	-
5	श्री राज किशोर सिंहल	48	2792461			48	2792461			1	1078	1	1078	47	2791383	47	-	-	-	-	-	-	-	-
6	श्री राम नरेश पाण्डेय	92	10279186	-	-	92	10279186	4	145340	2	503233	6	648573	86	9630613	3	-	-	-	4	13	56	6	
7	श्री आलोक कुमार राय	211	6058000			211	6058000			0		0	0	211	6058000	12	-	-	-	120	100	-	-	
8	श्रीमती अनिता सिन्हा	250	18208567			250	18208567			3	22174	3	22174	247	18186393	64	-	-	-	-	-	-	-	-
9	श्री भान बचन	212	31073709	-	-	212	31073709			0	-	0	0	212	31073709	0	-	-	-	-	-	-	-	-
10	श्री अनिल कुमार	274	6158902	-	-	274	6158902	1	119693	3	6114	4	125807	270	6033095	148	-	-	-	-	-	10	9	
11	श्री राजेश कुमार	420	10781845	-	-	420	10781845	67	357103	0	0	67	357103	353	10424742	188	-	-	-	-	-	81	42	-
12	श्री दीपक सिंह	530	14133855	-	-	530	14133855	8	2415412	1	7827	9	2423239	521	11710616	327	-	-	-	-	35	191	1	-
13	श्री मनोज कुमार	250	7023192	-	-	250	7023192	3	236581	0		3	236581	247	6786611	182	-	-	-	-	5	1	-	59
14	श्रीमती अनुराधा सिंहल	116	71609391	-	-	116	71609391	0	3880	0		0	3880	116	71605511	68	5	-	12	1	12	22	1	-
15	श्री गोविन्द कुमार	108	419404524	-	-	108	419404524	0	225000	3	74204	3	299204	105	419105320	76	-	-	-	2	10	12	5	-
16	श्री चन्दन पाल	199	1131899	-	-	199	1131899	0				0	0	199	1131899	95	-	-	-	-	104	-	-	-
17	श्री अनोज कुमार II	93	59642362	-	-	93	59642362	3	1166745	0	3000	3	1169745	90	58472617	17	-	-	-	-	50	-	-	
18	श्रीमती सीमा श्रीवास्तव	368	10847767	-	-	368	10847767	0	0		0	0	0	368	10847767	270	-	-	-	-	28	45	25	
19	श्री राजेश कुमार सिंह	98	5829116	-	-	98	5829116	23	346103	1	103040	24	449143	74	5379973	6	-	-	-	-	6	4	58	-
20	श्री मनोज कुमार चौधरी	153	2380348	-	-	153	2380348	12	104092	10	75123	22	179215	131	2201133	92	-	-	-	-	-	24	15	-
21	रामेश्वर प्रसाद गुप्ता	191	5560697	-	-	191	5560697	0	0	-	0	0	0	191	5560697	0	-	-	-	-	-	-	-	-
22	श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय आनन्द	133	18714123	-	-	133	18714123	-	43830	0	0	-	43830	126	18670293	51	12	-	-	20	-	-	-	-
23	रामेश्वर सीमा सिन्हा	120	51753452			120	51753452	0	0	4	439521	4	439521	116	51705006	6	-	-	-	22	20	50	-	-
	कुल योग	4253	1398370576	0	0	4253	1398370576	139	7826654	30	2025757	169	9579778	4084	1388790798	1680	22	0	12	178	437	863	382	136

विभिन्न अनुमंडलों का माह जुलाई 2007 तक नीलाम पत्र वादों से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन।

क्र.	अनुमंडल का नाम	01.04.07 को लंबित वाद	01.04.07 के लंबित वादों में सन्निहित राशि	प्रतिपादित माह में डायर वादों की संख्या	प्रतिपादित माह में डायर वादों में सन्निहित राशि	कुल लंबित वाद	कुल लंबित वादों में सन्निहित राशि	पूर्व माह में निष्पादित वाद की संख्या	पूर्व माह में निष्पादित वादों में सन्निहित राशि	चालमान माह में निष्पादित वादों की संख्या	चालमान माह में निष्पादित वादों में सन्निहित राशि	कुल निष्पादित वाद	कुल निष्पादित वादों में सन्निहित राशि	कुल लंबित वाद	कुल लंबित वादों में सन्निहित राशि	प्रगति का प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	पटना सदर	10110	315680593.00	45	4075738.00	10155	319756331.00	39	3539314.00	2	583568.00	41	4122882.00	10114	315633449	1.28	कार्यालय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कार्यालय द्वारा प्रतिवेदन अद्यतन नहीं किया जाता है। जिसे तत्काल अद्यतन करने हेतु निदेश दिया गया।
2	पटना सिटी	3605	247645744.00	123	9149226	3728	256794970	23	2792605.00	18	1722328	41	4514933.00	3687	252280037	1.75	प्रतिवेदन में वाद की संख्या नहीं है। नकी पेशी में लंबित वाद प्रतिवेदन अद्यतन करने की आवश्यकता
3	दानापुर	9173	191843477.00	14	1403003.00	9187	193246480.00	69	3158571.00	29	1668504.00	98	4827375.00	9089	188419105	2.49	कार्यालय निरीक्षण दर्ज कराया गया कि पूर्व निरीक्षण दर्ज का अनुपालन नहीं किया गया है। अनुपालन
4	मसौढी	2848	57685400.00	137	3457103.00	2985	61142503.00	26	1323058.00	4	194058.00	30	1517116.00	2955	59625387	2.48	प्रतिवेदन में वैधक कार्यवाही की आवश्यकता है।
5	फतुहा	2710	52174264.00	50	4075923	2760	56250187.00	11	263077.00	12	778819.00	23	1041896.00	2737	55208291	1.85	प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है।
6	बाढ	9579	194214547.00	233	10723085	9812	204937632	77	5165118.00	24	1563297.00	101	6728415.00	9711	198209217	3.28	कार्यालय में प्रतिवेदन नहीं प्राप्त है। निदेश प्राप्त होने की आवश्यकता है।
	कुल	38025	1059244025	602	32884078	38627	1092128103	245	16241143	89	6510874	334	22752017	38293	1069376086	2.08	

RECOVERY IN JULY.-2007 IN Rs.

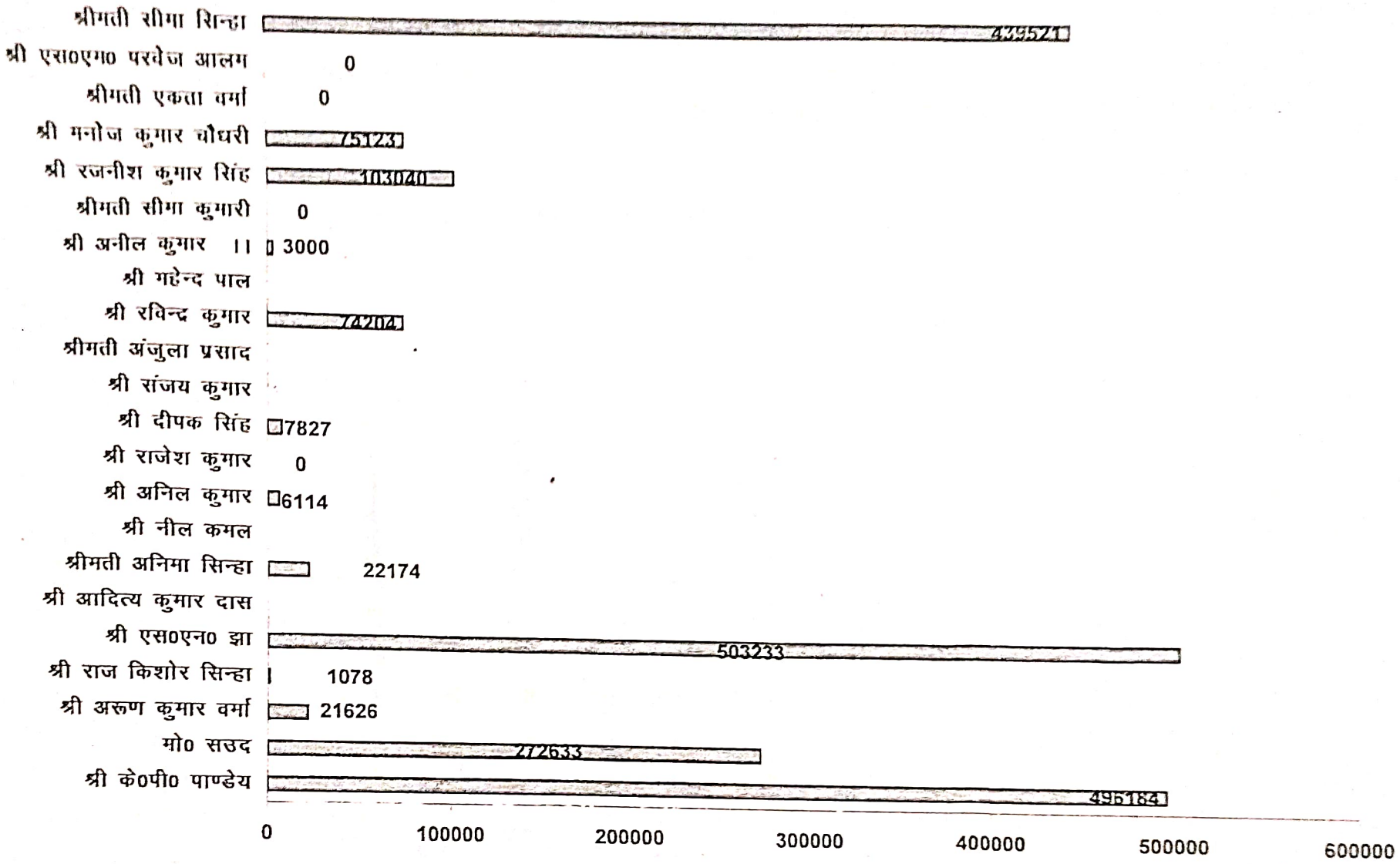

जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारियों के जुलाई माह की वसूली की समीक्षा के उपरान्त यह निदेश दिया गया कि जिन लोगों के द्वारा इस माह में शून्य वसूली की गयी है, उनसे स्पष्टीकरण की मांग की जाय तथा यह पृच्छा की जाय कि क्यों नहीं इस बिन्दु को उनके वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में अंकित कर दिया जाय। जिन नीलाम–पत्र पदाधिकारियों द्वारा अच्छा उपलब्धि की गयी है, उन्हें प्रशंसा–पत्र देने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा)

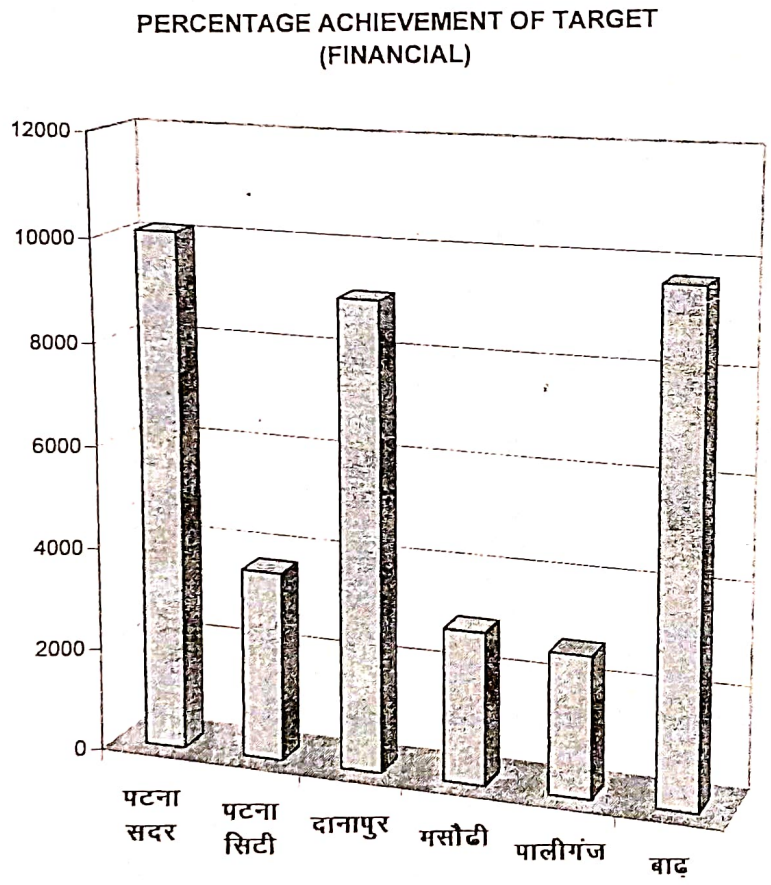

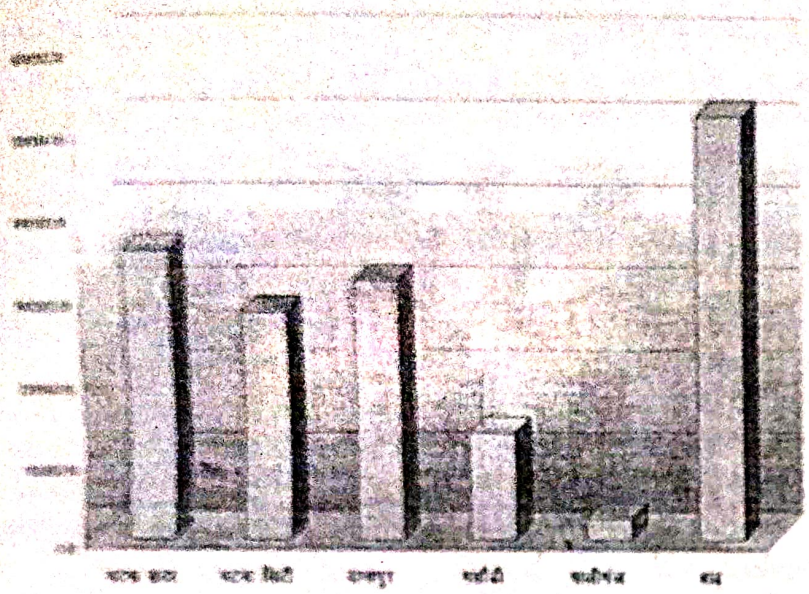

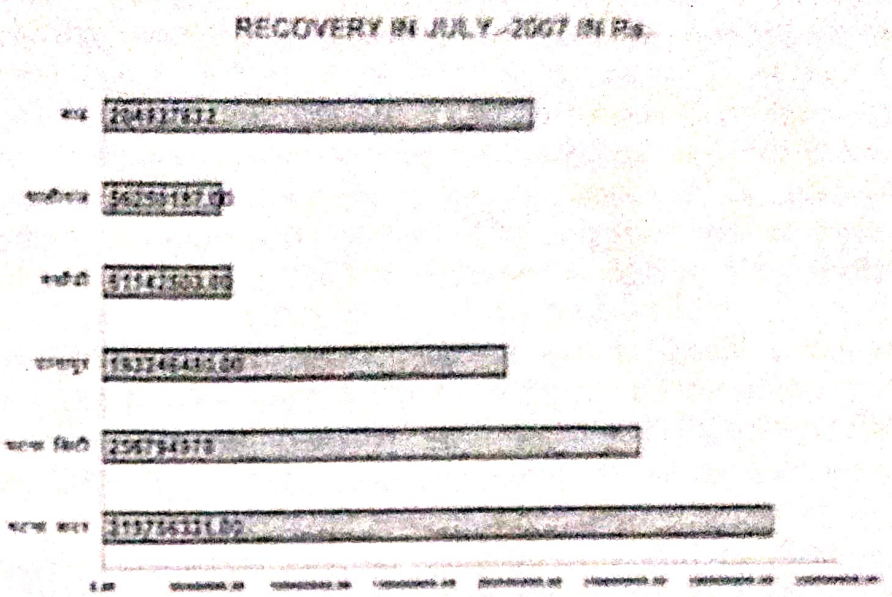
RECOVERY IN JULY-2007 IN Rs.

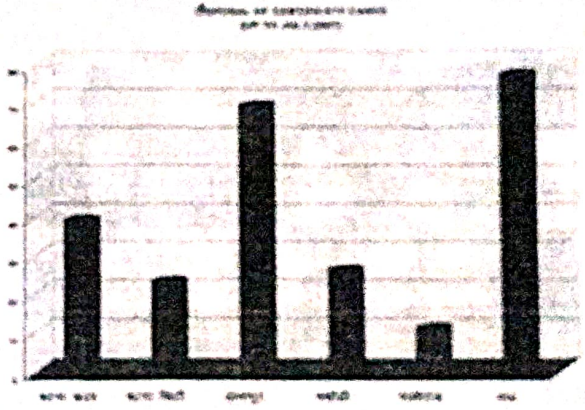

अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर द्वारा त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन भेजने पर अप्रसन्नता व्यक्ति की एवं बार–बार त्रुटिपूर्ण प्रतिवेदन क्यों भेजा जा रहा है, इसके संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का निदेश दिया गया। **अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर, पटना सिटी के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि विगत माह इन लोगों ने नीलाम–पत्र वादों के निष्पादन में कोई अभिरूचि नहीं लिया है।** इसपर **नाराजगी एवं अप्रसन्नता** व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि अगर अगले माह इनके निष्पादन/वसूली में अपेक्षित सुधार नहीं आता है तो सरकार को इस आशय की टिप्पणी प्रेषित की जाय कि इनलोगों के द्वारा नीलाम–पत्र वादों के निष्पादन में अभिरूचि नहीं ली जाती है।

जुलाई माह की प्रगति की अनुमण्डलवार समीक्षा से यह स्पष्ट है कि दानापुर,मसौढ़ी, पालीगंज, पटना सदर एवं पटनासिटी अनुमण्डल ने विगत माह नीलाम–पत्र वादों के निष्पादन में कोई अभिरूचि नहीं ली है। लगातार निदेश दिए जाने के बावजूद इस तरह के प्रगति पर असंतोष एवं खेद व्यक्त किया गया तथा यह चेतावनी भी दी गयी कि नीलाम–पत्र वादों के निष्पादन हेतु सभी अनुमण्डल पदाधिकारी प्राथमिकता से लें तथा इसमें अपेक्षित गति लाकर राशि की वसूली सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी)

8. नोटिश तामिला की प्रकिया :

इस सम्बन्ध में विगत माह में दिए गए निदेश की समीक्षा की गई एवं यह स्पष्ट किया गया कि नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में सबसे अहम भूमिका पदचर अनुसेवियों की होती है। इनलोगों के द्वारा इसे गम्भीरता से नहीं लिया जाता है तथा ज्यादातर मामलों में बैठे–बैठे नोटिश के पीछे यह अंकित कर दिया जाता है कि बकायेदार के यहाँ गया और उनके द्वारा नोटिश लेने से इनकार किया गया अथवा उनका कोई पता नहीं चला या गवाही देने से लोगों ने इनकार कर दिया। यह अत्यन्त ही दुःखद परिस्थिति है। इसका कुप्रभाव नीलाम पत्र वादों के निष्पादन. पर पड़ता है। तामिला हेतु एक Mechanism तैयार करने की आवश्यकता है तथा इनमें लगे पदचरों/अनुसेवियों को Motivate करने की भी आवश्यकता है।

अतः यह निदेश दिया गया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी अनुसेवियों द्वारा तामिला कराये गए नोटिश एवं अंकित किए गए प्रतिवेदनों की समीक्षा करें कि उनके द्वारा किन–किन क्षेत्रों में जाकर किन–किन नोटिशों का वास्तविक रूप से तामिला कराया गया है। यह समीक्षा सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी तथा सभी अनुमंडल पदाधिकारी साप्ताहिक रूप से निम्नांकित प्रपत्र में करेंगे। इस माह केवल अनुमण्डल बाढ़ से यह प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्राप्त हुआ है।

क्रमांक	पदचर का नाम	विगत सप्ताह तक लंबित नोटिस/पत्र की सं0	आलोच्च सप्ताह में दिया गया पत्र/नोटिश	कुल पत्र/नोटिश	आलोच्च सप्ताह में तामिला कराये गये पत्र/नोटिश	लंबित पत्र/नोटिश जिनका तामिला नहीं हो सका	लंबित रहने का कारण	अभियुक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09

विगत दो माह से उपरोक्त प्रपत्र में नोटिस तामिला की समीक्षा कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया जा रहा है परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो अत्यन्त ही खेदजनक है। जिलाधिकारी ने अगले माह से प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र को पावरप्वाईंट प्रजेन्टेशन में यह भी अंकित करने का निदेश दिया गया कि किन पदाधिकारियों द्वारा इसकी समीक्षा कर उपरोक्त प्रपत्र में प्रतिवेदन भेजा जा रहा है, उसे भी अंकित करें।

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला)

9. अधियाची विभाग द्वारा निष्पादन में अभिरूचि नहीं लिए जाने के सम्बन्ध में

नीलाम पत्र पदाधिकारियों द्वारा यह उल्लेख किया गया कि जिला स्तर पर विभिन्न अधियाची विभागों को नोटिश तामिला हेतु दिया जा रहा है, परन्तु उन लोगों के द्वारा इसका तामिला कराने में अपेक्षित सहयोग नहीं दिया जाता है तथा यह अंकित कर दिया जाता है कि बकायेदार का पता नहीं मिला एवं अब वे निर्धारित स्थल पर नहीं रहते हैं। यह अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिलाधिकारी द्वारा ऐसे मामलों में अधियाची विभाग के विरूद्ध विभागीय सचिव/बैंक के मुख्य प्रबंधक को लिखने हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को भेजने का निदेश दिया गया तथा इसके पश्चात् धारा 53 (2) के तहत स्पीकिंग ऑर्डर पास करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त करने का निदेश दिया गया। वाद समाप्त करने के पूर्व सम्बन्धित अधियाची विभाग एवं वरीय पदाधिकारियों को इसकी चेतावनी अनिवार्य रूप से दे दी जाए। साथ ही आदेश में यह भी अंकित कर दिया जाय कि अधियाची विभाग ऋणी का सही पता की जानकारी प्राप्त कर न्यायालय को अगर सूचना देता है तो इस वाद की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की जा सकेगी।

सभी अधियाची पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वे अगली बैठक से पंजी–ix एवं इसमें वसूल की गयी राशि का वादवार ब्यौरा लेकर बैठक में भाग लेंगे, चूंकि ज्यादातर अधियाची विभाग को यह जानकारी ही नहीं है कि उनके विभाग के कितने नीलाम–पत्र वाद, किन–किन न्यायालय में लंबित हैं। अधियाची विभागों

द्वारा नीलाम–पत्र वाद दायर किए जाने की खानापुरी की जा रही है तथा इसके बाद वह निश्चिन्त होकर प्रतिवेदन भेज दे रहे हैं कि इन मामलों में नीलाम–पत्र वाद दायर कर दिया गया है, जबकि इसके निष्पादन के लिए उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

(अनुपालन– सभी अनुमण्डलाधिकारी/सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा/सभी अधियाची पदाधिकारी)

10. बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कार्रवाई :

सभी जिला स्तरीय नीलाम पत्र पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि वे पटना शहर के बड़े बकायेदारों के विरूद्ध निर्गत वॉडी वारण्ट को कार्यान्वयन हेतु वारण्ट **जिला नियंत्रण कक्ष** को प्रेषित करें तथा जिला नियंत्रण कक्ष प्रत्येक दिन अधियाची विभाग के साथ कार्यक्रम निर्धारित कर दंडाधिकारी/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर गिरफ्तार करने हेतु कार्रवाई करेंगे। इसी तरह अनुमण्डल स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर वारण्ट के कार्यान्वयन का निदेश दिया गया तथा इस हेतु अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी एवं थाना के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। 2.00 लाख या इससे उपर के राशि के ऋणियों की सूची सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को हस्तगत करायी गयी तथा जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारियों को भी इन बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। पूरे जिला में जिला स्तरीय नीलाम–पत्र वादों में कुल 124 बकायेदार 2.00 लाख से उपर की राशि के हैं जबकि अनुमण्डल स्तरीय नीलाम–पत्र वादों में इनकी संख्या 265 है। पूरे पटना जिला में 389 बड़े बकायेदार है, जिनकी सूची तैयार कर सभी संबंधित को दी गयी है, पर ध्यान केन्द्रित कर राशि की वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया, चूंकि 70 प्रतिशत सरकारी राशि इन लोगों के जिम्मे ही बकाया है। यह भी निदेश दिया गया कि अगली बैठक से मात्र इन वादों के निष्पादन की वादवार समीक्षा की जाएगी तथा इसका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराया जाय एवं इन केसों का व्यक्तिगत अनुश्रवण किया जाय।

(अनुपालन– सभी अनुमण्डलाधिकारी/सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा)

11. पंजी– IX एवं X का मिलान :

जिलाधिकारी द्वारा पंजी –IX एवं X के मिलान के सम्बन्ध में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की तथा यह निदेश दिया कि अधियाची पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई जाय एवं 26 बिन्दु प्रपत्र पर बनाए गए विवरण शाखावार/विभागवार तैयार कर इसकी दो प्रति नीलाम पत्र पदाधिकारी अधियाची विभाग/बैंक को हस्तगत करेंगे तथा पुनः अगले सप्ताह एक बैठक बुलाकर उसका एक सत्यापित प्रति जिसमें मिलान कर अद्यतन वसूली अंकित किया गया हो, उसे विभाग ले लेंगे ताकि रिकन्सीलिएशन हो सके। अधियाची पदाधिकारी के साथ आहूत की गयी **बैठक की कार्यवाही अनिवार्य रूप से तैयार की जाय** एवं इसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी भेजी जाय।

यह अत्यन्त ही गम्भीर स्थिति है तथा जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को अपने–अपने अधियाची विभाग की बैठक बुलाकर प्रपत्र IX एवं X का मिलान कराकर विहित प्रपत्र में राशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र लेने का निदेश दिया। यह प्रपत्र सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को पूर्व में ही प्रेषित किया जा चुका है।

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना जिला)

12. थानावार वारण्टों की सूची तैयार करने के संबंध में :–

जिलाधिकारी द्वारा सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी को अपने–अपने न्यायालय में लंबित वादों को थानावार वर्गीकृत करते हुए एक पंजी संधारित करने का निदेश दिया तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किए जाने का भी निदेश के साथ–साथ **इसकी प्रति जिला को भेजने का निदेश दिया था** परन्तु मसौढ़ी, बाढ़, पालीगंज,दानापुर,पटना सदर अनुमण्डल एवं कुछ पदाधिकारियों को छोड़ अन्य जगहों से प्राप्त नहीं हो सका है। प्राप्त सूची के अनुसार जिला स्तर पर कुल 678 वारण्ट 44 थानों में निम्नांकित रूप से निर्गत किए गए हैं।

कमांक	थाना	वारंन्टो की संख्या	कमांक	थाना	वारंन्टो की संख्या	कमांक	थाना	वारंन्टो की संख्या
1	कदमकुऑ	22	16	गर्दनीबाग	3	31	दीदारगंज	4
2	कंकड़बाग	11	17	आलमगंज	9	32	फतुहॉ	7

3	अगमकुआँ	3	18	गालरालामी	13	33	सचिवालय	1
4	घोषवरी	1	19	सिगोरी	1	34	खगौल	4
5	खुशरूपुर	4	20	पीरबहोर	13	35	श्रीकृष्णापुरी	1
6	बाढ़	83	21	नौबतपुर	7	36	मोकामा	93
7	गाँधी मैदान	14	22	जक्कनपुर	3	37	पालीगंज	5
8	कोतवाली	17	23	मनेर	10	38	कृष्णापुरी	1
9	शास्त्रीनगर	4	24	चौक	16	39	बख्तियारपुर	92
10	पुनपुन	1	25	मसौढ़ी	22	40	पंडारक	36
11	विक्रम	46	26	घनरूआ	28	41	अथमलगोला	18
12	दिघा	4	27	पाटलिपुत्रा	6	42	बेलछी	6
13	हाथीदाह	6	28	सुल्तानगंज	6	43	फुलवारीशरीफ	3
14	बिहटा	14	29	खाजेकलाँ	6	44	दुल्हिनबाजार	15
15	दानापुर	18	30	गौरीचक	1	कुलः–	678	

उपरोक्त थाना प्रभारियों को वारण्टों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु निदेश देने के लिए वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना को पत्र निर्गत करने का निदेश जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को दिया गया।

सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी से यह अपेक्षा की गयी कि अब जब सारे अभिलेखों पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है तथा केसों को जिन्दा कर दिया गया है, डी0डब्लू/बी0डब्लू0 निर्गत करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है, सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी बड़े बकायेदारों के मामलों का व्यक्तिगत अनुश्रवण कर खुद कुछ मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि बड़े बकायेदार से राशि की वसूली हो सके तथा लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। इसके साथ ही जिन मामलों में वसूली की गयी है अथवा वाद समाप्त किया गया है, उसकी सूचना भी पाक्षिक प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर भेजें ताकि बेवसाईट में उसे अपडेट किया जा सके। जुलाई माह की वसूली को असंतोषजनक बताते हुए चिन्ता जाहिर की गयी तथा अपेक्षा की गयी कि अगले माह से इसमें पुनः अपेक्षित वृद्धि आएगी तथा सभी पदाधिकारी पूरे मनोयोग के साथ इसके निष्पादन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि वे अगली बैठक से अधियाची विभागों के साथ–साथ सभी बैंकों के कॉडिनेटर को भी इस बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेंगे ताकि सभी के बीच अधोहस्ताक्षरी के स्तर से समन्वय स्थापित किया जा सके एवं ऐसे मामले जिनमें अधियाची विभागों के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण मामले लंबित है, उसका निष्पादन शीघ्र कराया जा सके।

13. आवश्यक निदेश :–

1. बैठक की कार्यवाही में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
2. पदाधिकारियों का विन्दुवार संचिका खोलने का निदेश दिया गया।
3. प्रत्येक नीलाम पत्र वाद के निष्पादन के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। जब तक अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जायगा, उस पर विश्वास नहीं किया जायगा।
4. बड़े बकायेदारों के विरूद्ध जो भी कार्रवाई की गयी है उसे अवलोकनार्थ उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।
5. प्रत्येक 15 दिन पर नीलाम पत्र वादों के समीक्षोपरान्त आयुक्त, पटना प्रमण्डल द्वारा दर्ज की गयी टिप्पणी का अध्ययन कर समुचित कार्रवाई करने का निदेश सभी पदाधिकारियों को दिया गया।
6. कोई नीलाम पत्र वाद किस कारण से लम्बित है उसके कारणों का विश्लेषण करने का निदेश दिया गया।

7. पंजी IX एवं X का मिलान करने का निदेश दिया गया।
8. नीलाम पत्र वादों की सूचना थानावार समर्पित करने का निदेश दिया गया।
9. नीलाम पत्र वादों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन नहीं भेजने के कारण और वादों के निष्पादन में रूचि नहीं लेने के कारण सम्बन्धित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
10. नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में रूचि लेने और अधिक–से–अधिक वादों के निष्पादन हेतु कड़ी मिहनत करने का सुझाव दिया गया।
11. नीलाम पत्र वादों के निष्पादन हेतु Certificate Manual का अध्ययन करने का सुझाव दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

E०-

(डॉ० बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक 19.8(10)/07 – 902 /नी०, पटना, दिनांक 7.9.07

प्रतिलिपि – वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना/सभी अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना जिला/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला/प्रभारी दण्डाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना एवं सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/सभी अधियाची पदाधिकारी, पटना जिला/सभी बैंक कॉडिनेटर, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पटना को बेवसाईट में सुधार करने एवं अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Rajender 6.9.2007

जिलाधिकारी, पटना।

सूचना किया
6/9/07
6/9/07

दिनांक 28.09.2007 को नीलाम पत्र वादों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला–स्तरीय नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही

1. उपस्थित

यथा पंजी में संधारित।

2. अनुपस्थित

1. श्री आदित्य कुमार दास, निदेशक, लेखा,डी0आर0डी0ए0 पटना।
2. डॉ0 महेन्द्र पाल, नजारत उप समाहर्त्ता,पटना।
3. श्री रजनीश कुमार सिंह, नीलाम पत्र पदाधिकारी,पटना।
4. श्री एस0एम0परवेज आलम, नीलाम पत्र पदाधिकारी,पटना।
5. श्रीमती अंजुला प्रसाद,नीलाम पत्र पदाधिकारी,
6. श्रीमती सीमा सिंहा, नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना।
7. वाण्ज्यिकर पदाधिकारी, पाटलीपुत्रा अंचल, पटना।
8. वाणिज्यकर पदाधिकारी, पटना उत्तरी अंचल, पटना।
9. वाणिज्यकर पदाधिकारी, दानापुर।
10. सहायक आयुक्त उत्पाद, पटना।

3. आवश्यक निदेश

1. बैठक की कार्यवाही में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
2. पदाधिकारियों का विन्दुवार संचिका खोलने का निदेश दिया गया।
3. प्रत्येक नीलाम पत्र वाद के निष्पादन के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। जब तक अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जायगा, उस पर विश्वास नहीं किया जायगा।
4. बड़े बकायेदारों के विरूद्ध जो भी कार्रवाई की गयी है उसे अवलोकनार्थ उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।
5. प्रत्येक 15 दिन पर नीलाम पत्र वादों के समीक्षोपरान्त आयुक्त, पटना प्रमण्डल द्वारा दर्ज की गयी टिप्पणी का अध्ययन कर समुचित कार्रवाई करने का निदेश सभी पदाधिकारियों को दिया गया।
6. कोई नीलाम पत्र वाद किस कारण से लम्बित है उसके कारणों का विश्लेषण करने का निदेश दिया गया।
7. जिला में नवपदस्थापित अपर समाहर्ता, निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यकम, पटना, भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी, श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, दानापुर को नीलाम–पत्र वाद संचालन की शक्ति प्रदत्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
8. खनन विभाग के उप निदेशक श्री संघवार ने बताया कि उन्हें विगत माह से नीलाम–पत्र वादों के संचालन की शक्ति प्राप्त है तथा पटना जिला में खनन विभाग के कुल 10,000 हजार मामले लंबित है, वर्तमान में जिला नीलाम–पत्र शाखा द्वारा कुल 368 वाद स्थानांतरित कर दिए गए हैं किन्तु इनके द्वारा अभी तक एक भी मामला निष्पादित नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होनें सर्टिफिकेट मैनुअल का अध्ययन नहीं किया है तथा उन्हें पी0डी0आर0 एक्ट की धारा–7 एवं 9 की जानकारी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में समाहरणालय पदस्थापित अन्य पदाधिकारियों के पास खनन विभाग के लंबित अभिलेखों को श्री संघवार के न्यायालय में स्थानांतरित करना कार्यहित में उचित नहीं है। इसकी सूचना खनन विभाग के सचिव महोदय को देने का निदेश दिया गया।
9. सभी अधियाची पदाधिकारी को भी बैठक में अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।
10. प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक मासिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

4. पूर्व बैठक की कार्यवाही का तामिला

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी से यह पृच्छा की गई कि पूर्व की बैठक की कार्यवाही सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को तामिला कराया गया है अथवा नहीं। सभी लोगों ने कार्यवाही प्रतिवेदन प्राप्त होने की सूचना दी। जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके द्वारा

तामिला का अनुश्रवण किया गया है तथा सभी पदाधिकारियों को यह शत–प्रतिशत कार्यालय में भेजा जा चुका है। सभी पदाधिकारियों से यह पृच्छा की गयी तो उन्होंने कार्यवाही प्राप्त होने की बात कही।

5. पूर्व बैठक की कार्यवाही का अनुपालन

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को छोड़कर अन्य सभी पदाधिकारियों से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त है। जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना से स्पष्टीकरण मांगने का निदेश दिया गया। पूर्व में यह निदेश दिया गया था कि बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन की कंडिकावार समीक्षा कर अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से **5 दिन पूर्व** जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को भेजें ताकि इसे संकलित कर बैठक में समीक्षा हेतु रखा जा सके। बैठक के दिन या इससे एक दिन पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन हस्तगत कराने पर ऐसे अनुपालन को अप्राप्त सूची में रखने का निदेश दिया गया। अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षावार स्थिति निम्न है :–

क्र0	नीलाम–पत्र पदाधिकारी का नाम	जुलाई 2007 की बैठक के कार्यवाही का अनुपालन	अगस्त 2007 में किए गए न्यायालय दिवसों की संख्या	पंजी IX एवं X का मिलान	थानावार वारण्टों की सूची का प्रेषण	अधियाची पदाधिकारी के साथ विगत माह की गयी बैठक	निर्गत सूचनाओं के तामिला का अनुश्रवण	2.00 लाख से उपर के बकायेदारों की सूची एवं उनके विरूद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.	श्री मो0 सउद	प्राप्त	07	किया गया	प्राप्त	नहीं	किया गया	प्राप्त
2.	श्री अवधेश कुमार	प्राप्त	04	किया गया	प्राप्त	प्राप्त	किया गया	वाद नहीं है
3.	श्री अरूण कुमार वर्मा	प्राप्त	04	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
4.	श्री के0 पी0 पाण्डेय	प्राप्त	02	नहीं	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
5.	श्री राज किशोर सिन्हा	प्राप्त	02	किया गया	अप्राप्त	नहीं किया गया	किया गया	अप्राप्त
6.	श्री सत्यनारायण झा	प्राप्त	04	संबंधित नहीं है	प्राप्त	नहीं किया गया	किया गया	प्राप्त
7.	श्री आदित्य कुमार दास	प्राप्त	नियमित संचालन	संबंधित नहीं है	अप्राप्त	संबंधित नहीं	किया गया	अप्राप्त
8.	श्री दीपक सिंह	प्राप्त	09	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	2.00 लाख से उपर कोई बकायेदार नही है।
9.	श्री अनिल कुमार–1	प्राप्त	04	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
10.	श्री संजय कुमार	प्राप्त	06	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	2.00 लाख से उपर कोई बकायेदार नही है।
11.	श्री राजेश कुमार	प्राप्त	04	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	2.00 लाख से उपर कोई बकायेदार नहीं है।
12.	डॉ0 महेन्द्र पाल	प्राप्त	नियमित संचालन	संबंधित नहीं	तैयार किया जा रहा है।	संबंधित नहीं	किया गया	प्राप्त
13.	श्री नील कमल	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त

14.	श्री रजनीश कुमार सिंह	प्राप्त	नियमित संचालन	संबंधित नहीं	प्राप्त	संबंधित नहीं	किया गया	2.00 लाख से उपर कोई बकायेदार नही है।
15.	श्री मनोज कुमार चौधरी	प्राप्त	03	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	2.00 लाख से उपर कोई बकायेदार नही है।
16.	श्री एस0एम0 परवेज आलम	प्राप्त	08	नहीं किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
17.	श्रीमती अंजुला प्रसाद	प्राप्त	नियमित संचालन	अप्राप्त	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
18.	श्रीमती सीमा सिन्हा	प्राप्त	07	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	अप्राप्त
19.	श्री अनिल कुमार–2	प्राप्त	04	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
20.	श्री रबीन्द्र कुमार	प्राप्त	03	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
21.	अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़	प्राप्त	प्राप्त	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
22.	अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर	प्राप्त	नियमित संचालन	अप्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
23.	अनुमण्डल पदा0 मसौढ़ी	प्राप्त	सप्ताह में 2 दिन	किया गया	प्राप्त	रूची नहीं लिया गया	किया गया	प्राप्त
24.	अनुमण्डल पदा0 पालीगंज	प्राप्त	नियमित संचालन	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
25.	अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	किया गया	प्राप्त
26.	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर	प्राप्त	14	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
27.	श्रीमती अनिमा सिन्हा	प्राप्त	04	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त

प्रतिवेदन भेजते समय प्रतिवेदन पर पदाधिकारी देखकर ही हस्ताक्षर करेंगे। गलत प्रतिवेदन देने के लिए पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

वाणिज्य कर पदाधिकारी,पटनासिटी पूर्वी अंचल,पटना द्वारा बताया गया कि वाणिज्यकर पटनासिटी पूर्वी अंचल का कोई नीलाम पत्र पदाधिकारी नहीं है। इस संबंध में निर्गत आदेश को हस्तगत कराने का निदेश दिया गया।

सभी पदाधिकारियों को यह स्पष्ट किया गया कि जिन लोगों के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में उसी प्रकार का अभिलेखन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाएगा एवं जिन लोगों के द्वारा कार्यों के प्रति रूचि नहीं ली जा रही है, उनके वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में इस बात को दर्ज करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन सरकार को भेजा जाएगा।

(अनुपालन– सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

6. नीलाम पत्र वादों का कम्प्यूटराइजेशन

जिलाधिकारी द्वारा यह सूचना दी गयी कि इस जिले के सभी नीलाम–पत्र वादों के ब्यौरे को बेवसाईट पर जारी कर दिया गया है। इसका बेवसाईट **http\\.patna.bih.nic.in** है। यह अत्यन्त ही प्रसन्नता की बात है कि पिछले कई महीनों से इस दिशा में किए जा रहे प्रयास अन्ततः सफल हुआ है तथा नीलाम–पत्र न्यायालयों में चल रहे वादों के संबंध में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर सकेगा। इसके **Usable Form** में सुधार की आवश्यकता है, चूंकि केस संख्या देने पर ब्यौरा प्राप्त होता है, परन्तु अन्य ऑप्शन देने पर इसका ब्यौरा प्राप्त नहीं होता है। इस संबंध में जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एवं राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी को

साइट को सुधारने हेतु पत्र निर्गत किया गया है। जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को पुनः स्मारित कर इसे सुधार कराने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। अगली बैठक से जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को भी इस बैठक में उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

इस डाटा को हमेशा अपडेट किए जाने की जरूरत है, इसके लिए सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारियों एवं अनुमण्डल पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वे वैसे **सभी वादों जिसके संबंध में निष्पादन अथवा वसूली की सूचना दी जा रही है, को 26 बिन्दु प्रपत्र में अंकित करते हुए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से भेजें** ताकि बेवसाईट में वादों की अद्यतन स्थिति को अंकित करते हुए अपडेट किया जा सके अर्थात् जब भी वादों के निष्पादन/राशि की वसूली की सूचना जिला को दी जाती है तो इसके साथ उन वादों का पूर्ण ब्यौरा अवश्य संलग्न किया जाय।

(अनुपालन– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर/सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा/सभी पेशकार)

7. नीलाम पत्र न्यायालयों का नियमित संचालन करना :

पूर्व की बैठकों में यह निदेश दिया गया था कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी अगली बार से अपने मासिक प्रतिवेदन में सारे व्योरे के साथ इसका भी उल्लेख करेंगे कि विगत माह में उनके द्वारा कितने दिन न्यायालय का कार्य किया गया तथा कितने केसों पर सुनवाई की गई। यह व्यौरा पूर्व में 21 बिन्दु प्रपत्र में साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराया जा रहा था। अब मुख्य सचिव, बिहार के निदेशानुसार इसे निम्नांकित 22 बिन्दु प्रपत्र में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी **प्रत्येक पक्ष** यानि **माह की पहली तारीख एवं 15वीं तारीख** को प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में भेंजेंगे। परन्तु यह प्रतिवेदन अधिकतर नीलाम पत्र पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी से अप्राप्त है जिससे स्पष्ट है कि नीलाम पत्र न्यायालय का नियमित संचालन नहीं किया जा रहा है। पुनः निदेश दिया गया कि नीलाम पत्र न्यायालय का नियमित संचालन किया जाय ताकि अधिकाधिक मामलों का निष्पादन हो सके।

SL.no.	Name of officer	No. of case pending at the begning of the fortnight		No. of cases heard during the fortnight		No. of cases disposed during the fortnight		No. of cases which recovery made during the fortnight		No. of cases pending at end of the fortnight	
		No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Oldest pending case		Status of Pending Cases							
No. of the case	Amount	Form 7 not served	Talwana not deposted	Other court's instructions	D.W. Issued	B.W. Issued	Death of Certificate debtor	Report of R.O. Wanting	No. of court days
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/ सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला)

8. नीलाम पत्र पदाधिकारीवार/अनुमंडलवार लक्ष्य/उपलब्धि की समीक्षा

जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के लंबित वादों की स्थिति तथा उनके द्वारा माह जुलाई में वसूल की गई राशि की विस्तृत समीक्षा की तथा जिन लोगों द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रपत्र–7 का तामिला, डी0डब्लू0/बी0डब्लू0 निर्गत नहीं किए गए हैं उन्हें तुरंत नीलाम पत्र वादों के नियमित सुनवाई कर इसमें अपेक्षित सुधार लाने का निदेश दिया। उन्होंने नीलाम पत्र पदाधिकारियों को, खासकर बड़े बकायेदारों के विरूद्ध समुचित एवं कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया तथा अपेक्षा की कि अगले माह अपने–अपने न्यायालय में लंबित वादों के निष्पादन की दिशा में कारगर कार्रवाई करेंगे।

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उनके अधीनस्थ सभी अधिकारियों का प्रतिवेदन अलग–अलग समर्पित किया जाना चाहिए तथा सदर अनुमण्डल के सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहेंगे। प्रभारी पदाधिकारी, नीलाम–पत्र शाखा को निदेश दिया गया कि सदर अनुमण्डल के कुछ अभिलेखों का हस्तांतरण जिला स्तरीय पदाधिकारियों के बीच किया जाना चाहिए।

अनुमण्डल पदाधिकारी,दानापुर का प्रगति प्रतिवेदन असंतोषजनक पाया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बतायी गयी।

अनुमण्डल पदाधिकारी,मसौढ़ी के स्तर पर 2941 मामले लम्बित हैं। सभी मामले बैंकों से सम्बन्धित हैं। इनका निष्पादन भी निराशाजनक है। निदेश दिया गया कि अधियाची पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाय। जो अधियाची पदाधिकारी बैठक में नहीं आते हैं अथवा कार्य में सहयोग नहीं करते हैं उनके विरूद्ध प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया।

अनुमण्डलवार समीक्षा के कम में स्पष्ट हुआ कि अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी की वसूली का प्रतिशत उल्लेखनीय नहीं है। बाढ एवं पालीगंज अनुमण्डल का वसूली प्रतिशत कम है। सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपने पदाधिकारियों को वाद उपस्थापित करने के लिए दवाब दें। आयुक्त महोदय द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान नीलाम पत्र वादों के धीमे निष्पादन पर असंतोष व्यक्त किया गया है। नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में जो भी कठिनाइयां आती हैं उन्हें प्रतिवेदित करने का सुझाव दिया गया ताकि इन कठिनाइयों से सरकार को अवगत कराया जा सके। नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में रूचि नहीं लेने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी नीलाम–पत्र शाखा)

बैठक में पदाधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के कम में नीलम पत्र अभिलेखों को निम्न प्रकार से आवंटित करने का निर्णय लिया गया :–

(क) जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना का अभिलेख श्री चन्द्रशेखर सिंह, निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यकम, पटना को स्थानांतरित करने का निदेश दिया गया।

(ख) जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना का अभिलेख अपर समाहर्ता, पटना को स्थानांतरित करने का निदेश दिया गया।

जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारीवार माह अगस्त 2007 का प्रगति प्रतिवेदन

क्रम	नीलाम पत्र पदाधिकारी का नाम	1.4.07 को लम्बित	1.4.07 को लम्बित वादों में सन्निहित राशि	2007–08 के प्रतिवेदित माह तक		कुल वाद	सन्निहित राशि	इस माह के पूर्व निष्पादित		इस माह निष्पादित		कुल निष्पादित		कुल लंबित वाद (7–13)	कुल लंबित राशि (8–14)	लंबित वादों की स्थिति								
				दायर वाद	सन्निहित राशि			वादों की संख्या	सन्निहित राशि	वादों की संख्या	सन्निहित राशि	वादों की संख्या	सन्निहित राशि			समन–1 से तामिला आगमन	प्रेषण की कुल	भेजा गया	उपलब्ध की रोक जमा नहीं	जब्त वाहनादेश द्वारा रोक आदेश	अधियाची पदाधिकारी से वीडियम आगमन	खा. जब्त	बीड जब्त	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	श्री अशोक कुमार	250	16559989	0	0	250	16559989	0	0	15	48058	15	48058	235	16079931	203	0	0	0	0	12	20	0	0
2	श्री सतीश कश्यप	16	159814781	0	0	16	159814481	1	496184	0	0	1	496184	15	159368597	15	0	0	0	0	0	0	0	0
3	श्री सदर	83	9835891	0	0	83	9835891	3	435780	5	657602	8	1093382	75	8736509	61	3	0	0	0	3	8	0	0
4	श्री अमरेन्द्र कुमार वर्मा	38	7899444	0	0	38	7899444	9	2248721	0	0	9	2248721	29	5650723	2	1	0	0	0	2	10	10	0
5	श्री राम विलास प्रसाद	48	2792461	0	0	48	2792461	1	1078	0	0	1	1078	47	2791383	47	0	0	0	0	0	0	0	0
6	श्री एकलाख सा	92	10279186	0	0	52	10279186	6	648573	3	80188	9	728761	83	9550425	3	0	0	0	4	11	59	0	0

जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारीवार माह अगस्त 2007 का प्रगति प्रतिवेदन

क्र0	नीलाम पत्र पदाधिकारी का नाम	1.4.07 को लम्बित	1.4.07 को लम्बित वादों में सन्निहित राशि	2007–08 से प्रतिवेदित माह तक		कुल वाद	सन्निहित राशि	इस माह के पूर्व निष्पादित		इस माह निष्पादित		कुल निष्पादित		कुल लंबित वाद (7–13)	कुल लंबित राशि (8–14)	लंबित वादों की स्थिति								
				दायर वाद	सन्निहित राशि			वादों की सं0	सन्निहित राशि	वादों की सं0	सन्निहित राशि	वादों की सं0	सन्निहित राशि			प्रपत्र–7 के तामिला अप्राप्त	देनदार की मृत्यु	गलत पता	ततबाना की राशि जमा नहीं	अन्य न्यायालय द्वारा पारित आदेश	अधियावी पदाधिकारी से प्रतिवेदन अप्राप्त	डी0 डबलू	बी0 डब्लू	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
7	श्री आदित्य कुमार दास	211	6058000	0	0	211	6058000	0	0	100	553000	100	553000	111	550500	0	0	0	0	0	111	0	0	0
8	श्रीमती अनिमा सिन्हा	250	18208567	0	0	250	18208567	3	22174	1	2620	4	24794	246	18183773	151	0	0	0	0	0	0	0	0
9	श्री नील कमल	212	31073709	0	0	212	31073709	0	0	0	0	0	0	212	31073709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	श्री अनिल कुमार	274	6158902	0	0	274	6158902	4	125807	2	1235	6	127042	268	6031860	209	0	0	0	0	0	10	9	40
11	श्री राजेश कुमार	420	10781845	0	0	420	10781845	67	357103	0	0	67	357103	353	10424742	188	0	0	0	0	0	81	42	42
12	श्री दीपक सिह	530	14133855	0	0	530	14133855	9	2423239	0	12820	9	2436059	521	11697796	322	0	0	0	0	38	101	1	59
13	श्री संजय कुमार	250	7023192	-	-	250	7023192	3	236581	0	0	3	236581	247	6786611	182	0	0	0	0	5	1	0	59
14	श्रीमती अजुला प्रसाद	117	226691417	0	0	117	226691417	0	3880	1	155078146	1	155082026	116	71609391	68	5	0	12	1	12	22	1	0
15	श्री रविन्द्र कुमार	108	419404524	0	0	108	419404524	3	299204	0	74000	3	373204	105	419031320	76	0	0	0	2	10	12	5	0
16	श्री महेन्द पाल	199	1131899	0	0	199	1131899	0	0	0	0	0	0	199	1131899	95	1	0	0	0	103	0	0	0
17	श्री अनील कुमार ।।	93	59642362	0	0	93	59642362	3	1169745	0	0	3	1169745	90	58635063	90	0	0	0	0	0	0	0	0
18	श्री अनिल नाथ संघवार	368	10847767	0	0	368	10847767	0	0	0	0	0	0	368	10847767	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	श्री रजनीश कुमार सिह	98	5829116	0	0	98	5829116	24	449143	0	0	24	449143	74	5379973	6	0	0	0	4	5	59	0	0
20	श्री मनोज कुमार चौधरी	153	2380348	0	0	153	2380348	22	179215	7	274793	29	454008	124	1926340	92	0	0	0	0	0	24	15	0
21	श्रीमती सिमता सिन्हा	191	5560697	0	0	191	5560697	0	0	-	0	0	0	191	5560697	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	श्री एस0एन0 परवेज आलम	133	18714123	0	0	133	18714123	7	43830	0	0	7	43830	126	18650293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	श्रीमती सीमा सिन्हा	120	517534527	0	0	120	517534527	4	439521	0	0	4	439521	116	517005006	5	0	0	0	21	29	61	0	0
24	श्री अरशद अजीज																							
	कुल योग	4254	1553452602	0	0	4254	1553452302	169	9579778	134	156782462	303	166362240	3951	1382232308	1815	10	0	12	32	341	468	89	280

नोट :– श्री रजनीश कुमार सिंह, श्री एस0 एन0 झा, श्रीमती सीमा सिन्हा, श्री दीपक सिंह, श्री अनिल कमार–1, श्री अनिल कुमार–2, श्री संजय कुमार, श्री रवीन्द्र कुमार एवं डॉ0 महेन्द्र पाल को छोड़कर अन्य किसी भी पदाधिकारी से मासिक प्रतिवेदन नये परिचालित प्रपत्र–1 एवं 2 में प्राप्त नहीं होने के कारण सभी प्रतिवेदन भे विरोधाभास पाया गया है।

विभिन्न अनुमंडलों का माह अगस्त 2007 तक नीलाम पत्र वादों से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन।

क्र०	अनुमंडल का नाम	01.04.07 का लंबित वाद	01.04.07 के लंबित वादों में सन्निहित राशि	प्रतिवेदित माह में दायर वादों की संख्या	प्रतिवेदित माह में दायर वादों में सन्निहित राशि	कुल लंबित वाद	कुल लंबित वादों में सन्निहित राशि	पूर्व माह में निष्पादित वाद की संख्या	पूर्व माह में निष्पादित वादों में सन्निहित राशि	वर्तमान माह में निष्पादित वादों की संख्या	वर्तमान माह में निष्पादित वादों में सन्निहित राशि	कुल निष्पादित वाद	कुल निष्पादित वादों में सन्निहित राशि	कुल लंबित वाद	कुल लंबित वादों में सन्निहित राशि	वसूली का प्रतिशत	अनुपस्थित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	पटना सदर	10087	3151101139.16	72	7756520.30	10159	3228666659.46	31	4054850.06	5	1003310.35	36	5085160.41	10123	3178085499.05	1.58	प्रतिवेदन अपूर्ण है। कारण जॉच रहा है।
2	पटना सिटी	3776	254484219.00	139	11160368	3915	2656445870.00	41	4514323.00	4	292908	45	4807231.00	3870	263837356.00	1.81	प्रतिवेदन अपूर्ण है। कुल लंबित वादों में सन्निहित राशि का कारण जॉच रहा है।
3	दानापुर	9289	2014857727.00	30	1707166.00	9319	2031929130.00	98	4827375.00	33	10549340.00	131	15376715.00	9188	1878161980	7.57	
4	बक्सौती	2848	576854000.00	137	3457102.00	2985	611425020.00	30	1523116.39	14	394834.00	44	1907950.00	2941	592245521.4	3.12	
5	फतुहा	2710	52174164.00	50	4075923	2760	56250087.00	23	1045896.00	29	679865.00	52	1725761.00	2708	54524326	3.07	
6	मसौढ़	9581	1958694510.00	233	10723085.25	9814	2065925360.25	101	6728415.93	84	2293145.14	185	9021561.07	9629	1975709753.7	4.37	
	कुल	38291	10768091000	661	38880185	38952	11156892850	324	22693976.38	169	15213402.49	493	37924378.5	38459	10850781907	3.40	

9. नोटिश तामिला की प्रकिया :

इस सम्बन्ध में विगत माह में दिए गए निदेश की समीक्षा की गई एवं यह स्पष्ट किया गया कि नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में सबसे अहम भूमिका पदचर अनुसेवियों की होती है। इनलोगों के द्वारा इसे गम्भीरता से नहीं लिया जाता है तथा ज्यादातर मामलों में उनके द्वारा कार्यालय में बैठे–बैठे नोटिश के पीछे यह अंकित कर दिया जाता है कि बकायेदार के यहाँ गया और उनके द्वारा नोटिश लेने से इनकार किया गया अथवा उनका कोई पता नहीं चला या गवाही देने से लोगों ने इनकार कर दिया। यह अत्यन्त ही दुःखद परिस्थिति है। इसका कुप्रभाव नीलाम पत्र वादों के निष्पादन पर पड़ता है। तामिला हेतु एक Mechanism तैयार करने की आवश्यकता है तथा इसमें लगे पदचरों/ अनुसेवियों को Motivate करने की भी आवश्यकता है।

अतः यह निदेश दिया गया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी अनुसेवियों द्वारा तामिला कराये गए नोटिश एवं अंकित किए गए प्रतिवेदनों की समीक्षा करें कि उनके द्वारा किन–किन क्षेत्रों में जाकर किन–किन नोटिशों का वास्तविक रूप से तामिला कराया गया है। यह समीक्षा सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी तथा सभी अनुमंडल पदाधिकारी साप्ताहिक रूप से निम्नांकित प्रपत्र में करेंगे। इस माह केवल अनुमण्डल बाढ़ से यह प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्राप्त हुआ है।

क्रमांक	पदचर का नाम	विगत सप्ताह तक लंबित नोटिस/पत्र की सं0	आलोच्च सप्ताह में दिया गया पत्र/नोटिश	कुल पत्र/नोटिश	आलोच्च सप्ताह में तामिला कराये गये पत्र/नोटिश	लंबित पत्र/नोटिश जिनका तामिला नहीं हो सका	लंबित रहने का कारण	अभियुक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09

विगत दो माह से उपरोक्त प्रपत्र में नोटिस तामिला की समीक्षा कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया जा रहा है परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो अत्यन्त ही खेदजनक है। जिलाधिकारी ने सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी को इस संबंध में अर्द्ध सरकारी पत्र से स्मारित करने का निदेश दिया।

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला)

10. अधियाची विभाग द्वारा निष्पादन में अभिरूचि नहीं लिए जाने के सम्बन्ध में

नीलाम पत्र पदाधिकारियों द्वारा यह उल्लेख किया गया कि जिला स्तर पर विभिन्न अधियाची विभागों को नोटिश तामिला हेतु दिया जा रहा है, परन्तु उन लोगों के द्वारा इसका तामिला कराने में अपेक्षित सहयोग नहीं दिया जाता है तथा यह अंकित कर दिया जाता है कि बकायेदार का पता नहीं मिला एवं अब वे निर्धारित स्थल पर नहीं रहते हैं। यह अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिलाधिकारी द्वारा ऐसे मामलों में अधियाची विभाग के विरूद्ध विभागीय सचिव/बैंक के मुख्य प्रबंधक को लिखने हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को भेजने का निदेश दिया गया तथा इसके पश्चात् धारा 53 (2) के तहत स्पीकिंग ऑर्डर पास करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त करने का निदेश दिया गया। वाद समाप्त करने के पूर्व सम्बन्धित अधियाची विभाग एवं वरीय पदाधिकारियों को इसकी चेतावनी अनिवार्य रूप से दे दी जाए। साथ ही आदेश में यह भी अंकित कर दिया जाय कि अधियाची विभाग ऋणी का सही पता की जानकारी प्राप्त कर न्यायालय को अगर सूचना देता है तो इस वाद की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की जा सकेगी।

बैठक में उपस्थित लीड बैंक मैनेजर, पी0एन0बी0/यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया/ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा उनके बैंक के कितने वाद लंबित है, का ब्यौरा देने में असफल रहे, यह अत्यन्त ही दुखदाई स्थिति है।

सभी अधियाची पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वे अगली बैठक से पंजी–ix एवं इसमें वसूल की गयी राशि का वादवार ब्यौरा लेकर बैठक में भाग लेंगे। ज्यादातर अधियाची विभाग को यह जानकारी ही नहीं है कि उनके विभाग के कितने नीलाम–पत्र वाद, किन–किन न्यायालय में लंबित हैं। अधियाची विभागों द्वारा नीलाम–पत्र वाद दायर किए जाने की खानापुरी की जा रही है तथा इसके बाद वह निश्चिन्त होकर प्रतिवेदन भेज दे रहे हैं कि इन मामलों में नीलाम–पत्र वाद दायर कर दिया गया है, जबकि इसके निष्पादन के लिए उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

(अनुपालन– सभी अनुमण्डलाधिकारी/सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा/सभी अधियाची पदाधिकारी)

11. बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कार्रवाई :

सभी जिला स्तरीय नीलाम पत्र पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि वे पटना शहर के बड़े बकायेदारों के विरूद्ध निर्गत वॉंडी वारण्ट को कार्यान्वयन हेतु वारण्ट **जिला नियंत्रण कक्ष** को प्रेषित करें तथा जिला नियंत्रण कक्ष प्रत्येक दिन अधियाची विभाग के साथ कार्यक्रम निर्धारित कर दंडाधिकारी/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर गिरफ्तार करने हेतु कार्रवाई करेंगे। इसी तरह अनुमण्डल स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर वारण्ट के कार्यान्वयन का निदेश दिया गया तथा इस हेतु अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी एवं थाना के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। 2.00 लाख या इससे उपर के राशि के ऋणियों की सूची सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को हस्तगत करायी गयी तथा जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारियों को भी इन बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। पूरे जिला में जिला स्तरीय नीलाम–पत्र वादों में कुल 124 बकायेदार 2.00 लाख से उपर की राशि के हैं जबकि अनुमण्डल स्तरीय नीलाम–पत्र वादों में इनकी संख्या 265 है। पूरे पटना जिला में 389 बड़े बकायेदार है, जिनकी सूची तैयार कर सभी संबंधित को दी गयी है, पर ध्यान केन्द्रित कर राशि की वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। 70 प्रतिशत सरकारी राशि इन लोगों के जिम्मे ही बकाया है। यह भी निदेश दिया गया कि अगली बैठक से मात्र इन वादों के निष्पादन की वादवार समीक्षा की जाएगी तथा इसका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराया जाय एवं इन केसों का व्यक्तिगत अनुश्रवण किया जाय।

(अनुपालन– सभी अनुमण्डलाधिकारी/सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा)

12. पंजी– IX एवं X का मिलान :

जिलाधिकारी द्वारा पंजी –IX एवं X के मिलान के सम्बन्ध में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की तथा यह निदेश दिया कि अधियाची पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई जाय एवं 26 बिन्दु प्रपत्र पर बनाए गए विवरण शाखावार/विभागवार तैयार कर इसकी दो प्रति नीलाम पत्र पदाधिकारी अधियाची विभाग/बैंक को हस्तगत करेंगे तथा पुनः अगले सप्ताह एक बैठक बुलाकर उसका एक सत्यापित प्रति जिसमें मिलान कर अद्यतन वसूली अंकित किया गया हो, उसे विभाग ले लेंगे ताकि रिकन्सीलिएशन हो सके। अधियाची पदाधिकारी के साथ आहूत की गयी **बैठक की कार्यवाही अनिवार्य रूप से तैयार की जाय** एवं इसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी भेजी जाय।

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना जिला)

13. थानावार वारण्टों की सूची तैयार करने के संबंध में :–

जिलाधिकारी द्वारा सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी को अपने–अपने न्यायालय में लंबित वादों को थानावार वर्गीकृत करते हुए एक पंजी संधारित करने का निदेश दिया तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किए जाने का भी निदेश के साथ–साथ **इसकी प्रति जिला को भेजने का निदेश दिया था** परन्तु मसौढ़ी, बाढ़, पालीगंज,दानापुर,पटना सदर अनुमण्डल एवं कुछ पदाधिकारियों को छोड़ अन्य जगहों से सूची प्राप्त नहीं हो सका है। प्राप्त सूची के अनुसार जिला स्तर पर कुल 678 वारण्ट 44 थानों में निम्नांकित रूप से निर्गत किए गए हैं।

क्रमांक	थाना	वारन्टो की संख्या	क्रमांक	थाना	वारन्टो की संख्या	क्रमांक	थाना	वारन्टो की संख्या
1	कदमकुऑ	22	16	गर्दनीबाग	3	31	दीदारगंज	4
2	कंकड़बाग	11	17	आलमगंज	9	32	फतुहॉ	7
3	अगमकुऑ	3	18	मालसलामी	13	33	सचिवालय	1
4	घोषवरी	1	19	सिगोरी	1	34	खगौल	4
5	खुशरूपुर	4	20	पीरबहोर	13	35	श्रीकृष्णापुरी	1
6	बाढ़	83	21	नौबतपुर	7	36	मोकामा	93
7	गॉधी मैदान	14	22	जक्कनपुर	3	37	पालीगंज	5

8	कोतवाली	17	23	मनेर	10	38	कृष्णापुरी	1
9	शास्त्रीनगर	4	24	चौक	16	39	बख्तियारपुर	92
10	पुनपुन	1	25	मसौढ़ी	22	40	पंडारक	36
11	विक्रम	46	26	धनरूआ	28	41	अथमलगोला	18
12	दिघा	4	27	पाटलिपुत्रा	6	42	बेलछी	6
13	हाथीदाह	6	28	सुल्तानगंज	6	43	फुलवारीशरीफ	3
14	बिहटा	14	29	खाजेकलाँ	6	44	दुल्हिनबाजार	15
15	दानापुर	18	30	गौरीचक	1	कुलः–	678	

उपरोक्त थाना प्रभारियों को वारण्टों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु निदेश देने के लिए वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना को पत्र निर्गत करने का निदेश जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को दिया गया। **(अनुपालन– जिला नीलाम–पत्र शाखा, पटना जिला)**

सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी से यह अपेक्षा की गयी कि अब जब सारे अभिलेखों पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है तथा केसों को जिन्दा कर दिया गया है, डी०डब्लू/बी०डब्लू० निर्गत करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है, सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी बड़े बकायेदारों के मामलों का व्यक्तिगत अनुश्रवण कर खुद कुछ मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि बड़े बकायेदार से राशि की वसूली हो सके तथा लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। इसके साथ ही जिन मामलों में वसूली की गयी है अथवा वाद समाप्त किया गया है, उसकी सूचना भी पाक्षिक प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर भेजें ताकि बेवसाईट में उसे अपडेट किया जा सके। अगस्त माह की वसूली को असंतोषजनक बताते हुए चिन्ता जाहिर की गयी तथा अपेक्षा की गयी कि अगले माह से इसमें पुनः अपेक्षित वृद्धि आएगी तथा सभी पदाधिकारी पूरे मनोयोग के साथ इसके निष्पादन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि वे अगली बैठक से अधियाची विभागों के साथ–साथ सभी बैंकों के कॉडिनेटर को भी इस बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेंगे ताकि सभी के बीच अधोहरताक्षरी के स्तर से समन्वय स्थापित किया जा सके एवं ऐसे मामले जिनमें अधियाची विभागों के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण मामले लंबित है, उसका निष्पादन शीघ्र कराया जा सके।

(अनुपालन– जिला नीलाम–पत्र शाखा)

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह/–
(डॉ० बी० राजेन्दर)
जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक 19-8(10)/07-1025 /नी०, पटना, दिनांक 12/X/07

प्रतिलिपि – वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना/सभी अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना जिला/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला/प्रभारी दण्डाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना एवं सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/सभी अधियाची पदाधिकारी, पटना जिला/सभी बैंक कॉडिनेटर, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पटना को बेवसाईट में सुधार करने एवं अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Rajender 10.10.2007
जिलाधिकारी, पटना।

दिनांक 24.10.2007 को नीलाम पत्र वादों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी, पटना की अध्यक्षता में सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला–स्तरीय नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही

1. उपस्थित

यथा पंजी में संधारित।

2. पूर्व बैठक की कार्यवाही का तामिला

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी से यह पृच्छा की गई कि पूर्व की बैठक की कार्यवाही सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों को तामिला कराया गया है अथवा नहीं। सभी लोगों ने कार्यवाही प्रतिवेदन प्राप्त होने की सूचना दी। जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके द्वारा तामिला का अनुश्रवण किया गया है तथा सभी पदाधिकारियों को यह शत–प्रतिशत कार्यालय में भेजा जा चुका है। सभी पदाधिकारियों से यह पृच्छा की गयी तो उन्होंने कार्यवाही प्राप्त होने की बात कही।

3. पूर्व बैठक की कार्यवाही का अनुपालन

जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को छोडकर अन्य सभी पदाधिकारियों से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त है। जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना से स्पष्टीकरण मांगने का निदेश दिया गया। पूर्व में यह निदेश दिया गया था कि बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन की कंडिकावार समीक्षा कर अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से 5 दिन पूर्व जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को भेजें ताकि इसे संकलित कर बैठक में समीक्षा हेतु रखा जा सके। बैठक के दिन या इससे एक दिन पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन हस्तगत कराने पर ऐसे अनुपालन को अप्राप्त सूची में रखने का निदेश दिया गया। अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षावार स्थिति निम्न है :–

क0	नीलान–पत्र पदाधिकारी का नाम	अगस्त 2007 की बैठक के कार्यवाही का अनुपालन	सितम्बर 2007 में किए गए न्यायालय दिवसों की संख्या	पंजी IX एवं X का मिलान	थानावार वारण्टों की सूची का प्रेषण	अधियाची पदाधिकारी के साथ विगत माह की गयी बैठक	निर्गत सूचनाओं के तामिला का अनुश्रवण	2.00 लाख से उपर के बकायेदारों की सूची एवं उनके विरूद्ध की गयी कार्रवाई का ब्यौरा
01	02	03	04	05	06	07	08	09
1.	श्री अवधेश कुमार	प्राप्त	नियमित संचालन	किया गया	प्राप्त	प्राप्त	किया गया	वाद नहीं है
2.	मो0 एखलाक अहमद	–	–	–	–	–	–	–
3.	श्री के0 पी0 पाण्डेय	प्राप्त	01	नहीं किया गया	प्राप्त	नहीं किया गया	किया गया	प्राप्त
4.	श्री अरूण कुमार वर्मा	प्राप्त	नियमित संचालन	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
5.	श्री मो0 सउद	प्राप्त	06	नहीं किया गया	प्राप्त	किया गयां	किया गया	प्राप्त
6.	श्री राज किशोर सिन्हा	प्राप्त	01	किया गया	अप्राप्त	नहीं किया गया	किया गया	अप्राप्त
7.	श्री सत्यनारायण झा	प्राप्त	07	किया गया	प्राप्त	अप्राप्त	किया गया	प्राप्त
8.	श्री आदित्य कुमार दास	प्राप्त	04	संबंधित नहीं है	अप्राप्त	संबंधित नहीं	किया गया	अप्राप्त
9.	श्रीमती अनिमा सिन्हा	प्राप्त	04	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
10.	मो0 अरशद अजीज	–	–	–	–	–	–	–
11.	श्रीमती स्मिता सिन्हा	–	–	–	–	–	–	–
12.	श्री चन्द्रशेखर सिंह	–	–	–	–	–	–	–

13.	श्री अनिल नारायण संघवार	–	–	–	–	–	–	–
14.	श्री अनिल कुमार–1	प्राप्त	04	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
15.	श्री संजय कुमार	प्राप्त	04	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	2.00 लाख स उपर कोई बकायेदार नही है।
16.	श्री दीपक सिंह	प्राप्त	06	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	2.00 लाख स उपर कोई बकायेदार नहीं है।
17.	श्री राजेश कुमार	प्राप्त	04	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	2.00 लाख स उपर कोई बकायेदार नहीं है।
18.	डॉ0 महेन्द्र पाल	प्राप्त	नियमित संचालन	संबंधित नहीं	अप्राप्त	संबंधित नहीं	किया गया	प्राप्त
19.	श्री रजनीश कुमार सिंह	प्राप्त	नियमित संचालन	संबंधित नहीं	प्राप्त	संबंधित नहीं	किया गया	2.00 लाख स उपर कोई बकायेदार नही है।
20.	श्री मनोज कुमार चौधरी	प्राप्त	04	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	2.00 लाख स उपर कोई बकायेदार नही है।
21.	श्री एस0एम0 परवेज आलम	प्राप्त	नियमित संचालन	किया गया	प्राप्त	अप्राप्त	किया गया	प्राप्त
22.	श्रीमती अंजुला प्रसाद	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
23.	श्रीमती सीमा सिन्हा	प्राप्त	06	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	अप्राप्त
24.	श्री अनिल कुमार–2	प्राप्त	नियमित संचालन	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
25.	श्री रबीन्द्र कुमार	प्राप्त	03	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
26.	अनुमण्डल पदाधिकारी, बाढ़	प्राप्त	प्राप्त	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त
27.	अनुमण्डल पदाधि0,दानापुर	प्राप्त	नियमित संचालन	किया गया	प्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	प्राप्त
28.	अनुमण्डल पदा0 मसौढ़ी	प्राप्त	08	किया गया	प्राप्त	अप्राप्त	किया गया	प्राप्त
29.	अनुमण्डल पदा0 पालीगंज	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त
30.	अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी	अप्राप्त	अप्राप्त	प्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
31.	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर	प्राप्त	09	किया गया	प्राप्त	किया गया	किया गया	प्राप्त

सभी पदाधिकारियों को यह स्पष्ट किया गया कि जिन लोगों के द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में उसी प्रकार का अभिलेखन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाएगा एवं जिन लोगों के द्वारा कार्यो के प्रति रूचि नहीं ली जा रही है, उनके वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति में इस बात को दर्ज करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन सरकार को भेजा जाएगा।

(अनुपालन– सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी)

4. नीलाम पत्र वादों का कम्प्यूटराइजेशन

जिलाधिकारी द्वारा यह सूचना दी गयी कि इस जिले के सभी नीलाम–पत्र वादों के ब्यौरे को बेवसाईट पर जारी कर दिया गया है। इसका बेवसाईट **http\\.patna.bih.nic.in** है। यह अत्यन्त ही प्रसन्नता की बात है कि पिछले कई महीनों से इस दिशा में किए जा रहे प्रयास अन्ततः सफल हुआ है तथा नीलाम–पत्र न्यायालयों में चल रहे वादों के संबंध में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर सकेगा। इसके **Usable Form** में सुधार की आवश्यकता है, चूंकि केस संख्या देने पर ब्यौरा प्राप्त होता है, परन्तु अन्य ऑप्शन देने पर इसका ब्यौरा प्राप्त नहीं होता है। इस संबंध में जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी एवं राज्य सूचना विज्ञान पदाधिकारी को

साइट को सुधारने हेतु पत्र निर्गत किया गया है। जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को पुनः स्मारित कर इसे सुधार कराने की कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। अगली बैठक से जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को भी इस बैठक में उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

इस डाटा को हमेशा अपडेट किए जाने की जरूरत है, इसके लिए सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारियों एवं अनुमण्डल पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वे वैसे सभी वादों जिसके संबंध में निष्पादन अथवा वसूली की सूचना दी जा रही है, को 26 बिन्दु प्रपत्र में अंकित करते हुए प्रतिवेदन के साथ अनिवार्य रूप से भेजें ताकि बेवसाईट में वादों की अद्यतन स्थिति को अंकित करते हुए अपडेट किया जा सके अर्थात् जब भी वादों के निष्पादन/राशि की वसूली की सूचना जिला को दी जाती है तो इसके साथ उन वादों का पूर्ण ब्यौरा अवश्य संलग्न किया जाय।

(अनुपालन– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर/सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा/सभी पेशकार)

5. नीलाम पत्र न्यायालयों का नियमित संचालन करना :

पूर्व की बैठकों में यह निदेश दिया गया था कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी अगली बार से अपने मासिक प्रतिवेदन में सारे ब्यौरे के साथ इसका भी उल्लेख करेंगे कि विगत माह में उनके द्वारा कितने दिन न्यायालय का कार्य किया गया तथा कितने केसों पर सुनवाई की गई। यह ब्यौरा पूर्व में 21 बिन्दु प्रपत्र में साप्ताहिक रूप से उपलब्ध कराया जा रहा था। अब मुख्य सचिव, बिहार के निदेशानुसार इसे निम्नांकित 22 बिन्दु प्रपत्र में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी प्रत्येक पक्ष यानि माह की पहली तारीख एवं 15वीं तारीख को प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में भेजेंगे। निदेश दिया गया कि नीलाम पत्र न्यायालय का नियनित संचालन किया जाय ताकि अधिकाधिक मामलों का निष्पादन हो सके।

SL.no.	Name of officer	No. of case pending at the begning of the fortnight		No. of cases heard during the fortnight		No. of cases disposed during the fortnight		No. of cases which recovery made during the fortnight		No. of cases pending at end of the fortnight	
		No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Oldest pending case		Status of Pending Cases							
No. of the case	Amount	Form 7 not served	Talwana not deposted	Other court's instructions	D.W. Issued	B.W. Issued	Death of Certificate debtor	Report of R.O. Wanting	No. of court days
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/ सभी अनुनण्डल पदाधिकारी, पटना जिला)

6. नीलाम पत्र पदाधिकारीवार/अनुमंडलवार लक्ष्य/उपलब्धि की समीक्षा

जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के लंबित वादों की स्थिति तथा उनके द्वारा माह सितम्बर में वसूल की गई राशि की विस्तृत समीक्षा की तथा जिन लोगों द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रपत्र–7 का तामिला, डी0डब्लू0/बी0डब्लू0 निर्गत नहीं किए गए हैं उन्हें तुरंत नीलाम पत्र वादों के नियमित सुनवाई कर इसमें अपेक्षित सुधार लाने का निदेश दिया। उन्होंने नीलाम पत्र पदाधिकारियों को, खासकर बड़े बकायेदारों के विरूद्ध समुचित एवं कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया तथा अपेक्षा की कि अगले माह अपने–अपने न्यायालय में लंबित वादों के निष्पादन की दिशा में कारगर कार्रवाई करेंगे।

सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उनके अधीनस्थ सभी अधिकारियों का प्रतिवेदन अलग–अलग समर्पित किया जाना चाहिए तथा सदर अनुमण्डल के सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहेंगे। प्रभारी पदाधिकारी, नीलाम–पत्र शाखा को निदेश दिया गया कि सदर अनुनण्डल के कुछ अभिलेखों का हस्तांतरण जिला स्तरीय पदाधिकारियों के बीच किया जाना चाहिए।

अनुमण्डल पदाधिकारी,पटना सदर के पास 10,162 मामले निष्पादन हेतु हैं। इसमें से मात्र 16 वादों का निष्पादन किया गया है। इस प्रकार की धीनी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए विगत बैठक में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया था। परन्तु उनका स्पष्टीकरण अप्राप्त है। पुनः स्पष्टीकरण मांगने का निदेश दिया गया।

अधियाची पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। जो अधियाची पदाधिकारी बैठक में नहीं आते हैं अथवा कार्य में सहयोग नहीं करते हैं उनके विरूद्ध प्रतिवेदित करने का निदेश दिया गया।

अनुमण्डलवार समीक्षा के क्रम में स्पष्ट हुआ कि अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी की वसूली का प्रतिशत उल्लेखनीय नहीं है। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अपने पदाधिकारियों को वाद के त्वरित निष्पादन हेतु दबाव दें। आयुक्त महोदय द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान नीलाम पत्र वादों के धीमे निष्पादन पर असंतोष व्यक्त किया गया है। नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में जो भी कठिनाइयां आती हैं उन्हें प्रतिवेदित करने का सुझाव दिया गया ताकि इन कठिनाइयों से सरकार को अवगत कराया जा सके। नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में रूचि नहीं लेने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया। श्री आदित्य कुमार दास, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,पटना, श्री एस0 एन0 झा, जिला पंचायतराज पदाधिकारी,पटना एवं श्री मनोज कुमार चौधरी,कार्यपालक दण्डाधिकारी,पटना के कार्यों की सराहना की गयी तथा मो0 सउद, अपर जिला दण्डाधिकारी(नक्लस),पटना को उनकी उपलब्धि हेतु और मेहनत करने का निदेश दिया गया। श्रीमती अंजुला प्रसाद द्वारा सस्मय प्रतिवेदन समर्पित नहीं किये जाने के कारण स्पष्टीरिण मांगने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी नीलाम–पत्र शाखा)

जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारीवार माह सितम्बर 2007 का प्रगति प्रतिवेदन

क्र0	नीलाम पत्र पदाधिकारी का नाम	1.4.07 को लम्बित	1.4.07 को लम्बित वादों मे सन्निहित राशि	2007–08 से प्रतिवेदित माह तक		कुल वाद	सन्निहित राशि	इस माह के पूर्व निष्पादित		इस माह निष्पादित		कुल निष्पादित		कुल लम्बित वाद (7–13)	कुल लम्बित राशि (8–14)	लम्बित वादों की स्थिति								
				वादों की सं0	सन्निहित राशि			वादों की सं0	सन्निहित राशि	वादों की सं0	सन्निहित राशि	वादों की सं0	सन्निहित राशि											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2	[illegible]	250	1655989	0	0	250	1655989	15	48055	-	32575	15	80433	235	1575556	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	[illegible]	16[illegible]	159814781	2	169500	18	159984281	1	496184	0	0	1	496184	17	15948809[illegible]	17	-	2	-	-	-	2	0	-
4	[illegible]	83	9835891	0	0	83	9835891	8	1093382	3	36799	11	1130181	72	8705710	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	[illegible]	11	1063732.6	23	6835712.23	34	7899444.9	-	24060[illegible]2.06	0	0	-	24060[illegible]2.1	27	54933[illegible]2.1	3	-	1	-	1	-	0	0	-
6	[illegible]	48	2792461	0	0	48	2792461	1	1078	0	0	1	1078	47	2791383	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	[illegible]	92	10393022	2	464650	94	10862672	11	932931	3	564462	14	1497393	80	9365279	-	-	13	-	4	-	54	8	-
8	[illegible]	211	6058000	0	0	211	6058000	100	553000	0	0	100	553000	111	550500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	[illegible]	0		250	1820856[illegible]	250	1820856[illegible]	4	24794	10	54955	14	80135	236	18125432	232	-	-	-	-	-	-	-	-

जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारीवार माह सितम्बर 2007 का प्रगति प्रतिवेदन

क्र0	नीलाम-पत्र पदाधिकारी का नाम	1.4.07 को लम्बित	1.4.07 को लम्बित वादो मे सन्निहित राशि	2007-08 से प्रतिवेदित माह तक		कुल वाद	सन्निहित राशि	इस माह के पूर्व निष्पादित		इस माह निष्पादित		कुल निष्पादित		कुल लंबित वाद (7-13)	कुल लंबित राशि (8-14)	लंबित वादो की स्थिति								
				दायर वाद	सन्निहित राशि			वादो की सं0	सन्निहित राशि	वादो की सं0	सन्निहित राशि	वादो की सं0	सन्निहित राशि			प्रस्तुतकर्ता को सूचना अप्राप्त	प्रस्तुतकर्ता की मृत्यु	प्रस्तुतकर्ता फरार	प्रस्तुतकर्ता की रुचि नहीं	अन्य न्यायालय द्वारा स्थगित आदेश	अधिवक्ता/प्रस्तुतकर्ता न उपस्थित अन्य	पेश होना	बी0 डब्लू	अन्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	[illegible]	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	[illegible]	274	6158902	0	0	274	6158902	6	127042	4	10574	10	137616	264	6021286	205	-	-	-	-	40	10	9	-
3	[illegible]	420	10781545	0	0	420	10781545	67	357103	0	138427	67	495530	353	10286315	116	12	25	-	-	42	51	42	35
4	[illegible]	530	14133855	0	0	530	14133855	9	2436059	0	0	9	2436059	521	11697796	275	8	28	-	-	38	124	1	47
5	[illegible]	250	7023102	-	-	250	7023102	3	236551	3	5185	6	241736	244	6778426	179	2	-	-	-	5	2	-	56
6	[illegible]	117	22669141	0	0	117	22669141	1	155082026	0	0	1	155082026	116	21609391	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	[illegible]	108	4194045	0	0	108	4194045	3	373204	0	74000	3	447204	105	41895732	76	-	-	-	2	10	12	5	-
8	[illegible]	199	1131899	0	0	199	1131899	0	0	0	0	0	0	199	1131899	95	1	103	-	-	-	-	-	-
9	[illegible]	93	59642362	0	0	93	59642362	3	1169745	1	2000	4	1171745	89	58470617	89	-	-	-	-	-	-	-	-
10	[illegible]	327	19968313	0	0	327	19968313	0	0	0	0	0	0	327	19968313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	[illegible]	98	5529115	193	27000250	291	32829635	24	449143	1	5850	25	454993	266	32374642	199	-	-	4	4	-	59	-	-
12	[illegible]	153	2647239	0	0	153	2647239	29	454002	9	166930	38	620938	115	2026301	89	9	-	-	-	-	30	15	-
13	[illegible]	0														-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	[illegible]	133	18714123	0	0	133	18714123	7	43830	0	0	7	43830	126	18650293	60	15	-	-	17	10	24	-	-
15	[illegible]	115	514998369	5	2536158.61	120	517534529	5	439521.18	0	0	5	439521.18	115	517094706	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	[illegible]	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	[illegible]	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	4320	1498744032	475	55214027.84	4003	1553959141	304	166723755.2	34	1094590	338	167818704.2	3665	1381136694	1635	47	172	4	28	145	407	95	138

विभिन्न अनुमंडलों का माह सितम्बर 2007 तक नीलाम पत्र वादों से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन।

क्र0	अनुमंडल का नाम	01.04.07 को लंबित वाद	01.04.07 को लंबित वादों में सम्मिलित राशि	समाप्तित माह में वादों की संख्या	समाप्तित माह में वादों में सम्मिलित राशि	कुल लंबित वाद	कुल लंबित वादों में सम्मिलित राशि	पूर्व माह में निष्पादित वाद की संख्या	पूर्व माह में निष्पादित वादों में सम्मिलित राशि	चालान माह में निष्पादित वादों की संख्या	चालान माह में निष्पादित वादों में सम्मिलित राशि	कुल निष्पादित वाद	कुल निष्पादित वादों में सम्मिलित राशि	कुल लंबित वाद	कुल लंबित वाद में सम्मिलित राशि	समाप्तित का प्रतिशत	अनुपलब्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	पटना सदर	10087	315110139.00	75	9176539.00	10162	324286678.00	23	2494823.00	16	2161110.00	39	4655933.00	10123	319630745.00	1.44	
2	पटना सिटी	3776	254484219.00	139	11160368	3915	267644587.00	45	4807231.00	16	596434	61	5403665.00	3854	262240922.00	2.02	
3	दानापुर	9289	201485727.00	128	5524093.00	9417	207309820.00	131	15376715.00	31	7781687.00	161	23158402.00	9255	18415418	11.17	
4	मसौढी	2848	57685400.00	137	3457103.00	2985	61142503.00	44	1917951.00	-	75880.00	51	1993831.00	2934	59148672	3.26	
5	पालीगंज	2710	52174164.00	50	4075923	2760	56250087.00	52	1725761.00	8	713569.00	60	2439330.00	2700	53810757	4.34	
6	बाढ़	9581	195869451.19	235	11533866.46	9816	207703317.65	185	9021521.07	131	3138981.40	316	12160502.47	9500	195542815.18	5.85	
	कुल	38291	1076809100	764	45527892	39055	1124336993	480	35344002.07	209	14467661.4	688	49811663.5	38366	908789329.2	4.43	

8. नोटिश तामिला की प्रकिया :

इस सम्बन्ध में विगत माह में दिए गए निदेश की समीक्षा की गई एवं यह स्पष्ट किया गया कि नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में सबसे अहम भूमिका पदचर अनुसेवियों की होती है। इनलोगों के द्वारा इसे गम्भीरता से नहीं लिया जाता है तथा ज्यादातर मामलों में उनके द्वारा कार्यालय में बैठे–बैठे नोटिश के पीछे यह अंकित कर दिया जाता है कि बकायेदार के यहाँ गया और उनके द्वारा नोटिश लेने से इनकार किया गया अथवा उनका कोई पता नहीं चला या गवाही देने से लोगों ने इनकार कर दिया। यह अत्यन्त ही दुःखद परिस्थिति है। इसका कुप्रभाव नीलाम पत्र वादों के निष्पादन पर पड़ता है। तामिला हेतु एक Mechanism तैयार करने की आवश्यकता है तथा इसमें लगे पदचरों/ अनुसेवियों को Motivate करने की भी आवश्यकता है।

अतः यह निदेश दिया गया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी अनुसेवियों द्वारा तामिला कराये गए नोटिश एवं अंकित किए गए प्रतिवेदनों की समीक्षा करें कि उनके द्वारा किन–किन क्षेत्रों में जाकर किन–किन नोटिशों का वास्तविक रूप से तामिला कराया गया है। यह समीक्षा सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी तथा सभी अनुमंडल पदाधिकारी साप्ताहिक रूप से निम्नांकित प्रपत्र में करेंगे। इस माह केवल अनुमण्डल वाढ़ से यह प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में प्राप्त हुआ है।

क्रमांक	पदचर का नाम	विगत सप्ताह तक लंबित नोटिस/पत्र की सं0	आलोच्च सप्ताह में दिया गया पत्र/नोटिश	कुल पत्र/नोटिश	आलोच्च सप्ताह में तामिला कराये गये पत्र/नोटिश	लंबित पत्र/नोटिश जिनका तामिला नहीं हो सका	लंबित रहने का कारण	अनियुक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09

विगत दो माह से उपरोक्त प्रपत्र में नोटिस तामिला की समीक्षा कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया जा रहा है परन्तु इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है जो अत्यन्त ही खेदजनक है। जिलाधिकारी ने सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी को इस संबंध में अर्द्ध सरकारी पत्र से स्मारित करने का निदेश दिया।

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला)

9. अधियाची विभाग द्वारा निष्पादन में अभिरूचि नहीं लिए जाने के सम्बन्ध में

नीलाम पत्र पदाधिकारियों द्वारा यह उल्लेख किया गया कि जिला स्तर पर विभिन्न अधियाची विभागों को नोटिश तामिला हेतु दिया जा रहा है, परन्तु उन लोगों के द्वारा इसका तामिला कराने में अपेक्षित सहयोग नहीं दिया जाता है तथा यह अंकित कर दिया जाता है कि बकायेदार का पता नहीं मिला एवं अब वे निर्धारित स्थल पर नहीं रहते हैं। यह अत्यन्त ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिलाधिकारी द्वारा ऐसे मामलों में अधियाची विभाग के विरूद्ध विभागीय सचिव/बैंक के मुख्य प्रबंधक को लिखने हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को भेजने का निदेश दिया गया तथा इसके पश्चात् धारा 53 (2) के तहत स्पीकिंग ऑर्डर पास करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त करने का निदेश दिया गया। वाद समाप्त करने के पूर्व सम्बन्धित अधियाची विभाग एवं वरीय पदाधिकारियों को इसकी चेतावनी अनिवार्य रूप से दे दी जाए। साथ ही आदेश में यह भी अंकित कर दिया जाय कि अधियाची विभाग ऋणी का सही पता की जानकारी प्राप्त कर न्यायालय को अगर सूचना देता है तो इस वाद की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की जा सकेगी।

उपस्थित अधियाची पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि वे अगली बैठक से पंजी–ix एवं इसमें वसूल की गयी राशि का वादवार ब्यौरा लेकर बैठक में भाग लेंगे। ज्यादातर अधियाची विभाग को यह जानकारी ही नहीं है कि उनके विभाग के कितने नीलाम–पत्र वाद, किन–किन न्यायालय में लंबित हैं। अधियाची विभागों द्वारा नीलाम–पत्र वाद दायर किए जाने की खानापुरी की जा रही है तथा इसके बाद वह निश्चिन्त होकर प्रतिवेदन भेज दे रहे हैं कि इन मामलों में नीलाम–पत्र वाद दायर कर दिया गया है, जबकि इसके निष्पादन के लिए उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

(अनुपालन– सभी अनुमण्डलाधिकारी/सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा/सभी अधियाची पदाधिकारी)

10. बड़े बकायेदारों के विरूद्ध कार्रवाई :

सभी जिला स्तरीय नीलाम पत्र पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि वे पटना शहर के बड़े बकायेदारों के विरूद्ध निर्गत वॉंडी वारण्ट को कार्यान्वयन हेतु वारण्ट **जिला नियंत्रण कक्ष** को प्रेषित करें तथा जिला नियंत्रण कक्ष प्रत्येक दिन अधियाची विभाग के साथ कार्यक्रम निर्धारित कर दंडाधिकारी/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर गिरफ्तार करने हेतु कार्रवाई करेंगे। इसी तरह अनुमण्डल स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर वारण्ट के कार्यान्वयन का निदेश दिया गया तथा इस हेतु अनुमण्डल आरक्षी पदाधिकारी एवं थाना के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। 2.00 लाख या इससे उपर के राशि के

ऋणियों की सूची सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को हस्तगत करायी गयी तथा जिला स्तरीय नीलाम–पत्र पदाधिकारियों को भी इन बड़े बकायेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। पूरे जिला में जिला स्तरीय नीलाम–पत्र वादों में कुल 124 बकायेदार 2.00 लाख से उपर की राशि के हैं जबकि अनुमण्डल स्तरीय नीलाम–पत्र वादों में इनकी संख्या 265 है। पूरे पटना जिला में 389 बड़े बकायेदार है, जिनकी सूची तैयार कर सभी संबंधित को दी गयी है, पर ध्यान केन्द्रित कर राशि की वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। 70 प्रतिशत सरकारी राशि इन लोगों के जिम्मे ही बकाया है। यह भी निदेश दिया गया कि अगली बैठक से मात्र इन वादों के निष्पादन की वादवार समीक्षा की जाएगी तथा इसका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित कराया जाय एवं इन केसों का व्यक्तिगत अनुश्रवण किया जाय।

(अनुपालन– सभी अनुमण्डलाधिकारी/सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा)

11. पंजी– IX एवं X का मिलान :

जिलाधिकारी द्वारा पंजी –IX एवं X के मिलान के सम्बन्ध में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की तथा यह निदेश दिया कि अधियाची पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई जाय एवं 26 बिन्दु प्रपत्र पर बनाए गए विवरण शाखावार/विभागवार तैयार कर इसकी दो प्रति नीलाम पत्र पदाधिकारी अधियाची विभाग/बैंक को हस्तगत करेंगे तथा पुनः अगले सप्ताह एक बैठक बुलाकर उसका एक सत्यापित प्रति से मिलान कर अद्यतन वसूली अंकित किया गया हो, उसे विभाग ले लेंगे ताकि रिकन्सीलिएशन हो सके। अधियाची पदाधिकारी के साथ आहूत की गयी बैठक की कार्यवाही अनिवार्य रूप से तैयार की जाय एवं इसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी भेजी जाय। पंजी IX एवं पंजी X के साथ पेशकार को बैठक में उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी, पटना जिला)

12. थानावार वारण्टों की सूची तैयार करने के संबंध में :–

जिलाधिकारी द्वारा सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी को अपने–अपने न्यायालय में लंवित वादों को थानावार वर्गीकृत करते हुए एक पंजी संधारित करने का निदेश दिया तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किए जाने का भी निदेश के साथ–साथ इसकी प्रति जिला को भेजने का निदेश दिया था परन्तु मसौढी, बाढ, पालीगंज,दानापुर,पटना सदर अनुमण्डल एवं कुछ पदाधिकारियों को छोड़ अन्य जगहों से सूची प्राप्त नहीं हो सका है। प्राप्त सूची के अनुसार जिला स्तर पर कुल 678 वारण्ट 44 थानों में निम्नांकित रूप से निर्गत किए गए हैं।

कमांक	थाना	वारंन्टो की संख्या	कमांक	थाना	वारन्टो की संख्या	कमांक	थाना	वारन्टो की संख्या
1	कदमकुआँ	22	16	गर्दनीबाग	3	31	दीदारगंज	4
2	कंकड़बाग	11	17	आलमगंज	9	32	फतुहाँ	7
3	अगमकुआँ	3	18	मालसलामी	13	33	सचिवालय	1
4	घोषवरी	1	19	सिगोरी	1	34	खगौल	4
5	खुशरूपुर	4	20	पीरबहोर	13	35	श्रीकृष्णापुरी	1
6	बाढ़	83	21	नौबतपरु	7	36	मोकामा	93
7	गाँधी मैदान	14	22	जक्कनपुर	3	37	पालीगंज	5
8	कोतवाली	17	23	मनेर	10	38	कृष्णापुरी	1
9	शास्त्रीनगर	4	24	चौक	16	39	बख्तियारपुर	92
10	पुनपुन	1	25	मसौढ़ी	22	40	पंडारक	36
11	विकम	46	26	धनरूआ	28	41	अथमलगोला	18

12	दिघा	4	27	पाटलिपुत्रा	6	42	बेलछी	6
13	हाथीदाह	6	28	सुल्तानगंज	6	43	फुलवारीशरीफ	3
14	बिहटा	14	29	खाजेकलॉ	6	44	दुल्हिनबाजार	15
15	दानापुर	18	30	गौरीचक	1	कुल:–	678	

उपरोक्त थाना प्रभारियों को वारण्टों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु निदेश देने के लिए वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना को पत्र निर्गत करने का निदेश जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को दिया गया। (अनुपालन– जिला नीलाम–पत्र शाखा, पटना जिला)

सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पदाधिकारी से यह अपेक्षा की गयी कि अब जब सारे अभिलेखों पर असरदार कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है तो बड़े बकायेदारों के मामलों का व्यक्तिगत अनुश्रवण कर खुद कुछ मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि बड़े बकायेदार से राशि की वसूली हो सके तथा लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। इसके साथ ही जिन मामलों में वसूली की गयी है अथवा वाद समाप्त किया गया है, उसकी सूचना भी पाक्षिक प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर भेजें ताकि वेवसाईट में उसे अपडेट किया जा सके। सितम्बर माह की वसूली को असंतोषजनक बताते हुए चिन्ता जाहिर की गयी तथा अपेक्षा की गयी कि अगले माह से इसमें पुनः अपेक्षित वृद्धि आएगी तथा सभी पदाधिकारी पूरे मनोयोग के साथ इसके निष्पादन हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जिला नीलाम–पत्र पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि वे अगली बैठक से अधियाची विभागों के साथ–साथ सभी बैंकों के कॉडिनेटर को भी इस बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेंगे ताकि सभी के बीच अधोहस्ताक्षरी के स्तर से समन्वय स्थापित किया जा सके एवं ऐसे मामले जिनमें अधियाची विभागों के प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण मामले लंबित है, उसका निष्पादन शीघ्र कराया जा सके।

(अनुपालन– जिला नीलाम–पत्र शाखा)

7. आवश्यक निदेश

1. बैठक की कार्यवाही में दिये गये निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
2. पदाधिकारियों का विन्दुवार संचिका खोलने का निदेश दिया गया।
3. प्रत्येक नीलाम पत्र वाद के निष्पादन के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। जब तक अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जायगा, उस पर विश्वास नहीं किया जायगा।
4. कोई नीलाम पत्र वाद किस कारण से लम्बित है उसके कारणों का विश्लेषण करने का निदेश दिया गया।
5. सभी अधियाची पदाधिकारी को भी बैठक में अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन के साथ भाग लेने का निदेश दिया गया।
6. प्रत्येक माह के 10वीं तारीख तक मासिक प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु सभी नीलाम–पत्र पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।
7. किये गये न्यायालय कार्य का प्रतिवेदन तिथिवार समर्पित करने का निदेश दिया गया।
8. पंजी IX का पंजी X के साथ मिलान सुनिश्चित किया जाय। साथ ही पंजी X के साथ पेशकार को बैठक में उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।
9. नया प्रपत्र– I एवं II सभी पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया तथा सभी प्रपत्रों को कार्यवाही का हिस्सा बनाने का निदेश दिया गया।
10. भेजे गये वारंटों की थानावार विवरणी प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। साथ ही तामिला कराये गये वारंटों की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
11. नोटिस तामिला नहीं होने पर कारण स्पष्ट किया जाय।
12. अधियाची पदाधिकारी के साथ सम्पन्न बैठकों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।
13. कॉउज लिस्ट समर्पित करने का निदेश दिया गया।
14. आवश्यकतानुसार "अप्राप्त" के स्थान पर "लागू नहीं" शब्द का व्यवहार करने का निदेश दिया गया।
15. अनुपालन प्रतिवेदन Seen कराने का निदेश दिया गया।
16. ससमय रिपोर्ट समर्पित नहीं करने के कारण श्रीमती अंजुला प्रसाद, सहायक परियोजना पदाधिकारी, पटना से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।
17. वाणिज्यकर आयुक्त को अधोहस्ताक्षरी की ओर से पत्र लिखने का निदेश श्री रविन्द्र कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी,पटना को दिया गया।

18. नये पदाधिकारियों को नीलाम पत्र वाद संचालित करने की जिम्मेवारी सौंपने का निदेश दिया गया।
(अनुपालन–सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नीलाम–पत्र शाखा/सभी पेशकार)

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

नीलाम पत्र वाद मासिक प्रतिवेदन का प्रपत्र –I

अनुमण्डल :– Month.....

क्र०	नीलाम पत्र पदाधिकारी का नाम	01.04.07 को लंबित वादों की संख्या	01.04.07 को लंबित वादों में सन्निहित राशि	2007–08 सें प्रतिवेदित माह तक		कुल वाद	कुल सन्निहित राशि	इस माह के पूर्व निष्पादित		इस माह निष्पादित		कुल निष्पादित		कुल लंबित वाद (7–13)	कुल लंबित राशि (8–14)	वसूली का प्रतिशत
				नया दायर वाद की संख्या	सन्निहित राशि			वादों की संख्या	कुल सन्निहित राशि	वादों की संख्या	कुल सन्निहित राशि	वादों की संख्या	कुल सन्निहित राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																

नीलाम पत्र वाद मासिक प्रतिवेदन का प्रपत्र –II

अनुमण्डल :– Month.....

क्र०	नीलाम पत्र पदाधिकारी का नाम	कुल लंबित वादों की संख्या	धारा–7 के अन्तर्गत तामिला नोटिस की संख्या	धारा–7 के अन्तर्गत नोटिस का अप्राप्त तामिला की संख्या	धारा –9 के अन्तर्गत प्राप्त आपत्ति की संख्या	निर्गत D. W. की संख्या	निर्गत .B.W की संख्या	तलबाना की राशि जमा नहीं	अनियुक्ति			
									देनदार की मृत्यु	देनदार का गलत पता	अन्य न्यायालय द्वारा पारित आदेश	अधियाची पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												

दिनांक..... को नीलाम पत्र वाद की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी पटना की अध्यक्षता में सभी पदाधिकारी के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध मे।

	उपस्थिति के संबंध में		
1		1	
2	पूर्व बैठक की कार्यवाही का तामिला	2	
3	पूर्व बैठक की कार्यवाही का अनुपालन	3	पत्राक.....दिनांक .....से भेजा गया ।
4	नीलाम वाद का ब्यौरा 26 बिन्दुओं में तैयार कर भेजने के संबंध मे।	4	पत्राक.....दिनांक .....से भेजा गया ।
5	नीलाम पत्र वादों का नियमित संचालन	5	
6	निर्गत सूचनाओं के तामिला का अनुश्रवण	6	
7	अधियाचि विभाग द्वारा निष्पादित में अभिरूचि लिए जाने के संबंध में	7	हॉ या नहीं
8	IX एवं X का मिलान	8	
9	थानावार वारंटी की सूची तैयार करने के संबंध में	9	थाना का नाम .....लंबित वारंटों की संख्या
10	अधियाची पदाधिकारी के साथ बैठक की कार्रवाई	10	
11	दो लाख से उपर बड़े बकायेदारों के विरूद्ध की गयी कार्रवाई की अद्यतन सूची।	11	
12	काउज लिस्ट	12	

नीलाम पत्र पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
पटना।

ज्ञापांक..... /नी0, पटना, दिनांक

प्रतिलिपि – वरीय आरक्षी अधीक्षक, पटना/सभी अपर जिला दण्डाधिकारी, पटना जिला/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पटना जिला/प्रभारी दण्डाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना एवं सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी, पटना जिला/सभी अधियाची पदाधिकारी, पटना जिला/सभी बैंक कॉडिनेटर, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पटना को वेवसाईट में सुधार करने एवं अपलोड करने हेतु प्रेषित।

E 6—
जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक 19-8(10)/07-1105 /नी0, पटना, दिनांक 06.11.07

प्रतिलिपि – आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – आयुक्त एवं सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

5.11.2007
जिलाधिकारी, पटना।